CONSTITUTION & RULES OF INDIAN NATIONAL CONGRESS

Article I

OBJECT

The object of Indian National Congress is the well-being and advancement of the people of India and the establishment in India, by peaceful and constitutional means, of a Socialist State based on Parliamentary Democracy in which there is equality of opportunity and of political, economic and social rights and which aims at world peace and fellowship.

Article II

ALLEGIANCE TO CONSTITUTION OF INDIA

The Indian National Congress bears true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and to the principles of socialism, secularism and democracy and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India.

Article II(A)

PARTY FLAG

The flag of the Indian National Congress shall consist of three horizontal colours: saffron, white and green with the picture of a Charkha in blue in the centre. It shall be made of certified Khadi.

Article III

CONSTITUENTS

The Indian National Congress will include the plenary and special sessions of the Congress and,

- (i) The All India Congress Committee,
- (ii) The Congress Working Committee,
- (iii) Pradesh Congress Committees,
- (iv) District/City Congress Committees,
- (v) subordinate Committees the District to Congress Congress Committee like Block or Constituency Committee, Intermediary Congress Committee, Panchayat and Ward Congress Committee and or other Subordinate Committees to be constituted by the Pradesh Congress Committee concerned.

Note: In this Constitution wherever the word "Pradesh" occurs, it will include "Territorial", the word "District" will include "City" as required by the context.

<u>Rule Under Article III (iv) – Constituents – City Congress</u> <u>Committee :</u>

"The Pradesh Congress Committee, with the prior approval of the AICC President, will have the right to increase the number of District Congress Committees and freshly delineate the area and jurisdiction as also constitute City Congress Committee in the cities with population of over Five lakh. The City Congress Committee, thus, formed will have the status of a D.C.C.(Urban)."

Article IV

TERRITORIAL DIVISION

(a) Pradesh Congress Committees shall ordinarily be constituted in the Pradeshe's named below with the headquarters mentioned against each:

	Pradesh	Headquarters
1.	Andhra	Visakhapatnam
2.	Arunachal	Itanagar
3.	Assam	Guwahati
4.	Bihar	Patna
5.	Chhatishgarh	Raipur
6.	Delhi	Delhi
7.	Goa	Panaji
8.	Gujarat	Ahmedabad
9.	Haryana	Chandigarh
10.	Himachal	Shimla
11.	Jammu & Kashmir	Srinagar
12.	Jharkhand	Ranchi
13.	Karnataka	Bengaluru
14.	Kerala	Thiruvananthapuram
15.	Madhya Pradesh	Bhopal
16.	Maharashtra	Mumbai
17.	Manipur	Imphal
18.	Meghalaya	Shillong
19.	Mizoram	Aizwal
20.	Nagaland	Kohima
21.	Odisha	Bhubaneshwar
22.	Puducherry	Puducherry
23.	Punjab	Chandigarh

24.	Rajasthan	Jaipur
25.	Sikkim	Gangtok
26.	Tamil Nadu	Chennai
27.	Telangana	Hyderabad
28.	Tripura	Agartala
29.	Uttarakhand	Dehradun
30.	Uttar Pradesh	Lucknow
31.	West Bengal	Kolkata

(b) Territorial Congress Committees shall be constituted in the territories named below with the headquarters mentioned against each:

	Territory	Headquarters
1.	Andaman & Nicobar Islands	Port Blair
2.	Chandigarh	Chandigarh
3.	Dadra & Nagar Haveli	Silvassa
4.	Daman & Diu	Moti Daman
5.	Ladakh	Leh
6.	Lakshadweep	Kavaratti

- (c) The Pradesh Congress Committee may, with the prior sanction of the Working Committee, change its headquarters.
- (d) The Working Committee may, after ascertaining the wishes of the Pradesh Congress Committee or committees concerned, constitute a new Pradesh, abolish an existing Pradesh, merge any existing Pradeshes into one or assign to a Pradesh, a District or a portion or portions of a District from any other Pradesh.
- The Working Committee shall have the power to give representation in such manner as it thinks proper to areas in the Union of India as have not been included in the jurisdiction of any PCC and/or direct that such an area or part thereof be included in a neighbouring Pradesh.

Article V

MEMBERSHIP

- (A) (a) (i) Any person of the age of 18 or over, who accepts Article I, shall, on making a written declaration in a printed membership form until 31st December 2024 or digitally and on payment of Rs. 10.00 only as subscription for five years become a member of Congress, provided that he/she is not a member of any other political party, which has a separate membership, constitution and programme. With effect from 1st January 2025, all membership will be in digital form only;
 - (ii) No person shall be eligible to become a member except at his permanent place of residence or at a place where he carries on his business or work;
 - (iii) The term of membership, shall be from 1st of January of the year or from the date of enrolment of a member upto 31st of December of the following fifth year;
 - (iv) Permanent Register of members within their jurisdiction shall be maintained by every Block/ Constituency and City/Town Congress Committee physically until 31st December 2024 or in digital form with copies to the District Congress Committee, as per prescribed rules. With effect from 1st January 2025, permanent register of members shall be maintained in digital form only;
 - (v) Renewal of membership will be deemed to have been completed by depositing requisite membership fee;
 - (vi) PCC may opt for enrolment of members through digital method and also maintain the membership data in digital form accessible to the authorized persons in DCCs, PCCs and AICC. With effect from 1st January 2025, membership shall be digital only.

- (A) (b) (i) A person who has been a member for at least three years shall only be eligible to be elected as a delegate or an office bearer of any Congress Committee.
 - (ii) Any member, who becomes a delegate or an office bearer of District Congress Committee, Pradesh Congress Committee or AICC (including the Departments and Cells of PCC & AICC) shall deposit an annual amount as follows:-
 - DCC delegate or office bearer Rs. 500/-
 - PCC delegate or office bearer Rs. 1,000/-
 - AICC member or office bearer Rs. 3,000/-
- (A) (c) The Five year subscription paid under the foregoing provisions of Sub-clause (a) of this clause by members shall be distributed in the following proportions between the various Congress Committees:

AICC	10%
PCC	25%
DCC	25%
Subordinate CCs	40%

Note: 40% share of Membership subscriptions and deposits to be proportionately distributed amongst various Subordinate Congress Committees below the DCC shall be determined by the Pradesh Congress Committee concerned.

- (B) Every Member will have to fulfil the following conditions and make a declaration in Membership Form under his/her signature:
 - (a) He/She is the age of 18 and over;
 - (b) He/She is a habitual wearer of certified Khadi;

- (c) He/She abstains from use of psychotropic substances, prohibited drugs and intoxicants;
- (d) He/She neither believes in nor practices untouchability in any shape or form and undertakes to work for its removal;
- (e) He/She believes in an integrated society without distinction of religion or caste;
- (f) He/She undertakes and participates in tasks & projects for creation of public assets for the society, including shramdaan, blood donation camps, particularly for the deprived and poor sections, and conducts himself/herself in a manner to serve the cause of social justice, equality and harmony;
- (g) He/She has not violated the land ceiling laws nor has been convicted for an offence involving a heinous crime or moral turpitude;
- (h) He/She subscribes to and works for promoting the principles of secularism, socialism, social justice and democracy; does not, directly or indirectly, openly or otherwise, adversely criticize the accepted policies and programmes of the party on public platforms, except through inner party forum.
- (i) He/She shall subscribe to the periodicals approved by AICC.

(C) TRAINING FOR MEMBERS

- (1) Every Member shall undergo a minimum training as may be prescribed by the Working Committee.
- (2) No Member shall be entitled to contest for the election to:
 - (i) All India Congress Committee,
 - (ii) Pradesh Congress Committee,

- (iii) Executive of the District/City Congress Committee,
- (iv) Parliament, the State Legislature, Metropolitan Councils or Local Bodies contested on party ticket;

Unless he undertakes to undergo a minimum training as may be prescribed by the Working Committee.

(3) No person shall be selected for election on party ticket to Parliament, State Legislature and Local Bodies unless he is a Congress Member.

(D) RENEWAL OF MEMBERSHIP

Membership may be renewed by filling up the digitally membership Form.

<u>Rule Under Article V – Membership forms :</u>

- 1. The Pradesh Congress Committee shall print Membership forms physically until 31st December 2024 or enroll membership in digital format. PCC Executive may authorise DCCs in writing to print membership forms. Any DCC, printing the membership forms without such authorisation, shall be liable to disciplinary action. With effect from 1st January 2025, all membership shall be in digital form only.
- 2. Membership forms shall be serially numbered and in the case of those printed by DCCs, they should bear the name of the District concerned as well. Full details of forms so printed shall be supplied by the DCCs to the PCC before they are issued to subordinate Congress Committees. The Digital Forms shall also be similarly numbered.
- 3. All membership forms should be bound in books of 25 forms each.
- 4. The District Congress Committee shall be primarily

responsible for the enrolment of members in the district. The PCC shall issue membership forms to the DCCs which in turn shall issue them to the subordinate Congress Committees and through them to individuals. Not more than 1250 membership forms shall be supplied to an individual at a time. However, in the case of MPs, MLAs, MLCs, AICC members and PCC Office-bearers, 2500 membership forms may be supplied to such individuals at a time. More membership forms shall be supplied to individuals only when full account of the forms already supplied is rendered and the fees realised thereof are paid. The conditions prescribed above for filling up of physical membership form shall apply in the same manner to digital membership also.

- (a) If there are complaints against the subordinate Congress Committees that they are not making available enough membership forms, the DCC may issue them to individuals and may, if it deems fit, take disciplinary action against the committees concerned. If there are complaints that the DCCs are not issuing forms properly, the PCC shall directly issue forms to committees and individuals and may also take disciplinary action against the DCCs concerned.
- (b) Forms for enrolment of members shall in no case be issued to individuals who are not members of the Congress. The restriction of persons, who are not members of the Congress, not being permitted to enroll members shall apply equally to digital membership.
- 5. (a) When membership forms are issued to individuals or Committees, a signed acknowledgement shall be obtained in all cases and an undertaking to return the unused forms with proper accounts, whenever called upon to do so, should be obtained.
 - (b) When unused membership forms are returned by individuals or Committees a signed acknowledgement shall be issued.

- In the event of any individual failing to return the unused forms and/or accounts in time he shall be disqualified from contesting the organisational elections.
- (c) In the case of digital membership, it shall be the duty of the enroller to submit complete accounts. Any failure thereof shall result in disqualification from contesting the organizational elections.
- 6. (a) The PCC shall maintain register for the issue of membership forms showing the number of forms issued to each Committee or individual with their serial numbers and dates of issue and return of unused forms.
 - (b) The DCCs and the subordinate Congress Committees should also maintain similar registers.
 - (c) The PCC, DCC or the subordinate Congress Committees, as the case may be, shall maintain similar electronic records of digital membership, akin to the physical records described in 6 (a) and 6 (b) above.
 - (d) In order to give the Party a well informed and ideologically oriented cadre, the Congressmen at all levels shall participate in the training programms prescribed by the Congress Working Committee for Members from time to time.
- 7. No person shall be enrolled as a member by any Committee or individual unless he pays the full subscription and also fulfils the conditions laid down in Article V (B) of the constitution.
- 8. (a) The PCCs shall send to the AICC report of members enrolled during the year giving details of Membership figures within two months of the last date of enrolment for the corresponding year. Along with this report, the PCC shall also send the full quota of membership fees and Congress Fund due to the AICC as well as a list of

Members with full particulars.

- (b) Any Pradesh Congress Committee or its subordinate Committee which fails to comply with these rules shall be liable to disciplinary action.
- 9. Membership forms printed or issued for one District shall in no case be used in another District without obtaining the prior approval of the PCC concerned.
- 10. Area of enrolent of Members shall be confined to the Pradesh concerned.

Rule Under Article V(A)(a)(iv): Permanent Register for Members:

Permanent Register for Members within their jurisdiction shall be maintained by every Block/Constituency and City/Town Congress Committee. Copy of the Permanent Register shall be sent to the DCC in physical or digital form.

The register shall contain the following particulars in respect of each member:

- (i) Serial Number
- (ii) Name
- (iii) Male/Female/Transgender
- (iv) SC/ST/OBC/Minority
- (v) Father's or Mother's/Spouse's Name
- (vi) Permanent Address
- (vii) Present Address
- (viii) Age
- (ix) Occupation
- (x) Date of enrolment
- (xi) Voter ID Number

- (xii) Sl. No. and Name of Primary Unit
- (xiii) Form No. Date of Renewal of Membership
- (xiv) Term of Membership
- (xv) Date of deposit of Membership form
- (xvi) Remarks

Rule Under Article V(A)(a)(v) – Renewal of Membership:

Renewal of membership of a person will be deemed to have been completed by depositing subscription of Rs. 10/- as membership fee for 5 years. The deposit of fee shall be entered in the permanent register in the column specified for this purpose against the name of each member or shall be digitally recorded in the renewal of subscription form to be filled up digitally and submitted to the concerned DCC or PCC. The member depositing the fee shall be given a separate receipt of payment. Such receipt books shall be printed and supplied by the PCC.

Rule Under Article V (B) – Membership:

- 1. The following shall be the minimum tasks for Members under Article V(B)(f) of the Constitution:
 - (a) Enrolment of members;
 - (b) Collection of Congress Fund;
 - (c) To undertake Padyatras, house to house campaigns, shramdaan, blood donation camp and social sector projects including construction of streets/roads, chaupals, tree plantation, cleaning of slums, village sanitation and other such or similar campaigns prescribed by the respective Congress committees.
 - (d) Training Progammes of political and ideological study as directed by the Working Committee/AICC/PCC from time to time shall be applicable to Members, Office bearers of the

- organisational Committees and Party legislators. Failure to participate in the programmes so laid down may attract disqualification for holding office in the organisation.
- (e) Enrolment of subscriber to Congress periodicals published by any Congress Committee or any periodical recognised by the Pradesh Congress Committee concerned;
- (f) Work in the field of social reforms, such as work against dowry system, child marriage, and work for family planning etc.;
- (g) Members should use and encourage Swadeshi goods or articles to the maximum possible.
- (h) Members shall promote one or more of the following constructive activities:
 - (i) Spread of Education and Literacy
 - (ii) Stopping Usage of Drugs. Psychotropic Substances and Intoxicants
 - (iii) Promoting Khadi & Village Industry as also MSMEs
 - (iv) Organisation of Youth and Students
 - (v) Organisation of Labour and SHGs
 - (vi) Organisation of Kisans & Khet Mazdoors
 - (vii) Small Savings Campaign
 - (viii) Village sanitation, health and hygiene
 - (ix) Rashtrabhasha Prachar
 - (x) Promotion of Co-operatives
 - (xi) Work in the Constituencies
 - (xii) Seva Dal
 - (xiii) Providing service to persons suffering from Leprosy, HIV-AIDS, Cancer or other life-threatening diseases.

- (xiv) Empowerment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes
- (xv) Removal of untouchability
- (xvi) Work for National Integration work specially among minorities
- (xvii) Adult education and library movement
- (xviii) Sale of Party Literature
- (xix) Any special programme as may be laid down by the Working Committee from time to time.
- (xx) Work for equal rights of differently abled persons.

<u>Rule Under Article V (B) (i) – Subscription to Party Periodical</u> <u>for Membership:</u>

Every Member shall pay as subscription to the periodical 1. approved by the AICC, i.e. "CONGRESS SANDESH". The subscription amount shall have to be deposited along with his/her enrolment/renewal form. However, such of those persons who desire to become Members but can not afford to pay subscription for "CONGRESS SANDESH" along with his/her enrolment fee are permitted to pay the same within one year after their enrolment as Members. However, for the Members who get elected to any of the Committees, it shall be mandatory to enrol themselves as subscribers of the Congress Periodical i.e. "CONGRESS SANDESH". In the case of elected representatives like MPs, MLAs, MLCs, Panchayat Raj Members and all party functionaries at Block level and above subscribing to "CONGRESS SANDESH" is compulsory.

In cases where there are more than one Member in a family they will be granted exemption from subscribing to the "CONGRESS SANDESH" by each of the members in a family, any one Member of the same family shall subscribe to the "CONGRESS SANDESH". In such cases the BCC/DCC President is authorised to grant exemption for the rest of the members from paying this subscription.

2. Every Member of the PCC and AICC, Congress MPs, MLAs, MLCs and Congress members of Municipal Corporations shall also subscribe to National Herald on Sunday (English) or Sunday Navjivan (Hindi).

Article VI

TERM OF CONGRESS COMMITTEE

- (i) The term of every Congress Committee and of its Office Bearers, Executive Committee and members shall ordinarily be five years.
- (ii) The meetings of the DCCs, their Executive Committees and the PCCs and their Executive Committees shall ordinarily be held regularly within the stipulated time frame as prescribed in rules.
- (iii) No Office Bearer of the Party shall hold an office ordinarily for more than two consecutive terms at Block/District/PCC levels.

Article VI (A)

RESERVATION FOR SCs/STs/OBCs/MINORITIES/ YOUTH AND WOMEN

- (a) 50% of all delegates and office bearers in Intermediate Congress Committees, Blocks/City Congress Committees, District Congress Committees and Pradesh Congress Committees shall be reserved for SCs/STs/OBCs/Minorities, out of which half shall be members of SCs/STs.
- (b) Additionally, there shall be 50% reservation for persons below 50 years of age as also women, both in the reserved categories in clause (a) above as also in the unreserved category in the remaining 50%.

(c) In the elections/appointments of AICC delegates and office bearers the same principle as in (a) and (b) above, shall be followed to the extent possible.

Notwithstanding anything contained in the above provisions in the Article VI(A) (a), Article VI(A) (b) and Article VI(A) (c) the Congress President shall have the authority to relax the percentage of sectoral representations for the categories stated above.

Rule Under Article VI- Term of Congress Committee:

The term of Congress Committee shall be co-terminus with the period of Membership which has a five year term from the commencement of Membership and shall ordinarily function for five years or continue to function till the new Committee is elected as and when decided by the CWC.

Rule Under Article VI (ii) – Meetings of Congress Committees:

The General body of PCC shall meet at least once a year and Executive Committee at least once in 3 months. Similarly General bodies of DCC shall meet at least once a year and Executive Committee at least once in a month or as often as required. The Intermediate Committee (by whatever name called) and Block/Constituency Congress Committees shall meet every month.

Rule Under Article VI(A) (a) and (b) – Reservation for SCs/STs/ OBCs/Minorities/Youth and Women:

1. The election to Block Congress Committees from Primary Units shall be held as provided in the Constitution. For the purpose of election of the Executive Committee of the BCC, there shall be reservation of 50% for SCs/STs/OBCs/Minorities, out of which half shall be for SCs and STs. There shall be reservation for persons below 50 years of age, as also Women both in the 50% reserved category as also in the remaining 50% unreserved category. In case of shortfall in the requisite number of the reserved

categories of Members, the shortfall shall be made good by co-opting upto 25% of the total and the members so co-opted will have full voting rights to fulfil the constitutional requirements of Article VI (A)".

- 2. For the purpose of election of DCC Members by Block Congress Committees, 3 seats out of 6 shall be reserved for SCs/STs/OBCs/Minorities/Youth and Women.
- 3. For the election of members of the Congress Working Committee under Article XIX (a) of the Constitution, out of the 18 members to be elected by the AICC, not less than 6 members shall be elected from amongst SCs/STs/OBCs/Minorities/Youth and Women.

Among the total 35 members of Congress Working Committee (other than the President of the Congress, the Chairperson of the Congress Parliamentary Party, the Congress Prime Minister/Former Congress Prime Ministers, the Leaders of the Congress Party in Lok Sabha and Rajya Sabha and Former Presidents of the Congress Party), it shall be ensured that 50% representation is given to SCs/STs/OBCs/Minorities/ Youth and Women.

- 4. The Ballot paper for elections at all levels should be a common Ballot paper indicating the reserved category of each candidate.
- 5. The Ballot paper to be used in the elections to various bodies covering both Reservation category candidates and general category shall be the same.
- 6. At the time of counting in the first instance under both reserved categories, the Women and SCs/STs/Minorities and OBCs together, who have got the highest number of votes in the order of ranking, shall be declared elected. However, if any of them scores more than the rest of the general category candidates then such of the persons who

have scored higher than the general category candidates shall be treated as won/elected from general category and the rest of the seats in the reserved category will be decided on the basis of highest ranking in each of the reserved category separately so as to fill up the rest of the number of seats.

7. Wherever the word OBC occurs, it should also mean Backward Class (BC).

Article VII

REGISTER OF MEMBERS AND CONTRIBUTION TO PARTY FUND

1. Register:

- (a) Permanent Register of Members shall be maintained by the DCCs in physical and digital form. A copy of the Permanent Register duly certified by the DCC President shall be made available to the PCC, in physical and digital form, as the case may be. The DCCs will issue Identity Cards with photographs of the members pasted on the cards under signatures of the Presidents of the DCC and PCC concerned.
- (b) The Pradesh Congress Committee shall supply a duly certified copy of the Permanent Register of Members within their jurisdiction to the Office of the AICC in physical and digital form and keep it informed of any changes made therein from time to time.
- (c) The Register shall contain the full name, address, age, occupation, place of residence and date of enrolment of every member.
- (d) Membership shall cease by death, resignation, removal

or non-payment of contribution and non-renewal of membership.

2. Contribution to Party Fund by Members/Office-bearers/Elected Representatives:

Each Elected Representative of the Congress Party shall contribute to the Party Fund in following terms:-

- (a) Individual contribution by delegates/office-bearers/ members of the Congress party on regular or intermittent intervals or as per special drives undertaken by the party for specific causes in service of the people and in furtherance of its objectives.
- (b) Door to door and online donation drives to be undertaken by the Block/City/ Intermediate Congress Committee / DCCs with the prior permission of the respective PCC, as also by Pradesh Congress Committee and All India Congress Committee.
- (c) Income Tax payee members of the party to contribute Rs 1000/- every year.
- (d) Sarpanch/Head of the Gram Panchayat, Chairperson of the Block Samitis/Intermediate Samitis/Members and Chairperson of Zilla Panchayats shall contribute an amount equivalent to one month of their honorarium/salary, every year.
- (e) Members of the Parliament (Lok Sabha & Rajya Sabha), MLAs, MLCs shall contribute one month of their salary to the partyevery year.
- (f) Any other amount or contribution that the Congress Working Committee may decide by a specific resolution in this regard.

Rule Under Article VII(I) (a) and (c): Register of Members & Identity Cards:

1. Register:

The permanent register of Members which will be maintained by the DCC, in physical and digital form, shall contain the following particulars about each Member:

- (i) Serial Number
- (ii) Name
- (iii) Male/Female/Transgender
- (iv) SC/ST/OBC/Minorities
- (v) Father's/Mother's or Spouse's Name
- (vi) Address
- (vii) Age
- (viii) Occupation
- (ix) Place of residence
- (x) Form No....of Membership
- (xi) Voter ID Number
- (xii) Name of Subordinate Committee of which the applicant is member
- (xiii) Date of renewal of Membership
- (xiv) Term of Membership
- (xv) Remarks

The PCC will, however, on its own initiative or on appeal, scrutinise (delete or add) the Permanent Register of Members maintained by the DCC in physical or digital form.

2. Identity Cards:

The DCCs will issue Identity Cards to each Member with his photograph pasted on it. The card will bear signature of the President of the DCC and PCC concerned. For this purpose each Member shall submit a copy of his/her photograph of passport size to the DCC office.

3. Alterations in Registers:

Alteration in the lists of Members and register of Members, if any, necessitated by the decision of the Executive of the DCCs or PCCs as a result of disciplinary action taken, shall be recorded in red ink under the signature of the President or the Secretary of the Committee concerned, in physical and/or digital form.

Rule Under Article VII (2): Contribution to Party Fund by Members:

1. The contributions received from the members, delegates, office-bearers, elected representatives under the provisions of Article VII, except contributions by AICC members and Members of Parliament, will be distributed as under:

Reserved for Central Election Fund: 50%

AICC: 25%

PCC: 12.5 %

DCC: 12.5%

- 2. The PCC shall immediately send to the AICC its share of the contribution i.e., 50% for the Central Election Fund and 25% for the AICC. The PCC shall also send the share of the DCCs to the respective districts.
- 3. The Subordinate Congress Committees below the DCC may be paid share of the contributions as may be determined by the PCC concerned from out of the share of DCC.

Article – VIII

PRIMARY COMMITTEES AND QUALIFICATION OF VOTERS AND CANDIDATES

(a) Primary Committees:

The members of a basic unit will elect its President and an Executive Committee. The President shall fulfil the eligibility conditions specified in Article V(A) (b). The President shall appoint a Secretary from amongst the Members of the Executive Committee.

(b) Voters:

Every Member whose name is recorded in the Permanent Register maintained under Article V(A) (a) shall be entitled to vote in election of members of the subordinate Congress Committee.

(c) Candidates:

Only a Member who fulfills the eligibility conditions of Article V (A) (b) shall be eligible for election as a member of any Congress Committee other than a Primary Committee.

Rule Under Article VIII (a) - Primary Committee:

- 1. A Primary Committee will be the basic unit of the Organisation.
- 2. A Primary Committee shall, as far as possible, correspond to the area of territory falling under one Polling Booth or Polling Station in the General Elections.
- 3. All Members of the Primary Committee shall meet at an appointed time and place and elect the President, Vice-President and a Treasurer and the Executive Committee of the Primary Committee.
- 4. The President of the Primary Committee and the delegates

to the Block Congress Committee shall be elected from amongst the Members eligible under Article V (A) (b). Any Member can seek election to the Membership of the Executive Committee. The President shall appoint the General Secretary from amongst the Members of the Executive Committee.

5. The Election of the President, Vice President, Treasurer and Executive Members of the Primary Committee shall be by show of hands.

Rule under Article VIII(b) and VII(1)(a)- Preparation of Roll of Members:

- 1. The District Congress Committee shall before the 31st of March in every five years or at such time as the Congress Working Committee may decide, publish the preliminary roll of Members enrolled or renewed during the previous term. The revised and final roll, after scrutiny under Rules 1 and 2 of Article XXII of the constitution, shall be published not later than the 31st of May every fifth year or at such time as the Working Committee may decide.
- 2. The final roll published as above shall be in force till the next roll is prepared.

Article IX

SUBORDINATE CONGRESS COMMITTEE

(a) The PCC shall constitute a Subordinate Congress Committee for a Panchayat Development Block or Panchayat Samiti or Panchayat Union, as the case may be, and it shall be known by the name "Block Congress Committee".

Provided that in any urban or otherwise special area, a

Subordinate Congress Committee may be constituted for such territory as may be determined by the PCC with the previous approval of the Working Committee and such Committee shall also be known by the name "Block Congress Committee.

(b) The DCC may constitute 'Panchayat Congress Committee' for each Panchayat or a group of Panchayats within the jurisdiction of Block Congress Committee. For the Urban area, the DCC shall similarly constitute 'Ward Congress Committee'. The 'Panchayat and Ward Congress Committees' shall be subordinate to the Block Congress Committee.

The DCC shall also constitute 'Intermediary Congress Committee' for a group of Panchayats or wards, as the case may be. The Intermediate Congress Committee shall be subordinate to the Block Congress Committee.

- (c) Every primary committee shall be subordinate to the Block Congress Committee for the area. All other committees shall be subordinate to the District Congress Committee.
- (d) Every primary committee shall elect a delegate to the Block Congress Committee. A member who is enrolled in the basic unit shall be eligible to be a candidate, if he fulfills the eligibility conditions of Article V (A) (b). Such delegate shall be a member of the Block Congress Committee.
- (e) The Block Congress Committee shall consist of the Presidents of the Primary Committees subordinate thereto and the delegates elected by the Primary Committees.
- (f) Where there are other subordinate committees such as Panchayat Congress Committee or Ward Congress Committee, the President of such Committees shall be coopted as members of the Block Congress Committee.

- The Presidents of Intermediate Congress Committee shall be coopted as members of the Block Congress Committee.
- (g) The executive committee of Block Congress Committee shall also include the following as ex-officio members, in addition to the office-bearers of the Block Congress Committee:-
 - Presidents of Panchayat Congress Committee/ Ward Congress Committee/Intermediate Congress Committee.
 - MLA(s)/MLC(s)/MP(s) from the Block.
 - Congress Members elected as Chairpersons/ Members of Local Bodies, Cooperatives and Agricultural Marketing Committees from the Block
 - Heads of Frontals/ Departments/ Cells at the Block Level.
- (h) The executive committee of District Congress Committee shall also include the following as ex-officio members, in addition to the office-bearers of the District Congress Committee:-
 - Presidents of Block Congress Committees.
 - MLA(s)/MLC(s)/MP(s) from the District.
 - Congress Members elected as Chairpersons/ Members of Municipal Council/ Committee/ Corporations, Chairman/Members of Zila Panchayat, Chairman of Panchayat Samiti/ Intermediate elected bodies (by whatever name known), Chairman/ Members of District Cooperative Banks and other such District level Marketing Committees of the District.
 - Heads of Frontals/ Departments/ Cells at the District Level.

Rule Under Article IX – Subordinate Congress Committee:

- 1. Every Primary Committee subordinate to the Block Congress Committee shall be entitled to elect one Member to the Block Congress Committee, provided however, that there shall be at least 25 Members in that Primary Committee. The election shall be by show of hands and declaration of results shall be by a simple majority.
- 2. A Subordinate Congress Committee will be deemed to have been constituted provided at least 50% of its Primary Committees have duly enrolled the requisite number of Members.
- 3. The Working Committee shall have the authority to relax the conditions prescribed in any of the Rules above in any special circumstances.

Rule Under Article IX(b)- Intermediate Committee:

The Presidents of the Booth Committee, the Presidents of the Panchayat Congress Committees or the Ward Congress Committees, as the case may be, shall be part of the executive of Intermediate Congress Committee (by whatever named called). The Intermediate Congress Committee shall comprise of a President, Vice President(s), General Secretary(s), a Treasurer and Secretary(s).

Article X

DISTRICT CONGRESS COMMITTEE

A DCC shall cover an area prescribed by the PCC in its Constitution and shall consist of:

(a) Six members elected by secret ballot by each Block

- Congress Committee to the DCC as per rules prescribed by the Working Committee;
- (b) All ex-Presidents of the DCC who have completed a full term of 365 days and have continued to be Members;
- (c) Members of the PCC who reside in or have been elected from the District;
- (d) Presidents of the Block Congress Committee, provided that they shall not be eligible to become either President or Secretary of the DCC;
- (e) Members of the Congress Legislature Party, both Central and State, from the district, provided that they are Members;
- (f) Leaders of the Congress parties in Municipal Corporations, Municipalities and District Boards/Zila Parishads or Janpads in the Districts, provided that they are Members;
- (g) Members co-opted by the DCC Executive as per rules prescribed by the Working Committee.

Rule Under Article X – District Congress Committee

- 1. (a) A candidate for election to a District Congress Committee need not necessarily be a member of a subordinate Congress Committee. Only a Member shall be entitled to be a candidate.
 - (b) A candidate for election to a District Congress Committee should ordinarily be resident of the District concerned.
 - (c) Voting in the election of Members of a District Congress Committee by the unit members of the subordinate Congress Committee shall be by ballot.
- 2. Special categories of persons, not adequately represented mentioned in Sub-Clause (g) of Article X, shall be co-

opted by the Executive of the District Congress Committee from (i) Women, (ii) Scheduled Castes and Scheduled Tribes, (iii) Minorities, (iv) Trade Unions, (v) Indian Youth Congress, (vi) National Students' Union of India, (vii) Congress Seva Dal and (viii) persons having special knowledge or practical experience in respect of literature, science, arts, social services etc. in the proportion of 15 per cent of the members of a DCC coming under clause (a) of Article X provided that in case of co-option of Youth Congress Workers, no person who is more than 30 years shall be eligible for such co-option.

Article XI

PRADESH CONGRESS COMMITTEE

- A. A Pradesh Congress Committee shall consist of:
 - (a) Members Elected by the Block Committees;
 - 1. Every Block Congress Committee shall elect by secret ballot, a delegate to the PCC and such delegate shall be a member of the PCC.
 - 2. A Member ordinarily resident or having his place of business, occupation or profession within the area of the PCC would be eligible to be a candidate for election as delegate from any Block Congress Committee within the area of the said PCC, Provided that.
 - (i) Conditions and conduct of elections will be in accordance with the rules prescribed by the Working Committee;
 - (ii) In the following Pradeshes and Union Territories the number of elected members of the Pradesh/Union Territory Congress Committees shall be equal to the number of Members of the Provincial/Territorial Legislative Assembly:

- 1. Arunachal, 2. Goa, 3. Manipur, 4. Meghalaya,
- 5. Mizoram, 6. Nagaland, 7. Puducherry, 8. Sikkim 9. Tripura.
- (iii) From the Territoral Congress Committees of Andaman & Nicobar Islands, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep, Chandigarh and Ladakh Territories there shall be twenty five members each.
- (b) Ex-Presidents of the PCC who have completed a full term of 365 days and have continued to be Members;
- (c) Presidents of the DCCs provided that they shall not be eligible to become either President or Secretary of the PCC;
- (d) AICC members who reside in the Pradesh;
- (e) Members elected by the Congress Legislature Party at the rate of 5% of the number of PCC or TCC members subject to a maximum of 15;
- (f) Members co-opted by the PCC Executive from special categories of persons not adequately represented and others in accordance with the rules prescribed by the Working Committee.
- (g) That in addition to clauses (a) to (f), the following shall be ex-officio members of the PCC-
 - Congress Chief Minister and Former Chief Minister(s), who continue to be members of the Congress party,
 - Chairperson(s) of the Zilla Panchayat(s)/Zilla Parishad(s) who have been elected on the symbol of the Congress party,
 - President(s) of the Municipal Corporation(s) who

have been elected on the symbol of the Congress party.

- President(s) of the State Cooperative Bank and State level Marketing Societies, who have been elected on the symbol of the Congress party.
- B. Every member and office bearer of the PCC shall pay an annual fee of Rs. 1000/- [as stipulated under Article V (A) (b) (ii)] to the PCC of which 50% shall be remitted to the AICC as delegate fees.

He shall receive a certificate duly signed by a Secretary of the PCC that he is a member and has collected Congress Fund.

Any member, who fails to pay his subscription shall forfeit his right to exercise the functions of member, including the right to attend any meeting of the PCC, till such dues are cleared. The PCC shall forward to AICC Office a certified list of Members not later than the date fixed by the Working Committee in that behalf.

Note: The PCC will decide the proportion in which the Congress Fund may be distributed among Subordinate Congress Committees.

- C. Every Pradesh Congress Committee shall coordinate the activities of the frontal organisations and shall:
 - (a) Ordinarily function through the District Congress Committees;
 - (b) Submit to the Working Committee an annual report of the work done by the Congress Organisation in the Pradesh including audited balance sheets;
 - (c) Pay to the AICC the share due to it out of the members' fees vide Article V(A) (c) and Clause B above, before a date to be fixed by the Working Committee.

- D. The Pradesh, which has not completed the formation of the PCC on or before the date fixed by the Working Committee may, at the discretion of the Working Committee, be disentitled to be represented at the Congress Session.
- E. On the failure of any Pradesh Congress Committee to function in terms of the Constitution or in accordance with the direction of the Working Committee, the Working Committee may suspend the existing PCC and form an adhoc Committee to carry on Congress work in the Pradesh.
- F. Congress Committee/TCC/Regional Pradesh Congress Committee shall, in accordance with the directions/guidelines issued by the Working Committee of the AICC, constitute a Trust for holding immovable properties belonging to such PCC/TCC/RCC and also the properties belonging to Congress Committees namely District Congress Committee, Block Congress Committee and other Committees subordinate to a PCC/TCC/RCC. The Board of Trustees of the said Trust shall not be less than 3 trustees nor more than 9 trustees including the Chairman and the other ex-officio Trustees. The Board of Trustees shall be appointed by PCC/TCC/RCC and shall comprise of persons as approved by the Working Committee of the AICC. The President of the PCC/TCC/RCC shall be the Chairman ex-officio of the Trust. The Treasurer of the AICC and General Secretary AICC Incharge of the concerned PCC/TCC/RCC shall be ex-officio members of the Board. The term of the Board of Trustees other than the Chairman and the two ex-officio Trustees shall be for five years. The properties shall be held in the name of the said Trust and if that be not possible in a certain case/cases, then in such manner as directed by the Working Committee of the AICC.
- G. That AICC President may constitute a 'Political Affairs Committee' of the PCC in order to coordinate the political activities as also to deliberate the important policies issues and provide guidance thereon.

Rule Under Article XI(A) – Pradesh Congress Committee:

- 1. Election of members to the Pradesh Congress Committee under sub-clause (a) of Article XI(A) shall be as follows:
 - (a) All members of the Block Congress Committee, which forms the Delegate constituency, shall meet at an appointed time and place for the election and each member shall be entitled to vote for one of the candidates. The election result shall be declared by simple majority.
 - (b) The voting, if necessary, shall be by secret ballot.
 - (c) A candidate for election to the Pradesh Congress Committee need not necessarily be a member of subordinate Congress Committee.
 - (d) A delegate constituency shall be entitled to elect its delegate provided that Block Congress Committee members have been duly elected in at least 50 per cent of its basic units.
- 2. The special categories of persons not adequately represented mentioned in sub-clause (f) of clause (A) of Article XI shall be co-opted by the Executive of the Pradesh Congress Committee from (i) Women, (ii) Scheduled Castes and Scheduled Tribes, (iii) Minorities, (iv) Trade Unions, (v) Indian Youth Congress, (vi) National Students' Union of India, (vii) Congress Seva Dal and (viii) persons having special knowledge or practical experience in literature, science, arts, social services etc. in the proportion of 15 per cent of the members of the PCC coming under sub-clause (a) provided that in the case of co-option of Youth Congress workers, no person who is more than 30 years shall be eligible for such co-option.
- 3. Election of members to a Pradesh Congress Committee under sub-clause (e) of Article XI(A) shall be as follows:

The Legislature Congress Party shall elect to the PCC 5 per cent of the total number of PCC or TCC members subject to the maximum of 15 by proportional representation according to the system of single transferable vote.

Rule Under Article XI(B) – Collection of Congress Fund:

Every PCC member or office bearer shall undertake a campaign for collection of Congress Fund as directed by PCC or AICC and this may be collected against coupons of such denomination that the PCC or AICC may print and supply or against the receipt books that be supplied by the concerned PCC and full accounts thereof shall be rendered to the PCC and AICC.

Rule Under Article XI(F) – Board of Trustees in Pradeshes:

In case any Trustee appointed under the provision of Article XI (F) ceases to be a member of the Party, his/her seat in the Board of Trustees shall automatically fall vacant and President of the Indian National Congress shall appoint a new Trustee to fill-up the vacancy thus caused at the level of PCC. In the case of Board of Trustees at lower level i.e. District, Block or Village level, the PCC President shall appoint the new Trustees to fill up the vacancies thus caused and obtain concurrence from the Congress President.

Article XII

DELEGATES

All members of the Pradesh Congress Committees shall be delegates to the Indian National Congress.

Article XIII

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

- A. The All India Congress Committee shall consist of:
 - (a) One-sixth of the number of the PCC members elected by them from amongst themselves by proportional representation according to the system of single transferable vote, provided that the number is not less than five; however four member each shall be elected from Chandigarh, Andaman & Nicobar, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Ladakh TCCs;
 - (b) Congress Prime Minister and former Congress Prime Minister(s);
 - (c) Ex-Presidents of the Indian National Congress, who have continued to be members of the Congress;
 - (d) Presidents of the Pradesh Congress Committees and Chairman of the North East Coordination Committee provided that they shall not be eligible to become an office-bearer of AICC;
 - (e) Chairperson of the Congress Parliamentary Party and Leaders of the Congress Party in Lok Sabha and Rajya Sabha;
 - (f) Leaders of the Congress Party in the Legislatures, both in State Legislative Assemblies and Legislative Councils as also leaders of the Congress Party in Legislative Assemblies in Union Territories and Metropolitan Councils.
 - (g) 15 members elected by the Congress Party in Parliament according to the system of single transferable vote;
 - (h) Members co-opted by the Working Committee from special categories of persons not adequately represented and others in accordance with the rules prescribed by the Working Committee.

- B. (a) The President of the Congress shall be the President of the All India Congress Committee.
 - (b) The AICC shall arrange for the implementation of the Programme of the work laid down by the Congress and shall have powers to deal with matters and situations that may arise during its term of office.
 - (c) The AICC shall have power to frame rules, not inconsistent with this Constitution, for regularising all matters connected with the Congress which shall be binding on all subordinate Congress Committees.
 - (d) The AICC shall meet as often as required by the Working Committee, but at least once in a year, or on a joint requisition addressed to the Working Committee by not less than 20% of the total number of AICC members having full voting rights. Such requisition shall specify the purpose for which the requisitionists desire a meeting of the AICC. A requisitioned meeting shall be held within 2 months of the receipt of the requisition, provided that not more than one requisition can be moved in one year. At any requisitioned meeting, additional items of business may be brought up by the Working Committee for consideration.
 - (e) At all meetings of the AICC other than requisitioned meetings, at least 2 hours shall be allotted for consideration of proposition of which due notice has been given by the members of the AICC in accordance with the rules prescribed in that behalf.
 - (f) One hundred or one-fifth of the total number of members, whichever is less, shall form the quorum for a meeting of the AICC.
 - (g) Every member of the AICC shall pay an annual subscription of Rs. 3000/- [as stipulated under Article V (A)(b) (ii)] and shall obtain a receipt thereof. He shall receive a certificate of his membership duly signed by one of the Secretaries of

the AICC. Any member who fails to pay his subscription shall forfeit his right to take part in any of the meetings of the AICC, Subjects Committee or any Congress Session till such dues are cleared up.

H. Notwithstanding anything contained in the Articles and Rules, the AICC President shall have the authority to relax the provisions thereof.

Note: A member of the AICC need not collect fund for PCC also.

Rule Under Article XIII(A) – All India Congress Committee:

1. Election of members of the All India Congress Committee under Sub-clause (g) of Article XIII(A) shall be as follows:

The Congress Party in Parliament shall elect from amongst its MPs 15 members to All India Congress Committee by proportional representation according to the system of single transferable vote. In case a Member so elected ceases to be a Member of Parliament, his/her membership of the AICC under Article XIII (A) (g) will also cease.

2. The special categories of persons not adequately represented mentioned in Sub-clause (h) of clause (A) of Article XIII shall be co-opted by the Working Committee from (i) Women, (ii) Scheduled Castes and Scheduled Tribes, (iii) Minorities, (iv) Trade Unions, (v) Indian Youth Congress, (vi) National Students' Union of India, (vii) Congress Seva Dal and (viii) persons having special knowledge or practical experience in literature, science, arts, social services etc. in the proportion of 15 per cent of the members of the AICC coming under sub-clause (a) provided that in the case of co-option of Youth Congress Workers, no person who is more than 30 years shall be eligible for such co-option.

<u>Rule Under Article XIII(B) Sub-Clause (d): Reception</u> <u>Committee for AICC Meetings:</u>

- 1. The Pradesh Congress Committee, in whose jurisdiction the AICC meeting is held, shall make such arrangements for holding the meeting as may be deemed necessary, and for the purpose, shall form a reception committee which shall work under its general guidance and which may include therein persons who are not its members.
- 2. The Reception Committee shall elect its Chairman and other office-bearers from amongst its own members.
- 3. The Reception Committee shall collect funds for the expenses of the meeting and shall make all necessary arrangements for the reception and accommodation of the members. It may also make necessary arrangements for the visitors.
- 4. The receipts and disbursements of the Reception Committee shall be audited by an auditor or auditors, appointed by the Pradesh Congress Committee and the statement of account together with the audit report shall be submitted by the Pradesh Congress Committee to the AICC office, within four months after the meeting. Any surplus funds remaining with Reception Committee shall be divided equally between the AICC and the Pradesh Congress Committee.

Rule Under Article XIII(B), Sub-Clause (e): Non-official resolutions for AICC:

Members, who wish any propositions to be considered by the AICC should send such propositions in writing so as to reach the AICC Office at least 15 days prior to the date of the meeting.

Rule Under Article XIII(B), Sub-Clause (g): Collection of Funds by AICC Members:

Every AICC member shall undertake collection of the Congress Fund as desired by AICC and this may be collected against coupons of such denomination that the AICC may print and supply or against the receipt books that may be supplied by the AICC and full accounts thereof shall be rendered by the member to the AICC.

Article XIV

CO-OPTED MEMBERS

The Working Committee and the Executive Committee at Pradesh and lower levels may co-opt upto 25% of the total membership of the AICC, PCC and other lower Committees concerned as per rules prescribed by the Working Committee for giving representations to the sections not adequately represented amongst the elected members of the AICC. The Co- opted members at the AICC, PCC and lower levels shall not exercise any voting right in any organisational election nor shall they contest any election in the organisation, however, no person who is a co-opted member shall be debarred for that reason from seeking election to full membership of any Committee in normal manner.

Article XIV-A

EX-OFFICIO MEMBERS

All elected members of the local bodies (Rural & Urban), Cooperative bodies, Agricultural marketing bodies, Legislative Assembly, Legislative Council and Parliament, who are members of the Congress Party shall become Ex-Officio members of the corresponding Congress Committee as specified in the rules.

Rule under Article XIV (A) - Ex.-Officio Members :

- (A) (i) The members of the Gram Panchayats, the members of the Municipal Committees and the Members of the Block Panchayats shall be Ex-Officio members of the primary Congress Committee.
 - (ii) The members of Zila Parishads, President of the Block Panchayat, President of the Nagar Palika, President of the Block Level Cooperatives and Agricultural Marketing Bodies shall be Ex-Officio Members of the Block Congress Committee.
 - (iii) The Presidents of Zila Parishads, The Presidents of the District Level Cooperative bodies, The Presidents of the District Level Agricultural Marketing Bodies and Mayors of the Municipal Corporations shall be Ex-Officio Members of the District Congress Committees.
 - (iv) All the members of the Legislative Assembly and of the Legislative Council shall be Ex-Officio members in the Block Congress Committees, District Congress Committees in their Assembly segment and respective Pradesh Congress Committee.
 - (v) All the members of Parliament shall be Ex-Officio members of the Block Congress Committees and, District Congress Committees falling within their Parliamentary Constituency, respective Pradesh Congress Committee and All India Congress Committee.
- (B) Ex-Officio members shall not exercise any voting rights in any election held in the respective Committees but they shall be allowed to participte in decision making discussions and vote on the resolutions.

Article XV

SUBJECTS COMMITTEE

- (a) The Subjects Committee shall consist of:
 - (i) The President of the All India Congress Committee.
 - (ii) The Members of the Working Committee.
 - (iii) Permanent Invitees and Special Invitees of the Working Committee.
 - (iv) The Presidents of all Pradesh Congress Committees.
 - (v) All Leaders of Congress Legislature Party in Legislative Assembly and Legislative Council, if any;
 - (vi) The Chiefs of all Frontal Organizations of the AICC and the President of the Indian National Trade Union Congress;
 - (vii) Office bearers of the Congress Parliamentary Party;
 - (viii) The Chairman of the North East Coordination Congress Committee.
- (b) The Subjects Committee shall meet under the Chairmanship of the President prior to the Congress Session. The Working Committee or, in case a new President has been elected before the Session and there is no Working Committee appointed by him functioning, a Steering Committee, appointed by the President, shall submit to the Subjects Committee the programmes of work, including draft resolutions for the Congress Session. The draft resolutions shall be made available to the members of the Subjects Committee atleast two weeks before the meeting. While drafting the resolutions, the Working Committee or the Steering Committee shall take into consideration the resolutions recommended by the Pradesh Congress

- Committee and resolutions given notice of by the Members of the Subjects Committee.
- (c) The Subjects Committee shall proceed to discuss the programme and shall frame resolutions for being moved in the Open Session. As far as possible, four hours shall be allotted for the consideration of propositions of which due notice has been given by the Pradesh Congress Committee.

Article XVI

PLENARY CONGRESS SESSION

- (a) A Session of the Congress shall ordinarily be held once in five years at the time and place decided upon by the Working Committee or the AICC as the case may be.
- (b) A Congress Session shall consist of the President of the Congress and all other delegates.
- (c) (i) A Congress Session shall consider resolutions recommended to it for adoption by the Subjects Committee in the first instance.
 - (ii) Thereafter the Session shall take up any substantive motion not included in (i) above, but which 40 delegates have before the commencement for the day's sittings, requested the President in writing to allow them to place before the Congress; provided, however, that no such motion shall be allowed unless it has been previously discussed at the meeting of the Subjects Committee and received the support of atleast a third of the members then present at the Subjects Committee meeting.
- (d) The Pradesh Congress Committee, in whose jurisdiction the Congress Session is held, shall make such arrangements for holding the Congress Session as may be deemed

necessary, and for the purpose shall form a Reception Committee which shall work under its general guidance and which may include therein persons who are not its members.

- (e) The Reception Committee shall elect its Chairman and other Office-Bearers from amongst its own members.
- (f) The Reception Committee shall collect funds for the expenses of the Session and shall make all necessary arrangements for the reception and accommodation of delegates. It may also make necessary arrangements for the visitors.
- (g) The receipts and disbursements of the Reception Committee shall be audited by an auditor or auditors appointed by the Pradesh Congress Committee, and the Statement of Accounts together with the audit report shall be submitted by the Pradesh Congress Committee to the Working Committee, within six months of the conclusion of the Congress Session. Any surplus funds remaining with the Reception Committee shall be divided equally between the AICC and the PCC.

Article XVII

SPECIAL SESSION

- (a) A Special Session of the Congress shall be held in case the AICC so decides or if majority of PCCs, through their resolutions, request the President of the Congress to convene such a Special Session.
- (b) Such a Session shall be organised by the PCC of the Pradesh selected for holding the Session.

Article XVIII

ELECTION OF THE PRESIDENT

- (a) The Chairman of the Central Election Authority will be the Ex-Officio Returning Officer for the election of the President.
- (b) Any hundred delegates may jointly propose the name of any delegate for election as President of the Congress. Such proposals must reach the Returning Officer on or before the date fixed by the Working Committee.
- (c) The Returning Officer shall publish the names of all persons so proposed and it shall be open to any person whose name has been so proposed to withdraw his candidature within seven days of the proposed names by writing to the Returning Officer to that effect.
- (d) After eliminating the names of those who have withdrawn, the Returning Officer shall immediately publish the names of the remaining candidates and circulate them to the Pradesh Congress Committees. If, after elimination, there remains only one candidate, he shall be declared duly elected as President of the next Congress Session.
- (e) On a date fixed by the Working Committee, which shall not ordinarily be less than seven days after the final publication of the names of contesting candidates, each delegate shall be entitled to record, for the election of a President, his vote in the following manner: On the voting paper which shall exhibit the names of the candidates, the delegate shall, if there are only two candidates, record his vote for one of them. If there are more than two candidates, the delegate shall record atleast two preferences by writing the figures 1,2 etc. against the names of the candidates voted for. In such a case, he may give more than two preferences if he wishes to do so but any voting paper showing less than two

- preferences will be regarded as invalid. The voting paper shall be deposited in a ballot box provided for the purpose.
- (f) The Pradesh Congress Committees shall immediately forward the ballot boxes to the AICC.
- (g) As soon as may be after the receipt of the ballot boxes, the Returning Officer shall count the votes of the first preferences recorded for each candidate. If a candidate secures more than 50 per cent of the votes of the first preferences, he shall be declared elected as President. If no candidate secures more than 50 per cent of the first preferences, candidate who has secured the smallest number of first preferences shall be eliminated, and the second preferences recorded by the voters who gave him the first preferences shall be taken into account in counting the votes of the remaining candidates. In this counting the candidate who secures the smallest number of votes shall be eliminated. By this process of eliminating the candidates who secure the smallest number of votes in subsequent counting after the transfer of votes according to recorded preferences, the candidate who secures more than 50 per cent of the votes, shall be declared elected as President.
- (h) In the event of any emergency by reason of any cause such as the death or resignation of the President elected as above, the Senior most General Secretary will discharge the routine functions of the President until the Working Committee appoints a provisional President pending the election of a regular President by the AICC.
- (i) The President shall preside over the Session of the Congress held after his election and during his term of Office and he shall exercise all the powers of the Working Committee when it is not in session.

Article XIX

WORKING COMMITTEE

- The Working Committee shall consist of the President (a) of the Congress, the former Congress President(s), the Leader of the Congress Parliamentary Party in Parliament, the Congress Prime Minister and former Congress Prime Minister(s), the leader of Congress Party in Lok Sabha and Rajya Sabha and 35 other members of whom 18 members will be elected by the AICC, as per rules prescribed by the Working Committee and the rest shall be appointed by the President. The President shall appoint a Treasurer and one or more General Secretaries from amongst the members of the Working Committee. The President will have power to appoint one or more Secretaries / Joint Secretaries from elected members of the AICC. The Secretaries / Joint Secretaries will discharge the duties as may be assigned to them by the President. Ordinarily members of the Working Committee will be appointed from amongst the members of the AICC but in special cases, delegates who are not members of the AICC may be appointed; provided however, that a delegate so appointed shall cease to be a member of the Working Committee if he is not elected as member of the AICC within six months of his appointment.
- (b) The Quorum for the Meeting of the Working Committee shall be 12.
- (c) The Working Committee shall be the highest executive authority of the Congress and shall have the power to carry out the policies and programmes laid down by the Congress and by the AICC and shall be responsible to the AICC. It shall be the final authority in all matters regarding interpretation and application of the provisions of this Constitution.
- (d) The Working Committee shall place before every meeting

of the AICC a report of the proceedings of the previous meeting of the AICC and also the agenda of business for the meeting and shall allot time for non-official resolutions of which due notice may have been given by the members of the AICC in accordance with the rules prescribed in that behalf.

- (e) The Working Committee may appoint one or more auditors or inspectors or other officers to examine the records, papers and account books of all Congress Committees and organisations. It shall be incumbent on all such Committees and organisations to furnish all the required information to the auditors, inspectors or other officers and to give them access to all offices, accounts and other records.
- (f) The Working Committee shall have the power:
 - (i) to frame rules for the proper working of the organisation. Such rules shall, as early as possible, be placed for the consideration of the AICC;
 - (ii) to issue instructions not inconsistent with the Constitution and frame rules in all matters not otherwise provided for;
 - (iii) to superintend, direct and control all Pradesh Congress Committees and Subordinate Committees as well as the Reception Committees;
 - (iv) to take such disciplinary action as it may deem fit against a Committee other than the AICC or an individual;
 - (v) in special case, to relax application of provision under Articles V(A) (a) (i), V(B), VIII (b) and VIII (c).
- (g) The Working Committee shall have the accounts of the AICC audited annually by an auditor or auditors appointed by the AICC every year.

- (h) The Working Committee shall fix the date by which the formation of Subordinate, District, Pradesh and All India Congress Committees shall be completed.
- The Working Committee shall constitute a Trust for (i) holding immoveable properties belonging to the All India Congress Committee. The Board of Trustees of the said Trust shall be appointed by the Working Committee and shall comprise of not less than five nor more than nine Trustees including the Chairman and the other ex-officio Trustees. The President of the Congress shall be Chairman (ex-officio) of the Trust and the Treasurer of the AICC and the General Secretary Incharge of Administration of AICC shall be ex-officio members of the Board. The term of the members of the Board of Trustees other than the Chairman and the two other ex-officio Trustees shall be five years. The properties shall be held in the name of the said Trust and if that be not possible in a certain case/cases, then in such manner as directed by the Working Committee.
- (j) To meet any special situation, the Working Committee shall have the power to take such action in the interest of the Congress as it may deem fit; provided however that if any action is taken which is beyond the power of the Working Committee as defined in this Constitution, it shall be submitted as early as possible to the AICC for ratification but not later than six months.

Rule under Article XIX (a): Working Committee:

Procedure for election of 18 members of the Working Committee:

A. Nomination:

- 1. Only a member of the All India Congress Committee with full voting rights shall be entitled to contest the election to the Working Committee.
- 2. Nominations should be proposed and seconded by at least

- 12 members of the All India Congress Committee with full voting rights.
- 3. A member of the AICC can propose as many as 18 members for the membership of the Working Committee.
- 4. Nomination paper should signify the consent of the candidate proposed.

B. Method of Voting:

- 1. Voting shall be by ballot.
- 2. A voter can record on the ballot paper as many as 18 votes. Provided that not more than one vote shall be cast in favour of each candidate.
- 3. A ballot paper shall be rendered invalid if a voter records more than eighteen votes on the ballot papers.
- 4. The first 18 candidates, securing the highest number of votes, shall be declared elected.
- 5. These election rules shall apply mutatis mutandis to the by elections that may be caused.
- 6. Ballot papers for this election shall indicate whether the candidate belongs to the reserved category i.e. women, SC/ST/OBC/Minority.
- 7. The above rules framed under Article XIX (a) shall be read with the rules framed under Article VI (A) (a) and (b) regarding reservation for women, Youth, SC/ST/OBC/Minorities and made applicable for the purpose of ensuring reservation for the above mentioned categories.

Rule under Article XIX (i) - Board of Trustees at AICC level:

In case a Trustee of the Board of Trustees leaves the Party or tenders resignation, his/her seat in the Board of Trustees shall automatically fall vacant and President of the Indian National Congress shall appoint a new Trustee to fill-up the vacancy thus caused

DISCIPLINARY RULES

1. Authorities who can take disciplinary action under Article XIX (f) (iv):

Subject to the following restrictions, the Working Committee, Executives of the PCC, TCCs, and Executives of the DCC's can take action against a Congress Committee who commits breach of discipline:

- (a) The Working Committee can take action against any Congress Committee and any individual Congressman, but not against the All India Congress Committee.
- (b) The Executive of a PCC can take action only against Committees subordinate to it and individuals other than members of the AICC and members of Parliament in whose case it can only make recommendations to the Working Committee for disciplinary action.
- (c) The Executive of a DCC can take action only against Committees subordinate to it and members of the DCC and of its subordinate Committees provided that the DCC can not take such action against a person who is a delegate or a member of a Legislature. In such cases it can only make recommendations to the competent authority for taking disciplinary action.

2. Delegation of authority under Article XXVII (b):

The Working Committee shall be competent to delegate its authority to a sub-committee under Article XXVII (b) but neither the Executive of a PCC, TCC nor of a DCC shall delegate its powers. However, the Executive of a PCC, TCC and the Executive of a DCC may constitute sub-committees to examine cases for disciplinary action coming before it and to make recommendations to the Executive Committee concerned.

3. Power of Suspension:

- (a) The Congress President can place under suspension any Committee subordinate to the AICC and any member of the Congress, if there is a prime facie breach of discipline. The President should place this matter before the next meeting of the Working Committee.
- (b) The President of the PCC can place under suspension any Committee subordinate to the PCC, any member of the PCC or Committee subordinate to the PCC, but not a member of Parliament or AICC, if there is a prima facie breach of discipline. All such cases of suspension and subsequent decision thereon shall be reported to the AICC Office within a week from the date of such suspension or decision. But he should place the matter before the next meeting of the Executive of the PCC and proceedings should be initiated so as to dispose of disciplinary action case within one month of the suspension order.

4. Breach of Discipline:

Breach of discipline includes the following:

- (a) Deliberately acting or carrying on propaganda against the programmes and decisions of the Congress;
- (b) Deliberately disregarding rules or disobeying orders passed by any competent authority;
- (c) Indulging in fraudulent action relating to Congress funds, enrolment of members or election to Committees;
- (d) Being guilty of offences involving moral turpitude, black marketing, adulteration, bribery, corruption, forgery, embezzlement of Congress funds or dealing in liquor;
- (e) Deliberately acting in a way calculated to lower the prestige of the Congress or carrying on propaganda against Congress Committees or office-bearers thereof.

5. Notices:

- (a) No disciplinary action shall be taken without an opportunity being given, with at least two weeks notice to the Committee or individual concerned, to explain its or his/her case and answer such charges as are made against it or him/her. However, the Working Committee can reduce the period of notice when it deems fit to do so.
- (b) Notice can be issued at the instance of the President of the Committee, competent to take disciplinary action, provided that he feels there is a prima facie breach of discipline against the Committee or person concerned.

6. Punishment:

Following punishment is prescribed:

- (a) In the case of a Congress Committee, supersession of such a committee and such other action against offending individual members as may be necessary.
- (b) In the case of an office-bearer or member of any Congress Committee, his removal from office of membership and fixation of a period during which he can not be elected or nominated to any office or membership in any Committee or enrolled as member.
- (c) In the case of a Member, his removal from membership and disqualification from membership for a specified period.

Provided that if any person against whom disciplinary action has been taken and punishment awarded, is a member of any local body, legislature, Parliament or holds any other position by virtue of his being a Congressman, he may also be called upon to resign from such bodies.

7. Report of Disciplinary Action:

Any disciplinary action taken either by the Executive of the DCC or the PCC shall be reported to the PCC and the Working Committee respectively within a week of such action.

8. Appeal

- (a) It shall be open to any Congress Committee or person, against whom disciplinary action is taken, to appeal to the Working Committee in the case of decisions of the PCC Executive and to the PCC Executive in the case of decisions of the DCC Executives, within three weeks of the receipt of the order provided that pending the appeal, the order appealed against is obeyed. The President of the AICC or of the PCC, as the case may be, may, however, stay the execution of the order appealed against whenever deemed fit;
- (b) Appeals should be filed in duplicate within three weeks of the receipt of the order of the Committee concerned;
- (c) Pending the disposal of the appeal against disciplinary action involving removal from an elective Committee the vacancy thus created shall not be filled.

Article XX

TREASURER

The Treasurer shall be incharge of the funds of the Congress and shall keep proper accounts of all investment, income and expenditure.

Article XXI

GENERAL SECRETARIES

- (a) Subject to general control of the President, the General Secretaries shall be incharge of the office of the AICC.
- (b) The General Secretaries shall be responsible for the

- preparation and publication of a report of the proceedings of the Congress Session including its audited accounts, as soon as possible after the Session.
- (c) The General Secretaries shall prepare a report of the work of the AICC and the Working Committee, including an audited statement of Accounts for the period since the last submission of such a report and submit the same to the first meeting of the AICC held before the Plenary Session of the Congress.

Article XXII

SCRUTINY OF MEMBERSHIP

The Central Election Authority shall arrange for scrutiny of membership through the Pradesh Election Authority. Appeals regarding scrutiny of members will be disposed of by the Pradesh Election Authority. Pradesh Election Authority will appoint Scrutiny Committee at appropriate levels.

Rule under Article XXII - Scrutiny of Membership:

- 1. Any person, who has been refused enrolment as a Member under Article V(A) (a), (b) and V(B) or whose name has been omitted from or incorrectly entered in the register of Members, or any member, who objects to the entry of any name therein, may submit to the Chairman of the District Scrutiny Committee appointed by the Pradesh Election Authority concerned an objection in writing stating the reasons against such refusal, an omission, irregular or wrong entry, within 7 days of publication of the preliminary electoral rolls.
- 2. The District Scrutiny Committee after hearing the objector or any other party concerned, may direct any name to be entered into, corrected or omitted, from the register of

- members. The Scrutiny Committee shall ordinarily dispose of such complaints within 7 days of their filing.
- 3. The District Scrutiny Committee shall have the power to scrutinise the membership form of any Member, and to enquire into whether the rules and provisions of the Congress Constitution regarding such membership have been fulfilled. The Scrunity Committee may also scrutinise the periodical reports submitted by the Members. They shall then take their decision after giving an opportunity for explanation to the persons concerned.
- 4. The District Scrutiny Committee shall maintain a brief record of these proceedings and a copy of the decision shall be forwarded to the persons concerned within three days of such decision.
- 5. If there is no District Congress Committee functioning in the District at the time and there is an Ad-hoc Committee, all objections should be submitted to the District Scrunity Committee appointed by the Pradesh Election Authority.
- 6. Appeals against the decision of the District Scrutiny Committee shall be filed before the Pradesh Election Authority by the aggrieved party within ten days of the decision taken by the District Scrutiny Committee. Pradesh Election Authority shall dispose of such appeals ordinarily within 7 days of their filing. The decision of the District Scrutiny Committee will be operative only when the time for appeals has expired or after the disposal of an appeal already filed.
- 7. It shall be competent for the Pradesh Election Authority and the District Scrunity Committee to delegate the authority vested in them under these rules to one or more sub-Committees or individuals.
- 8. The aggrieved party may file an appeal before the Central

Election Authority within 10 days of the decision taken by the Pradesh Election Authority.

Article XXIII

ELECTION DISPUTES

The Pradesh Election Authority will take such steps as necessary to conduct the Organisational elections in a free and fair manner. Any election dispute shall also be adjudicated by the Pradesh Election Authority. All appeals against the decisions of Pradesh Election Authority shall be disposed of by the Central Election Authority.

Rule under Article XXIII - Election Disputes:

- 1. A complaint against the election of the President, Treasurer and Members of the Executive Committee of a Pradesh Congress Committee and members of the All India Congress Committee shall be filed before the Central Election Authority within 15 days of the declaration of the result of such elections. The Central Election Authority may empanel from amongst its members, a special forum for deciding such complaints.
- 2. Only a member of the Pradesh Congress Committee concerned can file a petition referred to in clause (1) above.
- 3. Every election petition other than those in clause (1) above shall be filed before the Pradesh Election Authority within seven days of the declaration of the result of such an election.
- 4. Election petitions may be presented to the Pradesh Election Authority either in person or by registered post.
- 5. It shall be competent for Pradesh Election Authority to

- pass any order by way of stay or injunction pending the disposal of the petition or appeal.
- 6. Every election petition shall ordinarily be disposed of by the Pradesh Election Authority within thirty days of its presentation. If the Pradesh Election Authority fails to do so, the Central Election Authority may make suitable arrangements for their disposal.
- 7. The Central Election Authority shall frame regulations for the conduct of business by the Pradesh Election Authority in connection with the disposal of election petitions and appeals.
- 8. No person other than the candidate who files the election petition or appeal shall have the right to appear before the Pradesh Election Authority except with its approval, provided that lawyers shall, in no case, be engaged.
- 9. The Pradesh Election Authority shall have the power to delegate the authority vested in them under these rules to one or more of its members.
- 10. Any dispute regarding elections at the Primary unit level and at the Block level may be submitted before the District Congress Committee Executive within 10 days of the declaration of the results. The DCC Executive shall dispose of such cases within 10 days of its presentation.

Any appeal against the decision of the DCC Executive may be filed before the Pradesh Election Authority within 10 days of the decision taken by the DCC Executive. Any dispute regarding elections at the DCC level may be submitted before the Pradesh Election Authority within 10 days of the declaration of results. The Pradesh Election Authority shall dispose of all appeals within 10 days of the presentation of such appeals.

Any appeal about the election at the Pradesh level can be filed before the Central Election Authority within 10 days of the declaration of results. The Central Election Authority will dispose of all such disputes within 10 days after its presentation.

The Pradesh Election Authority will be the final adjudicator about election disputes at Primary Unit, Block and District levels. If there is any dispute in the election at any level other than the PCC level which requires examination from constitutional point of view and rules may be brought to the notice of the Central Election Authority for adjudication. Such matters will have to be brought before the CEA within 10 days after declaration of results of the concerned election.

Article XXIV

ELECTION MACHINERY

- (a) Election Authority The Working Committee shall set up a Central Organisational Election Authority of the AICC comprising of not less than three nor more than five members, one of which will be Chairman of such Authority. The Chairman and members of the Authority will not hold any organisational office during their tenure as Chairman and member of the Authority. Apart from conducting the organisational election, this Authority will also supervise and oversee enrolment of Members for Organisational elections. The Authority will also finalise the calendar of elections starting from enrolment of Members up to the stage of completion of the elections.
- (b) The Chairman of the Central Election Authority will be the Ex-Officio Returning Officer to conduct elections of the Office of Congress President and Members of the Working Committee.
- (c) The Central Election Authority of the AICC shall appoint a Pradesh Election Authority at PCC level comprising of not less than three and not more than five members,

one of which will be the Chairman of the Authority. The term of office of the Election Authority will be five years. The Chairman or Member of the Authority will not hold any organisational office during their term. The Central Election Authority shall appoint the Pradesh or Territorial Returning Officer.

- (d) For smooth functioning of the Organisational elections, the Central Election Authority will make necessary rules and regulations.
- (e) The Pradesh Returning Officer shall conduct all Congress elections in the Pradesh. He shall, in consultation with the Executive of the PCC or TCC and DCCs, appoint District Returning Officers and such other officers as may be necessary for the proper conduct of elections in the Pradesh or Territory. He shall also perform such other functions as are allotted to him by the Central Election Authority from time to time.
- (f) The Pradesh Returning Officer shall hold office ordinarily for one term but he will continue till a new Pradesh Returning Officer is appointed or he is removed from office in accordance with the rules framed in this behalf by the Central Election Authority.

Rule under Article XXIV - Election Machinery:

- 1. Every Pradesh Returning Officer and all other Returning Officers under him shall be members of the Congress and shall not hold any office or membership in any Committee. They shall not also stand as candidates for any Congress election within the area in which they function as Returning Officers during the period they hold such office and for 6 months thereafter.
- 2. The Pradesh and District Returning Officers shall locate their offices at the respective headquarters of the Pradesh

- and District Congress Committees, provided that with the special permission of the respective higher Authority, they can locate them elsewhere.
- 3. The Pradesh Returning Officer shall be responsible for the conduct of all the Congress elections in the Pradesh. Pradesh Election Authority shall take necessary decisions for the proper conduct of elections in accordance with the spirit of the Constitution and the rules thereunder.
- 4. The Central Election Authority may also remove from office a PRO and the Pradesh Election Authority may remove a DRO or any other Election Officer if it is satisfied that he has not discharged or will not discharge his duties in a manner befitting his office, provided that before such action is taken due opportunity shall be given to him to answer the charges brought against him.
- 5. No Returning Officer or any other officer shall have the power to delegate any of his functions except with the permission of the PRO or the Officer superior to him.
- 6. Candidates for election shall not be appointed as Returning Officers or to any other Election Office in their respective areas. Thus a candidate for election to a Block Congress Committee shall not be appointed as Election Officer in the Block, a candidate for election to a DCC shall not be appointed as an Election Officer in the District. Similarly, an Election Officer or Returning Officer of a block shall not contest for election to the PCC from the same Block. He can, however, contest election to the PCC from any other Block/Constituency.
- 7. Subject to the supervision and control of PRO, DRO shall be responsible for the conduct of all Congress elections in the District. He shall also appoint, with the approval of the PRO, Polling and other officers in the District.

- 8. The DRO shall fix location of the polling stations and specify the area covered by each polling station and publish them at least 10 days before the polling date. He shall also notify, at least 10 days before the date of polling, the date of poll and the polling hours.
- 9. The Polling Officers shall be responsible for keeping order at the polling stations and to see that the election is fairly conducted.
- 10. Nomination papers in the form prescribed by the Pradesh Election Authority shall be filed before the concerned Returning Officer by the candidate or his representative in person addressed to the Returning Officer. Nomination paper can be printed, typed or hand written.
- 11. Withdrawals from the validly nominated candidates shall be filed before the concerned Returning Officer so as to reach him at least 48 hours before the day of voting. Withdrawal papers should be in writing and signed by the candidate withdrawing his candidature.
- 12. The following shall be the procedure for elections to be held by ballot:
 - (i) The Polling Officer shall be responsible for maintaining secrecy of voting and for regulating the number of voters to be admitted to the polling booths at a time;
 - (ii) The DRO or the concerned Polling Officer shall permit the agents of the candidates access to the polling booths for observing the polling on behalf of the candidates concerned. The Polling Officer will initial each ballot paper in the space provided for the purpose before handing it over to the voter;
 - (iii) At the close of polling, the Polling Officer shall count the votes secured by each candidate and report the figure to the Returning Officer. The candidates and/

- or one of their agents may be present at the counting if they so desire;
- (iv) On receipt of the figure relating to the number of votes secured by each candidate the Returning Officer shall declare the results.
- 13. The following shall be the procedure when voting is to be held by show of hands in the election at Primary unit level:-
 - (i) The Polling Officer shall scrutinise every voter before he enters the meeting place;
 - (ii) The Polling Officer shall associate in the counting one agent of each candidate. After counting, the Polling Officer may obtain the signature of the Polling agents on the counting sheet;
 - (iii) Whenever possible, the Polling Officer may mark separate enclosures for each candidate and may ask the voters to go to the enclosures of their choice to facilitate counting of votes;
 - (iv) The Polling Officer in the Assembly of Members shall announce the time for proposing candidates for election and also the time of withdrawal at such elections in the said Assembly. The Polling Officer shall also notify the time for the commencement and closing of voting. He shall, however, have the power to extend this time by half an hour if he finds it necessary.
- 14. During election a candidate shall not use vehicles for bringing voters nor shall he resort to any undesirable pamphleteering or other kind of public propaganda. Contravention of these provisions shall render the candidate's election invalid and further make him liable to disciplinary action.

15. The first meeting of the members of the PCC shall be convened and presided over by the PRO or in his absence by a nominee of the Central Election Authority. At such a meeting the President of the PCC, all Executive Members including Office-Bearers such as Vice-President, Treasurer etc. who come under elected category and all other Committees which are needed to be elected by the PCC, shall be elected.

The first meeting of the members of the DCC shall be convened and presided over by the DRO concerned, or in his absence, by a nominee appointed by the PRO and at such meeting the President of the DCC, all Executive Members including Vice-President, Treasurer etc. who come under elected category, shall be elected.

Article XXV

PARLIAMENTARY BOARD

The Working Committee shall set up a Parliamentary Board comprising of the Congress President, the Congress Prime Minister, the Chairperson of the Congress Parliamentary party in Parliament and 5 other members. The Congress President shall be the Chairperson of the Parliamentary Board.

Article XXV (A)

ELECTION COMMITTEES

- (a) The Congress Working Committee shall set up a Central Election Committee (CEC) comprising of 12 members to be appointed by the CWC, in addition to the AICC President. The 12 members of the CEC shall include the Chairperson of the Congress Party in Parliament & Leaders of Congress Party in Lok Sabha and Rajya Sabha. The CEC shall:
 - (i) Make the final selection of the candidates to the State and Central Legislature or authorize AICC President

in this regard to take a final call, and

(ii) Conduct election campaigns.

The AICC President shall chair the CEC.

- (b) The Pradesh Election Committee shall consist of the President of the PCC/TCC, the Leader of the Congress Legislature Party and / or in case of a Union Territory the leader of Congress Party in the Assembly/Metropolitan Council, and not more than fifteen and not less than five other members, who shall be appointed by the AICC President. The President of the PCC or TCC shall be ex-officio Chairman of Pradesh or Territorial Election Committee.
- (c) The Pradesh or Territorial Election Committee, constituted in the above manner, shall recommend candidates for the Central and State Legislatures to the Central Election Committee.
- (d) The Central Election Committee shall frame necessary rules to give guidance to the Pradesh Election Committee in regard to the selection of candidates and other matters relating to the conduct of elections.

Rule under Article XXV - Formation of Parliamentary Board:

The Parliamentary Board shall be set up by the Working Committee in the manner prescribed in Article XXV and the five members thereof shall be chosen from amongst the members of the Working Committee at its first meeting after its formation and shall continue in office till a new Board is set up.

Rule under Article XXV (A) Formation of Election Committee:

Formation of Election Committees:

1. The Central Election Committee shall be set up by the CWC from amongst AICC members ordinarily and shall

- continue in office till a new CEC is set up. It shall function for the General Elections or any mid-term elections that might be held.
- 2. Pradesh Election Committee shall be set up by the AICC president ordinarily from amongst the Members of the PCC and shall continue in office till a new Committee is appointed.

Article XXVI

VACANCIES

- (a) The Office of a delegate or a member of any Committee or Board constituted under this Constitution shall be vacated by resignation, removal or death.
- (b) All vacancies shall, unless otherwise provided for, be filled in the same manner in which the vacated member was chosen and member so elected shall hold office for the unexpired term of the seat vacated.
- (c) In the absence of any provision to the contrary, a Committee or Board, once it is properly constituted, shall not become invalid by reason of any vacancy on it.

Article XXVI-A

CELLS AND DEPARTMENTS

- (a) The Congress President may create Cells/Departments to discharge responsibilities as assigned to such Cells/Departments.
- (b) The Chairman/Members of such Cells/Departments shall be appointed by the Congress President.
- (c) Chairman of such Cells/Departments may appoint Chairman and Members of Cells/Departments at the

Pradesh level in consultation with the Pradesh Congress Committees.

Article XXVII

MISCELLANEOUS

- (a) A Committee may delegate any of its power to a smaller Committee or an individual.
- (b) Population figures of the last available census shall be utilized, wherever relevant.
- (c) Where there is a question of the value of fractions, a fraction of one-half or more shall be treated as one, and less than half as zero.
- (d) Wherever in this Constitution, the word "vote" or any of its inflections occurs, it means or refers to a valid vote.
- (e) The Block, District and Pradesh Congress Committees shall elect from amongst its members the President, Vice-Presidents and Treasurers and members of their Executive Committees and from amongst the members of the Executive Committees. The Presidents of the respective Committees shall appoint Secretaries.
- (f) Any question or dispute arising under the Constitution with regard to provisions, contents, interpretations or the procedures laid down therein, between members and Committees or between Committees interse, shall be determined by the appropriate authorities indicated in this Constitution, and the decision of such an authority shall be final and binding on all members and Committees of the Indian National Congress, and shall not be liable to question by any of them in a court of law.
- (g) Any member who does not attend three successive meetings of any Congress Committee without prior intimation of

his absence shall cease to be a member of the Committee concerned.

Article XXVIII

CHANGES IN THE CONSTITUTION

This Constitution can be amended, altered or added to only by a Session of the Congress. The AICC shall, however, have authority, except in regard to Article I, to amend, alter or add to the Constitution when the Congress is not in Session, if so desired by the Working Committee, provided that no such addition, alteration or amendment shall be made by the AICC except by a majority of two-third of the members present and voting at a meeting held specially for this purpose after due notice of the proposed changes have been given to each member, at least one month prior to the date of such a meeting. The changes made by the AICC shall be placed before the next Session of the Congress for ratification but they may come into operation even before ratification from such date as may be prescribed by the AICC.

MISCELLANEOUS (RULES)

1. Disqualification of candidates for elections:

(a) Election Officers:

The Pradesh Returning Officers and other Election Officers shall not be eligible to stand as candidates for any Congress election in the area where they function during the time they are in office and for a period of six months thereafter.

(b) Defaulters of subscription or other dues:

(i) The leaders of the Legislature Congress Parties (in the States and at the Centre) should fix a timelimit within which the members should pay up their contribution every month.

- (ii) A member of the Legislature who fails to pay his contributions within the time fixed by the Executive of the Legislature Party shall be debarred from standing for Party or organisational elections.
- (iii) The Secretary of the Legislature Congress Party should convey to the Secretary of the PCC and the Secretary of the DCC from time to time information about the members who have failed to pay their dues within the time-limit.
- (iv) The Secretaries of the PCCs and the DCCs on receipt of such information should inform the PRO and DROs that such members of the Legislature are ineligible for organisational elections.
- (v) Such members will not be eligible for nomination by the PCC or DCCs or the subordinate Congress Committees to any Committee or and Sub-Committee.
- (vi) In the event of a member of the Legislature paying his arrears, the Secretary of the Party shall intimate to the Secretary of the PCC and the DCC that the arrears are paid and a similar intimation will be given by the Secretary of the PCC and DCC to the PRO and the DROs. On receipt of such information the PRO and the DROs will declare them as eligible provided such intimation is received by the PRO or DRO concerned at least 24 hours before the time for nomination.
- (vii) Congressmen, who are not members of a Legislature and against whom there are any arrears pending, will also be not eligible for organisational elections or to be nominated to any Committee or Sub-Committee.

2. Method of voting:

Where the Constitution or Rules do not specify the method of election to any office or committee, voting shall be by ballot and where more than one member has to be elected, it shall be by simple majority.

3. Formation of Congress Committee:

A Congress Committee will be deemed to have been duly constituted provided that at least three-fourths of its members have been duly elected out of the total number of valid members including the reserve quota to be elected. However, in the case of Block Congress Committee, 50% of its Members from the Primary Units will have to be elected for being duly constituted.

4. Term of co-opted members:

The term of the co-opted members shall be co-terminus with that of the elected members of the Committee concerned.

5. Option to choose membership of a Committee:

- (a) When a member of the PCC or DCC is elected from an area in which he does not reside, he should indicate to the PCC or DCC concerned, in writing, the name of the DCC or Block Congress Committee of which he desires to be a member before their first meeting, failing which he will be deemed to have opted for the DCC or the Block Congress Committee in the area from which he has been elected.
- (b) When a member of Parliament or State Legislature is elected from an area coming under more than one subordinate Congress Committee or District Congress Committee, as the case may be he shall be entitled to become an ex-officio member of the subordinate Congress Committee and the District Congress Committee concerned under whose jurisdiction he normally resides.

6. General:

(i) The President of any Congress Committee shall have the authority to remove any of its office-bearers appointed or nominated by him provided he is satisfied that he is not

discharging his duties to his satisfaction. However, due opportunity shall be given to the office-bearer concerned to explain his position before such an action is taken against him.

- (ii) The President of a Congress Committee shall have the authority to appoint an Acting President for a short period from amongst the Vice-Presidents with the previous permission of the Superior Congress Committee concerned in case he is not able to function as such for a limited period.
- (iii) Wherever the words "Certified Khadi" occur in this Constitution, it will mean Khadi certified by Khadi Commission or Khadi Boards.

7. Formation of ad-hoc Committee at the District and Block level:

On the failure of a District or Subordinate Congress Committee or any other lower Congress Committee thereof to be constituted or to function in terms of the Constitution or in accordance with the directions of the superior Committee the latter may suspend the existing Committee and form an ad-hoc committee to carry on Congress work in the area but no DCC shall be superseded, suspended or an ad-hoc Committee constituted by the Pradesh Congress Committee without the prior approval of the Working Committee and similarly no DCC shall supersede or form an adhoc subordinate Congress Committee without the prior approval of the PCC concerned. An ad-hoc Committee so constituted shall ordinarily function for a period of three months provided that the period can be extended by three months at a time upto a total period of one year with the approval of the immediate superior Committee. Unless otherwise specified, an ad-hoc Committee shall enjoy the same powers and privileges of a normal Committee.

However, the Working Committee shall have the right to extend the period of an ad-hoc Committee beyond one year under special circumstances.

8. Functioning of Frontal Organisations:

- (a) Each Frontal Organisation should have its own Constitution. It should have its own membership apart from their membership of the Congress Party. Regular elections should be held at every level. A system also needs to be developed for close co-ordination between the Frontal Organisations and the parent body at every level. More intensive and extensive consultations should be held between the parent body and the Frontal Organisations, especially on policy matter.
- (b) Autonomy of the Frontal Organisation should be ensured in regard to the election/selection of functionaries. They should have autonomy in working out their own programmes.
- (c) Each Frontal Organisation shall have an Advisory Committee headed by the Congress President. The Advisory Committee shall be appointed by the Congress President in consultation with the respective Frontal Organisations.

9. Authority to Frame Additional Rules

In the case of any difficulty in implementing any of the provisions made in the Constitution, the Congress President shall have the authority to issue instructions and to frame necessary rules to overcome the difficulty.

MEMBERSHIP FORM

Under Article V (A) (a) (i) of the Congress Constitution

Form No
I wish to be enrolled as a Member/ renew my Membership of the Indian National Congress. I accept Article I of the Congress Constitution which is as follows:-
"The object of Indian National Congress is the well-being and advancement of the people of India and the establishment in India, by peaceful and constitutional means, of a Socialist State based on Parliamentary Democracy in which there is equality of opportunity and of political, economic and social rights and which aims at world peace and fellowship."
I am not a member of any other political party, communal or other, which has a separate membership, Constitution and programme. I herewith deposit Rs. 2.00 as membership subscription for the yearsto
Name
(*) Sex: Male/Female/Transgender (*) Tick Mark whichever is applicable
(*) Belongs to: SC/ST/OBC/Minority (*) Tick Mark whichever is applicable
Mother's /Father's/Spouse's name
Permanent address
Permanent place of residence or place of work
AgeOccupation
Mobile No Tel. No
and E-mail if any
Booth Committee/ UnitS.NoName
Name of the BlockVoter ID
Signature or thumb impression of the applicant
Signature of the enroller
Date

Note: Address should be given in full which should be traceable

Note by the Secretary of theDistrict
Congress Committee. The above application ofhas
been received in this office with Rs.10.00 as membership fee for the years
to which has been deposited by the enroller
Shri/Ms The Serial number in the District Congress
Committee Register is
Date
Signature of the Secretary
District Congress Committee
Form No
Decided to the state of the Auditor of Decide N
Receipt to be given to the Applicant: Receipt NoReceived from
Shri/Mshis/her membership form along with the fee
of Rs.10.00 (Rupees Ten only) for the yearsto
Signature of the enroller Signature of the Secretary
Date District Congress Committee

DECLARATION

I declare that -

- (i) I am of the age of 18 years and over;
- (ii) I am a habitual wearer of certified Khadi;
- (iii) I abstain from alcoholic drinks and intoxicant drugs;
- (iv) I neither believe in nor practise social discrimination in any shape or form and undertake to work for its removal:
- (v) I believe in an integrated society without distinction of religion or caste:
- (vi) I undertake to perform minimum tasks including manual labour as may be prescribed by the Working Committee;

- (vii) I do not own any property in excess of the ceiling laws;
- (viii) I subscribe to and work for promoting the principles of secularism, socialism and democracy. I shall not, directly or indirectly, openly or otherwise, adversely criticise the accepted policies and programmes of the party, except through party forums.
- (ix) I shall subscribe to the periodicals approved by AICC.
- (x) I shall abide by the conditions laid down and the rules framed under the Constitution of the Indian National Congress.

	Signature or thumb impression
Date	of the applicant

Object

"The object of Indian National Congress is the well-being and advancement of the people of India and the establishment in India, by peaceful and Constitutional means, of a Socialist State based on Parliamentary Democracy in which there is equality of opportunity and of political, economic and social rights and which aims at world peace and fellowship."

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

का

संविधान एवं नियम

अनुच्छेद-1

उद्देश्य

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारत के लोगों की भलाई और उन्नित है तथा शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से भारत में समाजवादी राज्य कायम करना है जो संसदीय लोकतंत्र पर आधारित हो, जिसमें अवसर और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की समानता हो तथा जिसका लक्ष्य विश्व—शांति और विश्व—बंधुत्व हो।

अनुच्छेद–2

भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखती है और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगी।

अनुच्छेद—2 (क)

कांग्रेस का झंडा

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में तीन क्षैतिज रंग होंगेः केसरिया, सफेद और हरा और केंद्र में नीले रंग में चरखे की तस्वीर होगी। यह प्रमाणित खादी से बना होगा।

अनुच्छेद–3

अंग

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण और विशेष अधिवेशन सहित निम्नलिखित अंग होंगे:--

- (1) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति,
- (2) कांग्रेस कार्य समिति,

- (3) प्रदेश कांग्रेस समितियाँ,
- (4) ज़िला / शहर कांग्रेस समितियाँ,
- (5) ज़िला कांग्रेस समिति की अधीनस्थ समितियाँ जैसे ब्लॉक या निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस समिति, मध्यस्थ कांग्रेस समिति, पंचायत और वार्ड कांग्रेस समिति और या संबंधित प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा गठित की जाने वाली अन्य अधीनस्थ समितियाँ।

नोट:— इस संविधान में संदर्भ के अनुसार जहां भी ''प्रदेश'' शब्द आता है, उसमें ''प्रादेशिक'' शामिल होगा, ''ज़िला'' शब्द में ''शहर'' शामिल होगा।

अनुच्छेद-3 (4) के अंतर्गत नियम

अंग-शहर कांग्रेस समिति

"कांग्रेस अध्यक्ष की पूर्व अनुमित से प्रदेश कांग्रेस सिमित को ज़िला कांग्रेस सिमितियों की संख्या बढ़ाने और नए सिरे से क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के साथ—साथ पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शहर कांग्रेस सिमित का गठन करने का अधिकार होगा। इस प्रकार गठित शहर कांग्रेस सिमित को ज़िला कांग्रेस सिमित (शहरी) का दर्जा प्राप्त होगा।

अनुच्छेद-4

प्रादेशिक प्रभाग

(क) प्रदेश कांग्रेस समितियां आमतौर पर नीचे दिए गए प्रदेशों में गठित की जाएंगी, जिनमें से प्रत्येक के सामने मुख्यालय का उल्लेख किया गया है:

प्रदेश	मुख्यालय
1. आंध्र	विशाखापत्तनम
2. अरुणाचल	ईटानगर
3. असम	गुवाहाटी
4. बिहार	पटना
5. छत्तीसगढ़	रायपुर
6. दिल्ली	दिल्ली

7. गोवा पणजी

8. गुजरात अहमदाबाद

9. हरियाणा चंडीगढ़

10. हिमाचल शिमला

11. जम्मू—कश्मीर श्रीनगर

१२. झारखण्ड रांची

13. कर्नाटक बेंगलुरु

14. केरल तिरुवनंतपुरम

15. मध्य प्रदेश भोपाल

16. महाराष्ट्र मुंबई

17. मणिपुर इंफाल

18. मेघालय शिलांग

19. मिजोरम आइजोल

20. नागालैंड कोहिमा

21. ओडिशा भुवनेश्वर

22. पुडुचेरी पुडुचेरी

23. पंजाब चंडीगढ़

24. राजस्थान जयपुर

25. सिक्किम गंगटोक

26. तमिलनाडु चेन्नई

27. तेलंगाना हैदराबाद

28. त्रिपुरा अगरतला

29. उत्तराखंड देहरादून

30. उत्तर प्रदेश लखनऊ

31. पश्चिम बंगाल कोलकाता

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में क्षेत्रीय कांग्रेस समितियों का गठन किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक के सामने मुख्यालय का उल्लेख किया गया है:

क्षेत्र मुख्यालय

1. अंडमान–निकोबार द्वीप समूह पोर्टब्लेयर

2. चंडीगढ चंडीगढ

3. दादरा–नगर हवेली सिलवासा

4. दमन-दीव मोती दमन

5. लद्दाख लेह

6. लक्षद्वीप कावारत्ती

- (ग) प्रदेश कांग्रेस समिति, कार्य समिति की पूर्व अनुमित से, अपना मुख्यालय बदल सकती है।
- (घ) कार्य समिति, प्रदेश कांग्रेस समिति या संबंधित समितियों की इच्छाओं का पता लगाने के बाद, एक नए प्रदेश का गठन कर सकती है, मौजूदा प्रदेश को समाप्त कर सकती है, किन्हीं भी मौजूदा प्रदेशों को एक में विलय कर सकती है या किसी अन्य प्रदेश से एक प्रदेश, एक ज़िला या ज़िले के एक हिस्से या हिस्सों को सौंप सकती है।
- (ड.) कार्यसमिति को भारत संघ के किन्हीं "ऐसे इलाक़ों को, जिन्हें किसी प्रदेश कांग्रेस समिति में प्रतिनिधित्व नहीं" दिया गया हो, जिस ढंग से भी उचित समझे, उसी ढंग से प्रतिनिधित्व देने अथवा इस प्रकार के किसी इलाक़े को अथवा उसके हिस्से को पड़ोस के प्रदेश या क्षेत्र में मिलाने का आदेश देने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद-5

सदस्यता

(क) (अ)

(1) 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, जो अनुच्छेद—1 को स्वीकार करता है, 31 दिसंबर 2024 तक मुद्रित सदस्यता फॉर्म में लिखित या डिजिटल रूप से घोषणा करने पर और केवल 10 रुपये के भुगतान पर पांच साल के लिए कांग्रेस का सदस्य बन सकता है, बशर्ते कि वह किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य न हो, जिसकी अलग सदस्यता, संविधान और कार्यक्रम हो। 01 जनवरी 2025 से, सभी सदस्यता पंजीकरण केवल डिजिटल रूप में होगा.

- (2) कोई भी व्यक्ति अपने स्थायी निवास स्थान या उस स्थान पर जहां वह अपना व्यवसाय या कार्य करता है, को छोडकर किसी अन्य पते पर सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा,
- (3) सदस्यता की अवधि वर्ष की 01 जनवरी से या सदस्य के नामांकन की तिथि से अगले पांचवें वर्ष की 31 दिसंबर तक होगी।
- (4) सदस्यों का स्थायी रिजस्टर प्रत्येक ब्लॉक / निर्वाचन क्षेत्र और शहर / नगर कांग्रेस सिमित द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में निर्धारित नियमों के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक भौतिक रूप से या ज़िला कांग्रेस सिमित को प्रतियों के साथ डिजिटल रूप में बनाए रखा जाएगा। 01 जनवरी 2025 से, सदस्यों का स्थायी रिजस्टर केवल डिजिटल रूप में बनाए रखा जाएगा।
- (5) सदस्यता का नवीनीकरण अपेक्षित सदस्यता शुल्क ज़मा करने पर पूरा हुआ माना जाएगा।
- (6) प्रदेश कांग्रेस समिति डिजिटल पद्धित के माध्यम से सदस्यों के नामांकन का विकल्प चुन सकती है और ज़िला कांग्रेस समिति, प्रदेश कांग्रेस समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में अधिकृत व्यक्तियों के लिए सदस्यता डेटा को डिजिटल रूप में भी बनाए रख सकती है। 01 जनवरी 2025 से सदस्यता केवल डिजिटल होगी।

(ক) (ৰ)

- (1) किसी कांग्रेस समिति के प्रतिनिधि या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए केवल वही व्यक्ति पात्र होगा, जो कम से कम तीन वर्षों तक पार्टी का सदस्य रहा है।
- (2) कोई भी सदस्य, जो ज़िला कांग्रेस समिति, प्रदेश कांग्रेस समिति या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (प्रदेश कांग्रेस समिति—अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के विभागों और प्रकोष्ठों सहित) का प्रतिनिधि या पदाधिकारी बनता है, उसे निम्नानुसार वार्षिक राशि ज़मा करनी होगी: —
- ज़िला कांग्रेस समिति प्रतिनिधि या पदाधिकारी रु. 500 / -
- प्रदेश कांग्रेस समिति प्रतिनिधि या पदाधिकारी रु. 1,000 / –
- अखिल भारतीय कांग्रेस समिति सदस्य या पदाधिकारी − रु. 3,000 / −

(क) (स) सदस्यों द्वारा इस खंड के उप—खंड (क) के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत भुगतान की गई पांच साल की सदस्यता राशि विभिन्न कांग्रेस समितियों के बीच निम्नलिखित अनुपात में वितरित की जाएगी:

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 10 प्रतिशत

प्रदेश कांग्रेस समिति 25 प्रतिशत

जिला कांग्रेस समिति 25 प्रतिशत

अधीनस्थ शहर / नगर कांग्रेस समिति 40 प्रतिशत

नोटः ज़िला कांग्रेस समिति के नीचे विभिन्न अधीनस्थ कांग्रेस समितियों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित की जाने वाली सदस्यता राशि और जमा का 40 प्रतिशत हिस्सा संबंधित प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

- (ख) प्रत्येक सदस्य को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा और अपने हस्ताक्षर के साथ सदस्यता फॉर्म में एक घोषणा करनी होगी किः
- (क) उसकी उम्र 18 वर्ष और उससे अधिक है।
- (ख) वह आदतन प्रमाणित खादी पहनने वाला है।
- (ग) वह मादक पदार्थों, प्रतिबंधित दवाओं और नशीले पदार्थों के उपयोग से परहेज़ करता है।
- (घ) वह किसी भी रूप में अस्पृश्यता में न तो विश्वास करता है और न ही इसको व्यवहार में लाता है और इसे मिटाने के लिए काम करने का वचन देता है।
- (ड.) वह धर्म या जाति के भेदभाव रहित एक एकीकृत समाज में विश्वास करता है।
- (च) वह विशेष रूप से वंचित और ग़रीब वर्गों के लिए श्रमदान, रक्तदान शिविरों सिहत समाज के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए कार्य—परियोजनाओं में भाग लेता है और सामाजिक न्याय, समानता और सद्भाव की सेवा के लिए खुद को समर्पित करता है।
- (छ) उसने भूमि सीमा कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है और न ही उसे किसी जघन्य अपराध या नैतिक अधमता वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।
- (ज) वह धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के सिद्धांतों का समर्थन करता है और उन्हें बढ़ावा देने के लिए काम करता है। पार्टी के आंतरिक मंच को छोड़कर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, खुले तौर पर या अन्यथा, सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की स्वीकृत नीतियों और कार्यक्रमों की प्रतिकूल आलोचना नहीं करता है।

(झ) वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सदस्यता लेगा।

(ग) सदस्यों के लिए प्रशिक्षण

- (1) प्रत्येक सदस्य कार्य समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।
- (2) किसी भी सदस्य को निम्नलिखित चुनावों में खड़े होने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि वह कार्य समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त करने का वचन न दे दे:
- (क) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति,
- (ख) प्रदेश कांग्रेस समिति,
- (ग) ज़िला / शहर कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी,
- (घ) पार्टी के टिकट पर संसद, राज्य विधान मंडल, महानगर परिषद् या स्थानीय निकाय का चुनाव।
- (3) संसद, राज्य विधान मण्डल दल और स्थानीय निकायों में पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन उस समय तक नहीं होगा, जब तक कि वह कांग्रेस का सदस्य न हो।

(घ) सदस्यता का नवीनीकरण

डिजिटल रूप से सदस्यता फॉर्म भर कर सदस्यता का नवीनीकरण किया जा सकता है।

अनुच्छेद-5 के अंतर्गत नियमः

सदस्यता प्रपत्र

- 1. प्रदेश कांग्रेस समिति 31 दिसंबर 2024 तक सदस्यता फॉर्म भौतिक रूप से छापेगी या डिजिटल प्रारूप में सदस्यता दर्ज़ करेगी। प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी सदस्यता प्रपत्र मुद्रित करने के लिए ज़िला कांग्रेस कमेटियों को लिखित रूप में अधिकृत कर सकती है। कोई भी ज़िला कांग्रेस समिति, जो इस तरह की अनुमित के बिना सदस्यता फॉर्म छपवाती है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी। 01 जनवरी 2025 से सभी सदस्यता केवल डिजिटल रूप में पंजीकृत होगी।
- 2. सदस्यता प्रपत्रों पर क्रमानुसार नम्बर डाले जाएंगे और ज़िला कांग्रेस कमेटियों द्वारा छापे गये प्रपत्रों पर ज़िले का नाम भी अंकित होगा। इस प्रकार छापे गये प्रपत्रों को अधीनस्थ कांग्रेस कमेटियों को भेजने से पहले ज़िला कांग्रेस समिति उनका पूर्ण विवरण प्रदेश कांग्रेस समिति को भेजेगी। डिजिटल फॉर्म भी इसी तरह क्रमांकित होंगे।

- 3. सदस्यता प्रपत्रों की प्रत्येक पुस्तिका में 25—25 प्रपत्र होने चाहिए।
- 4. (क) ज़िला कांग्रेस सिमित मुख्य रूप से ज़िले में सदस्यों के नामांकन के लिए ज़िम्मेदार होगी। प्रदेश कांग्रेस सिमित ज़िला कांग्रेस सिमित को सदस्यता फॉर्म जारी करेगी और वह उन्हें अधीनस्थ कांग्रेस सिमितयों और उनके माध्यम से व्यक्तियों को जारी करेगी। किसी भी व्यक्ति को एक समय में 1250 से अधिक सदस्यता फॉर्म नहीं दिये जाएंगे। हालाँकि, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद् के सदस्यों और अखिल भारतीय कांग्रेस सिमित के सदस्यों तथा प्रदेश कांग्रेस सिमित पदाधिकारियों के मामले में, एक समय में 2500 सदस्यता फॉर्म दिए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति को अधिक सदस्यता फॉर्म तभी दिए जाएंगे जबिक वह पहले से दिए गये फॉर्मों का पूरा लेखा—जोखा प्रस्तुत कर चुका हो और उनसे प्राप्त शुल्क जमा कर चुका हो। भौतिक सदस्यता फॉर्म भरने के लिए निर्धारित शर्तें डिजिटल सदस्यता पंजीकरण पर भी समान रूप से लागू होंगी।
- (ख) यदि अधीनस्थ कांग्रेस समितियों के ख़िलाफ़ शिकायतें हैं कि वे पर्याप्त सदस्यता फॉर्म उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो ज़िला कांग्रेस समिति व्यक्ति विशेष को सीधे सदस्यता फॉर्म जारी कर सकती है और यदि उचित समझती है तो ऐसी समितियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। यदि ज़िला कांग्रेस कमेटियों के ख़िलाफ़ ऐसी शिकायतें हैं कि वह ठीक से सदस्यता फॉर्म जारी नहीं कर रही हैं, तो प्रदेश कांग्रेस समिति और व्यक्तियों को सीधे सदस्यता फॉर्म जारी कर सकती है और संबंधित ज़िला कांग्रेस समिति के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकती है।
- (ग) सदस्यों के नामांकन के लिए फॉर्म किसी भी स्थिति में उन व्यक्तियों को जारी नहीं किए जाएंगे जो कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं। जो व्यक्ति कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं, उन्हें सदस्य नामांकित करने की अनुमित नहीं देने का प्रतिबंध डिजिटल सदस्यता पर भी समान रूप से लागू होगा।
- 5.(क) व्यक्तियों या समितियों को सदस्यता फॉर्म जारी किए जाने पर प्रत्येक से एक हस्ताक्षरित पावती प्राप्त की जानी चाहिए और उनसे ऐसा लिखित आश्वासन लेना होगा कि मांगे जाने पर वे पूरे हिसाब के साथ अप्रयुक्त फॉर्म को वापस कर देंगे।
- (ख) जब अप्रयुक्त सदस्यता फॉर्म व्यक्तियों या सिमतियों द्वारा लौटाए जाते हैं तो एक हस्ताक्षरित पावती जारी की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अप्रयुक्त प्रपत्रों को वापस करने और / या उनका हिसाब समय पर देने में विफल रहता है तो उसे संगठनात्मक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- (ग) डिजिटल सदस्यता के मामले में, संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करना नामांकनकर्ता का कर्तव्य होगा। इसमें कोई भी विफलता के परिणाम स्वरूप संगठनात्मक चुनाव लड़ने से अयोग्यता हो जाएगी।

- 6. (क) प्रदेश कांग्रेस समिति सदस्यों को जारी किए जाने वाले सदस्यता फॉर्मों के लिए रिजस्टर रखेगी, जिसमें सदस्यता फॉर्मों की संख्या, प्रत्येक समिति या व्यक्ति को जारी किए गये फॉर्मों की क्रमानुसार संख्या तथा उन्हें जारी किए जाने और अप्रयुक्त फॉर्मों की वापसी की तारीखें दर्शाई जाएंगी।
- (ख) ज़िला कांग्रेस समिति और अधीनस्थ कांग्रेस समितियों को भी इसी तरह के रजिस्टर रखने होंगे।
- (ग) प्रदेश कांग्रेस समिति, ज़िला कांग्रेस समिति या अधीनस्थ कांग्रेस समितियां, जैसा भी मामला हो, ऊपर 6 (क) और 6 (ख) में वर्णित भौतिक रिकॉर्ड की तरह, डिजिटल सदस्यता का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाकर रखेंगी।
- (घ) पार्टी को अच्छी जानकारी रखने वाला और विचारशील कैंडर प्रदान करने के लिए कांग्रेसजन सभी स्तरों पर कार्य समिति द्वारा समय—समय पर सदस्यों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
- 7. किसी भी समिति या व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उस समय तक नामांकित नहीं किया जाएगा जब तक उसने सदस्यता का पूर्ण शुल्क भुगतान न कर दिया हो और कांग्रेस संविधान के अनुच्छेद–5 (ख) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा न कर लिया हो।
- 8. (क) प्रदेश कांग्रेस कमेटियां संबंधित वर्ष के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के दो महीने के भीतर सदस्यता के आंकड़ों का विवरण देते हुए वर्ष के दौरान नामांकित सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को रिपोर्ट भेजेंगी। इस रिपोर्ट के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को सदस्यता शुल्क और कांग्रेस कोष के लिए निर्धारित देय अंश और साथ ही पूर्ण विवरण के साथ सदस्यों की पूरी सूची भी भेजेंगी।
- (ख) कोई भी प्रदेश कांग्रेस समिति या उसकी अधीनस्थ समिति जो इन नियमों का पालन करने में विफल रहती हैं, वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगी।
- 9. एक ज़िले के लिए मुद्रित या जारी किए गये सदस्यता फॉर्म किसी भी स्थिति में संबंधित प्रदेश कांग्रेस समिति की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना दूसरे ज़िले में उपयोग नहीं किए जाएंगे।
- 10. सदस्यों के नामांकन का क्षेत्र संबंधित प्रदेश तक ही सीमित रहेगा।

अनुच्छेद-5(क) (अ)(4) के अंतर्गत नियमः सदस्यों के लिए स्थायी रजिस्टर

प्रत्येक ब्लॉक / निर्वाचन क्षेत्र और शहर / नगर कांग्रेस समिति द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के सदस्यों के लिए स्थायी रिजस्टर बनाया जाएगा। स्थायी रिजस्टर की प्रति भौतिक या डिजिटल रूप में जिला कांग्रेस समिति को भेजी जाएगी।

रजिस्टर में प्रत्येक सदस्य के संबंध में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

- (1) क्रमांक
- (2) नाम
- (3) पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर
- (4) अनु०जाति / अनु०जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक
- (5) पिता या माता / पति / पत्नी का नाम
- (6) स्थायी पता
- (7) वर्तमान पता
- (८) आयु
- (9) व्यवसाय
- (10) नामांकन की तिथि
- (11) मतदाता पहचान पत्र संख्या
- (12) प्राथमिक इकाई की क्रम संख्या और नाम
- (13) फॉर्म संख्या एवं सदस्यता के नवीनीकरण की तिथि
- (14) सदस्यता की अवधि
- (15) सदस्यता फॉर्म जमा करने की तिथि
- (16) टिप्पणियाँ

अनुच्छेद—5(क) (अ) (5) के अंतर्गत नियमः सदस्यता का नवीनीकरण

किसी व्यक्ति की सदस्यता का नवीनीकरण पांच वर्ष के लिए सदस्यता शुल्क के रूप में 10/— रूपये जमा करने पर पूरा हुआ माना जायेगा। शुल्क की जमा राशि को प्रत्येक सदस्य के नाम के सामने इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कॉलम में स्थायी रिजस्टर में दर्ज़ किया जाएगा या डिजिटल रूप से भरे जाने वाले सदस्यता फॉर्म के नवीनीकरण में डिजिटल रूप से दर्ज़ किया जाएगा और संबंधित ज़िला कांग्रेस समिति या प्रदेश कांग्रेस समिति को जमा किया जाएगा। शुल्क जमा करने वाले सदस्य को भुगतान की अलग से रसीद दी जाएगी। ऐसी रसीद पुस्तकें प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा मुद्रित और आपूर्ति की जाएंगी।

अनुच्छेद-5 (ख) के अंतर्गत नियमः सदस्यता

- 1. संविधान के अनुच्छेद—5(ख) (च) के अंतर्गत सदस्यों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम कार्य होंगे:
- (क) कांग्रेस के सदस्यों का नामांकन,
- (ख) कांग्रेस कोष के लिए चंदा इकट्ठा करना,
- (ग) पद यात्राएं, घर—घर संपर्क / प्रचार अभियान, श्रमदान, रक्तदान शिविर और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं जिनमें गलियों / सड़कों, चौपालों का निर्माण, वृक्षारोपण, मिलन बस्तियों की सफ़ाई, ग्राम स्वच्छता और संबंधित कांग्रेस समितियों द्वारा निर्धारित ऐसे या समान अभियान में शामिल होना।
- (घ) समय—समय पर कार्य समिति/अखिल भारतीय कांग्रेस समिति/प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा निर्देशित राजनीतिक और वैचारिक अध्ययन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सदस्यों, संगठनात्मक समितियों के पदाधिकारियों और पार्टी विधान मंडल दल के सदस्यों का भाग लेना आवश्यक होगा। इस प्रकार निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेने में विफलता पर संगठन में पद धारण करने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- (ड.) किसी भी कांग्रेस समिति द्वारा प्रकाशित कांग्रेस पत्रिकाओं या संबंधित प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पत्रिका के लिए ग्राहकों का नामांकन करना।
- (च) सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करना, जैसे दहेज प्रथा, बाल–विवाह के विरुद्ध और परिवार नियोजन संबंधी कार्य करना।

- (छ) सदस्यों को आमतौर पर स्वदेशी सामान या वस्तुओं का यथा संभव उपयोग और प्रोत्साहन करना चाहिए।
- (ज) सदस्य निम्नलिखित रचनात्मक गतिविधियों में से एक या अधिक को बढ़ावा देंगे।
- (1) शिक्षा और साक्षरता का प्रसार।
- (2) नशीली दवाओं, मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों का उपयोग बंद करना।
- (3) खादी, ग्रामोद्योग एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना।
- (4) युवा और छात्र संगठन।
- (5) श्रम और स्वयं-सहायता समूहों का संगठन।
- (6) किसान और खेत मज़दूरों का संगठन।
- (7) लघु बचत अभियान।
- (8) ग्राम सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
- (9) राष्ट्र भाषा का प्रचार।
- (10) सहकारिता को बढ़ावा देना।
- (11) निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करना।
- (12) सेवादल
- (13) कुष्ठ रोग, एचआईवी—एड्स, कैंसर या अन्य जीवन—घातक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को सेवा प्रदान करना।
- (14) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सशक्तिकरण करना।
- (15) अस्पृश्यता दूर करना।
- (16) राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच कार्य करना।
- (17) प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तकालय—वाचनालय आंदोलन को प्रोत्साहित करना।
- (18) पार्टी साहित्य की बिक्री।
- (19) कार्य समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई विशेष कार्यक्रम।
- (20) दिव्यांग व्यक्तियों के समान अधिकारों के लिए कार्य करना।

अनुच्छेद—5 (क) (झ) के अंतर्गत नियमः पार्टी पत्रिका के लिए सदस्यताः

1. प्रत्येक सदस्य को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा अनुमोदित आविधक पित्रका यानी ''कांग्रेस संदेश'' की सदस्यता के रूप में भुगतान करना होगा। सदस्यता राशि को नामांकन / नवीनीकरण फॉर्म के साथ जमा करना होगा। हालाँकि, ऐसे व्यक्ति जो सदस्य बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अपने नामांकन शुल्क के साथ ''कांग्रेस संदेश'' के लिए सदस्यता का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें सदस्य के रूप में नामांकन के एक वर्ष के भीतर भुगतान करने की अनुमित है। हालाँकि, जो सदस्य किसी भी सिमिति के लिए चुने जाते हैं, उनके लिए कांग्रेस पित्रका यानी ''कांग्रेस संदेश'' का ग्राहक बनना अनिवार्य होगा। सांसदों, विधायकों, विधान परिषद् सदस्यों, पंचायत—राज सदस्यों और ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सभी पार्टी पदाधिकारियों जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के मामले में ''कांग्रेस संदेश'' की सदस्यता लेना अनिवार्य है।

जिस परिवार में एक से अधिक सदस्य हैं, उन्हें परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा "कांग्रेस संदेश" की सदस्यता लेने से छूट दी जाएगी, ऐसे परिवार का कोई भी एक सदस्य "कांग्रेस संदेश" की सदस्यता लेगा। ऐसे मामलों में ब्लॉक कांग्रेस समिति / ज़िला कांग्रेस समिति अध्यक्ष बाकी सदस्यों को इस सदस्यता शुल्क का भुगतान करने से छूट देने के लिए प्राधिकृत है।

2. प्रदेश कांग्रेस समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रत्येक सदस्य, कांग्रेस सांसद, विधायक, विधान परिषद् के सदस्य और नगर निगमों के कांग्रेस सदस्य भी रविवार को नेशनल हेराल्ड (अंग्रेजी) या रविवार नवजीवन (हिंदी) की सदस्यता लेंगे।

अनुच्छेद-6

कांग्रेस समिति का कार्यकाल

- (1) प्रत्येक कांग्रेस समिति और उसके पदाधिकारियों, कार्यकारिणी समिति और सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः पाँच वर्ष का होगा।
- (2) ज़िला कांग्रेस समिति, उनकी कार्यकारिणी समितियों और प्रदेश कांग्रेस समिति और उनकी कार्यकारिणी समितियों की बैठकें आमतौर पर नियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी।
- (3) पार्टी का कोई भी पदाधिकारी ब्लॉक / ज़िला / प्रदेश कांग्रेस समिति स्तर पर सामान्यतः लगातार दो कार्यकाल से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा।

अनुच्छेद-6 (क)

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों / अल्पसंख्यकों / युवाओं और महिलाओं के लिए आरक्षण

- (अ) ''मध्यवर्ती कांग्रेस समितियों, ब्लॉक / शहर कांग्रेस समितियों, ज़िला कांग्रेस समितियों और प्रदेश कांग्रेस समितियों में सभी प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का पचास प्रतिशत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग / अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित होगा, जिनमें से आधे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे।''
- (ब) इसके अतिरिक्त, पचास वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए और महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण होगा, दोनों आरक्षित श्रेणियों में उपरोक्त खंड (अ) में और शेष पचास प्रतिशत में अनारक्षित श्रेणी में भी होंगे।
- (स) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रतिनिधि और पदाधिकारी के चुनाव / नियुक्तियों में उपरोक्त (अ) और (ब) के समान सिद्धांत का यथा संभव सीमा तक पालन करेंगे।

अनुच्छेद—6 (क) (अ), अनुच्छेद—6 (क) (ब) और अनुच्छेद—6 (क) (स) में उपरोक्त प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कांग्रेस अध्यक्ष के पास ऊपर बताई गयी श्रेणियों के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के प्रतिशत में छूट देने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद—६ के अंतर्गत नियमः कांग्रेस समिति का कार्यकाल

कांग्रेस समिति का कार्यकाल, सदस्यता की अवधि जो कि सदस्यता आरंभ होने की तिथि से पांच वर्ष है, के साथ—साथ चलेगा और यह आमतौर पर पांच वर्ष तक कार्य करेगी या कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर नयी समिति चुने जाने तक कार्य करती रहेगी।

अनुच्छेद—6 (2) के अंतर्गत नियमः कांग्रेस समितियों की बैठकें:

प्रदेश कांग्रेस समिति की आम—सभा की बैठकें साल में कम से कम एक बार होगी और कार्यकारिणी समिति की तीन महीने में कम से कम एक बार। इसी प्रकार ज़िला कांग्रेस समिति के सामान्य निकायों की साल में कम से कम एक बार और कार्यकारिणी समिति महीने में कम से कम एक बार या जब भी आवश्यक हो, बैठकें करेंगी। मध्यवर्ती समिति (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) और ब्लॉक / निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस समितियों की बैठक हर महीने होगी।

अनुच्छेद-6 (क) (अ) और (ब) के अंतर्गत नियम

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों / अल्पसंख्यकों / युवाओं और महिलाओं के लिए आरक्षण

- 1. प्रारंभिक इकाइयों से ब्लॉक कांग्रेस समितियों के लिए चुनाव संविधान के उपबंध के अनुसार किए जाएंगे। ब्लॉक कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी समिति के चुनाव के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों / अल्पसंख्यकों के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण होगा, जिसमें से आधा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। पचास प्रतिशत आरक्षित श्रेणी और शेष पचास प्रतिशत अनारिक्षत श्रेणी में, पचास वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और महिलाओं दोनों के लिए आरक्षण होगा। आरिक्षत श्रेणियों के सदस्यों की अपेक्षित संख्या में कमी होने की स्थिति में, कुल सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत सदस्यों को सहविरत करके कमी को पूरा किया जाएगा और इस तरह से चुने गये सदस्यों को अनुच्छेद—6 (अ) की संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऐसे सहविरत सदस्यों को पूरे मताधिकार प्राप्त होंगे।
- 2. ब्लॉक कांग्रेस समितियों द्वारा ज़िला कांग्रेस समिति सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से, छः में से तीन सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/युवाओं और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- 3. संविधान के अनुच्छेद—19 (क) के अंतर्गत कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा चुने जाने वाले अठारह सदस्यों में से कम से कम छः सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/युवा और महिलाओं में से चुने जाएंगे। कांग्रेस कार्य समिति (कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष, कांग्रेस प्रधान मंत्री/पूर्व कांग्रेस प्रधान मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्षों से भिन्न) के कुल 35 सदस्यों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/युवा और महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत रहे।
- 4. सभी स्तरों पर चुनावों के लिए मतपत्र एक समान होने चाहिए और उनमें प्रत्येक सदस्य के आरक्षित वर्ग का उल्लेख होना चाहिए।
- 5. आरक्षित वर्गों और सामान्य वर्गों के सदस्यों के लिए एक ही किस्म के मतपत्र प्रयोग में लाए जाएंगे।
- 6. दोनों आरक्षित वर्गों महिला तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक के अंतर्गत वोटों की पहली गिनती में जो सदस्य सबसे अधिक मत प्राप्त करेंगे, उन्हें निर्वाचित घोषित किया जाएगा। तथापि, यदि उनमें से कोई बाकी सामान्य वर्ग

के सदस्यों से अधिक मत प्राप्त करता है तो सामान्य वर्ग के सदस्यों से अधिक मत प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्तियों को सामान्य वर्ग से जीता हुआ निर्वाचित माना जाएगा, आरक्षित वर्ग में बाक़ी सीटों का प्रत्येक आरक्षित वर्ग में अलग—अलग सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले (हाइस्ट रैकिंग) के आधार पर निर्णय किया जाएगा, ताकि बाक़ी सीटों को भरा जा सके।

7. जहां भी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) शब्द आता है, उसका मतलब पिछड़ा वर्ग (बीसी) भी होना चाहिए।

अनुच्छेद–७

सदस्यों की पंजिका और पार्टी कोष में योगदान

1. पंजिकाः

- (क) सदस्यों की स्थायी पंजिका ज़िला कांग्रेस कमेटी द्वारा भौतिक और डिजिटल रूप में रखी जाएगी। स्थायी पंजिका की ज़िला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित एक प्रति प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भौतिक या डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। ज़िला कांग्रेस कमेटियां अपने सदस्यों को पहचान—पत्र जारी करेंगी, जिन पर सदस्यों के फोटो चिपके होंगे और संबंधित जिला और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के हस्ताक्षर होंगे।
- (ख) प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने क्षेत्राधिकार के अधीन सदस्यों की स्थायी पंजिका यथाविधि प्रमाणित प्रति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को भौतिक और डिजिटल रूप में भेजेगी और उन परिवर्तनों के बारे में सूचित करती रहेगी जो कि समय—समय पर इसमें किए जाएंगे।
- (ग) पंजिका में प्रत्येक सदस्य का पूरा नाम, पता, उम्र, पेशा, निवास स्थान का पता और नामांकन की तारीख का उल्लेख रहेगा।
- (घ) मृत्यु होने, त्यागपत्र देने, हटाए जाने अथवा अंशदान न देने पर और सदस्यता का नवीनीकरण न कराने पर सदस्यता ख़त्म हो जाएगी।

2. सदस्यों / पदाधिकारियों / निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पार्टी कोष में योगदानः

कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि निम्नलिखित शर्तों में पार्टी कोष में अंशदान देगाः —

(क) कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों / पदाधिकारियों / सदस्यों द्वारा नियमित या आंतरायिक अंतराल पर या जनता की सेवा में विशिष्ट कार्यों के लिए पार्टी द्वारा प्रारंभ किए गये विशेष अभियान के अनुसार अथवा उसके प्रयोजनों में और अधिक वृद्धि करने के लिए व्यक्तिगत योगदान।

- (ख) प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व अनुमित से ब्लॉक सिमितियों / शहर / मध्यवर्ती कांग्रेस सिमिति / ज़िला कांग्रेस सिमितियों द्वारा घर—घर जाकर और ऑनलाइन चंदा प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
- (ग) पार्टी के आयकरदाता सदस्य हर साल 1000 / रुपये का अंशदान करेंगे।
- (घ) ग्राम पंचायत के सरपंच/मुखिया, ब्लॉक समितियों/मध्यवर्ती समितियों के अध्यक्ष/सदस्य और ज़िला पंचायतों के अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष उन्हें प्राप्त होने वाले मासिक मानदेय/वेतन की राशि के बराबर योगदान करेंगे।
- (ङ.) संसद सदस्य (लोक सभा–राज्य सभा), विधान सभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य हर साल पार्टी कोष में एक महीने के वेतन का योगदान देंगे।
- (च) कोई अन्य राशि या अंशदान जो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा संकल्प पारित करके निर्धारित की जाए।

अनुच्छेद-7 (1) (क) और (ग) के अंतर्गत नियमः सदस्यों की पंजिकाएं एवं पहचान-पत्र

1. पंजिकाएं :

ज़िला कांग्रेस कमेटियों द्वारा अपने सदस्यों की स्थायी पंजिकाएं, भौतिक या डिजिटल रूप में रखी जाएंगी, इनमें प्रत्येक सदस्य के बारे में निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे :

- (1) क्रम संख्या
- (2) नाम
- (3) पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर
- (4) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक
- (5) पिता / माता या जीवनसाथी का नाम
- (6) पता
- (७) आयु
- (8) व्यवसाय
- (9) निवास स्थान

- (10) सदस्यता आवेदन पत्र की क्रम संख्या.....
- (11) मतदाता पहचान पत्र संख्या
- (12) अधीनस्थ समिति का नाम जिसका आवेदक सदस्य है
- (13) सदस्यता के नवीनीकरण की तिथि
- (14) सदस्यता की अवधि
- (15) टिप्पणी

हालाँकि, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनी पहल पर या अपील पर, ज़िला कांग्रेस कमेटी द्वारा भौतिक या डिजिटल रूप में बनायी गयी सदस्यों की स्थायी पंजिकाओं की जांच (निकालना या जोड़नां) कर सकती है।

2. पहचान-पत्रः

ज़िला कांग्रेस कमेटियां प्रत्येक सदस्य को उसकी फोटो के साथ पहचान—पत्र जारी करेंगी। इस पहचान—पत्र पर संबंधित ज़िला कांग्रेस समिति और प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। इसके लिए प्रत्येक सदस्य को अपना पासपोर्ट आकार का फोटो जिला कांग्रेस समिति कार्यालय में जमा करना होगा।

3. पंजिकाओं में परिवर्तनः

ज़िला कांग्रेस कमेटियों या प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की कार्यकारिणी के निर्णयानुसार, जो कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप लिया गया हो, सदस्यों की सूचियों और सदस्यों की पंजिकाओं में परिवर्तन करना आवश्यक हो, तो पंजिका और डिजिटल रूप में संबंधित कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अथवा सचिव के हस्ताक्षर सहित भौतिक और / या डिजिटल रूप में लाल—स्याही से दर्ज किया जाएगा।

अनुच्छेद-7 (2) के अंतर्गत नियमः

सदस्यों द्वारा पार्टी कोष में योगदानः

1. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्यों और संसद सदस्यों के योगदान को छोड़कर, अनुच्छेद—7 के प्रावधानों के अंतर्गत सदस्यों, प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों से प्राप्त अंशदान को निम्नानुसार वितरित किया जाएगाः केंद्रीय चुनाव निधि के लिए आरक्षितः 50 प्रतिशत

अखिल भारतीय कांग्रेस समितिः 25 प्रतिशत

प्रदेश कांग्रेस समितिः 12.5 प्रतिशत

जिला कांग्रेस समितिः 12.5 प्रतिशत

- 2. प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हिस्से में आने वाले चंदे का भाग अर्थात् केंद्रीय चुनाव निधि के लिए 50 प्रतिशत और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के लिए 25 प्रतिशत तुरंत भेजना होगा। प्रदेश कांग्रेस समिति को संबंधित ज़िलों की ज़िला कांग्रेस समिति का हिस्सा भी भेजना होगा।
- 3. ज़िला कांग्रेस समिति की अधीनस्थ कांग्रेस समितियों को ज़िला कांग्रेस समिति के हिस्से में से संबंधित अंश प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा निर्धारित ढंग से दिया जा सकता है।

अनुच्छेद-8

प्राथमिक समितियाँ और मतदाताओं व उम्मीदवारों की योग्यताएं

(क) प्राथमिक समितियाँ:

बुनियादी इकाई के सदस्य अपना अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति निर्वाचित करेंगे। अध्यक्ष अनुच्छेद—5 (क) (ब) में निर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करेगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक को सचिव नियुक्त करेगा।

(ख) मतदाताः

वह सदस्य जिसका नाम अनुच्छेद—5 (क) (ब) के अनुसार रखी गयी स्थायी पंजिका में दर्ज़ है, उसे अधीनस्थ समिति के सदस्य के चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा।

(ग) उम्मीदवारः

प्राथमिक समिति के अतिरिक्त किसी कांग्रेस समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए केवल वही सदस्य पात्र होगा, जो अनुच्छेद—5 (क) (ब) की पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।

अनुच्छेद–8 (क) के अंतर्गत नियम प्राथमिक समिति :

- 1. प्राथमिक समिति संगठन की बुनियादी इकाई होगी।
- 2. प्राथमिक समिति का क्षेत्र जहां तक संभव हो, आम चुनाव के किसी मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अनुरूप होगा।
- 3. प्राथमिक समिति के सभी सदस्यों की किसी निश्चित समय तथा स्थान पर बैठक होगी जो कि प्राथमिक समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति का चुनाव करेंगे।
- 4. प्राथमिक समिति का अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस समिति का प्रतिनिध अनुच्छेद—5 (क) (ब) के अंतर्गत अर्हता प्राप्त वाले सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा। कोई भी सदस्य कार्यकारिणी की सदस्यता के लिए लड़ सकता है। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से महासचिव की नियुक्ति करेगा।
- 5. प्राथमिक समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव हाथ खडे कर किया जाएगा।

अनुच्छेद-8 (ख) और 7 (1)(क) के अंतर्गत नियम सदस्यों की सूची तैयार करनाः

- 1. ज़िला कांग्रेस समिति हर पांच साल में 31 मार्च से पहले अथवा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा निर्धारित समय पर पूर्ववर्ती कार्यकाल में भर्ती किए गये अथवा सदस्यता का नवीकरण प्राप्त सदस्यों की प्राथमिक सूची प्रकाशित करेगी। संविधान के अनुच्छेद—22 के नियम 1 और 2 के अनुसार छानबीन के बाद संशोधित और अंतिम सूची हर पांचवें साल अधिक से अधिक 31 मई तक अथवा कार्य समिति द्वारा निर्धारित समय पर प्रकाशित की जाएगी।
- 2. इस प्रकार प्रकाशित अंतिम सूची आगामी वार्षिक सूची तैयार होने तक लागू रहेगी।

अनुच्छेद-9

अधीनस्थ कांग्रेस समिति

(क) प्रदेश कांग्रेस समिति, एक पंचायत विकास ब्लॉक या पंचायत समिति या पंचायत यूनियन के लिए जैसी भी स्थिति हो— एक अधीनस्थ कांग्रेस समिति का गठन करेगी और उसे ब्लॉक कांग्रेस समिति की संज्ञा दी जाएगी।

यह भी व्यवस्था की गयी है कि किसी शहरी या किसी विशिष्ट क्षेत्र में कांग्रेस कार्य समिति की पूर्व स्वीकृति से प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा यथानिर्धारित क्षेत्र के लिए अधीनस्थ कांग्रेस समिति का गठन किया जा सकता है और ऐसी समिति भी 'ब्लॉक कांग्रेस समिति' के नाम से जानी जाएगी।

(ख) ज़िला कांग्रेस समिति, ब्लॉक कांग्रेस समिति के क्षेत्राधिकार के भीतर प्रत्येक पंचायत या पंचायतों के समूह के लिए 'पंचायत कांग्रेस समिति' का गठन कर सकती है। शहरी क्षेत्र के लिए, ज़िला कांग्रेस समिति इसी प्रकार से 'वार्ड कांग्रेस समिति' का गठन करेगी। पंचायत और वार्ड कांग्रेस समितियाँ' ब्लॉक कांग्रेस समिति की अधीनस्थ समितियां होंगी।

ज़िला कांग्रेस समिति पंचायतों अथवा वार्डों, जैसी भी स्थिति हो, के एक समूह के लिए 'मध्यवर्ती कांग्रेस समिति' का भी गठन करेगी। यह मध्यवर्ती कांग्रेस समिति ब्लॉक कांग्रेस समिति के अधीनस्थ समिति होगी।

- (ग) प्रत्येक प्रारंभिक समिति, क्षेत्र की ब्लॉक कांग्रेस समिति के अधीनस्थ समिति होगी। अन्य सभी समितियाँ जिला कांग्रेस समिति के अधीनस्थ समिति होंगी।
- (घ) प्रत्येक प्रारंभिक समिति, ब्लॉक कांग्रेस समिति के लिए, अपना प्रतिनिधि चुनेगी। किसी भी सदस्य जो प्रारंभिक इकाई से हो, धारा 5 (क) (ब) की पात्रता को पूरा करता है, उम्मीदवार बनने की अर्हता प्राप्त होगी। ऐसा प्रतिनिधि ब्लॉक कांग्रेस समिति का सदस्य होगा।
- (ड.) ब्लॉक कांग्रेस समिति में अधीनस्थ प्रारंभिक कमेटियों के अध्यक्ष और प्रारंभिक कमेटियों द्वारा चूने गये प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।
- (च) जहां कहीं पंचायत कांग्रेस समिति या वार्ड कांग्रेस समिति जैसी अन्य अधीनस्थ समितियां हैं, वहां ऐसी समितियों के अध्यक्ष को ब्लॉक कांग्रेस समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

मध्यवर्ती कांग्रेस समिति के अध्यक्षों को ब्लॉक कांग्रेस समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

- (छ) ब्लॉक कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी समिति में, ब्लॉक कांग्रेस समिति के पदाधिकारियों के अलावा पदेन सदस्यों के रूप में निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे:—
 - पंचायत कांग्रेस समिति / वार्ड कांग्रेस समिति / मध्यवर्ती कांग्रेस समिति के अध्यक्ष
 - ब्लॉक के विधान सभा सदस्य / विधान परिषद के सदस्य / संसद सदस्य
- ब्लॉक के स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों और कृषि विपणन समितियों के अध्यक्ष / सदस्य के रूप में चुने गये कांग्रेस सदस्य
 - ब्लॉक स्तर पर अग्रिम पंक्ति/विभागों/प्रकोष्ठों के प्रमुख
- (ज) ज़िला कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी समिति में, ज़िला कांग्रेस समिति के पदाधिकारियों के अतिरिक्त, पदेन सदस्यों के रूप में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:—
 - ब्लॉक कांग्रेस समितियों के अध्यक्ष
 - ज़िले से विधान सभा सदस्य / विधान परिषद के सदस्य / संसद सदस्य
- नगर परिषद/समिति/निगमों के अध्यक्ष/सदस्य, ज़िला पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य, पंचायत समिति/मध्यवर्ती निर्वाचित निकायों (चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो) के अध्यक्ष, ज़िला सहकारी बैंकों और ज़िले के ज़िला स्तरीय विपणन समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में चुने गए कांग्रेस सदस्य
 - ज़िला स्तर पर अग्रिम पंक्ति/विभागों/प्रकोष्ठों के प्रमुख

अनुच्छेद—9 के अंतर्गत नियम अधीनस्थ कांग्रेस समितिः

- 1. ब्लॉक कांग्रेस समिति के अधीनस्थ प्रत्येक प्रारंभिक समिति, ब्लॉक कांग्रेस समिति के एक सदस्य का चुनाव करने की हकदार होगी, बशर्ते कि उस प्रारंभिक समिति में कम से कम 25 सदस्य अवश्य हों। यह चुनाव हाथ दिखाने मात्र से किया जाएगा और परिणामों की घोषणा साधारण बहुमत से होगी।
- 2. अधीनस्थ कांग्रेस समिति के बारे में यह समझ लिया जाएगा कि उसका गठन कर लिया गया है, बशर्ते इसकी प्रारंभिक समितियों के सदस्यों की अपेक्षित संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य विधिवत रूप से नामांकित हो गये हों।
- 3. कार्य समिति किसी भी विशेष परिस्थिति में ऊपर दिए गये किसी भी नियम में निर्धारित शर्तों में छूट देने के लिए प्राधिकृत होगी।

अनुच्छेद—9 (ब) के अंतर्गत नियम मध्यवर्ती समितिः

"बूथ समिति के अध्यक्ष, पंचायत कांग्रेस समिति अथवा वार्ड कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, मध्यवर्ती कांग्रेस समिति (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए) की कार्यकारिणी का हिस्सा होंगे। मध्यवर्ती कांग्रेस समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और सचिव सम्मिलित होंगे।"

अनुच्छेद-10

ज़िला कांग्रेस समिति

प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा अपने संविधान में निर्धारित क्षेत्र में ज़िला कांग्रेस समिति बनायी जाएगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः

- (क) कार्य समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ज़िला कांग्रेस समिति के अधीनस्थ प्रत्येक ब्लॉक कांग्रेस समिति द्वारा गुप्त मतदान से निर्वाचित छः सदस्य।
- (ख) ज़िला कांग्रेस कमेटियों के सभी पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने 365 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है और जो कांग्रेस के सदस्य हैं।
- (ग) प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य जो ज़िले में रहते हैं या ज़िले से चुने गये हैं।
- (घ) ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष, बशर्ते कि वे ज़िला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव बनने के अधिकारी नहीं होंगे।
- (ङ.) ज़िले से कांग्रेस विधान मंडल दल, केंद्र और राज्य दोनों से सदस्य बशर्ते कि वे कांग्रेस के सदस्य हों।
- (च) ज़िले की नगरपालिका, नगर निगम और ज़िला बोर्ड / ज़िला परिषद् या जनपद के कांग्रेस दल के नेता, बशर्ते कि वे कांग्रेस के सदस्य हों।
- (छ) कार्य समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ज़िला कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी द्वारा सहवरित सदस्य।

अनुच्छेद–10 के अंतर्गत नियम जिला कांग्रेस समिति

- 1. (क) ज़िला कांग्रेस समिति के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का अधीनस्थ कांग्रेस समिति का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। केवल सदस्य ही उम्मीदवार होने का अधिकारी होगा।
- (ख) ज़िला कांग्रेस समिति के चुनाव के लिए उम्मीदवार को सामान्यतः उसी ज़िले का निवासी होना चाहिए।
- (ग) अधीनस्थ कांग्रेस कमेटियों के सदस्यों द्वारा ज़िला कांग्रेस समिति के सदस्यों का चुनाव मतपत्र द्वारा होगा।
- 2. अनुच्छेद—10 के उपखण्ड (छ) में उल्लिखित विशेष वर्ग के व्यक्ति जिन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे— (1) महिलाओं, (2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, (3) अल्पसंख्यकों, (4) मज़दूर संघों, (5) भारतीय युवक कांग्रेस, (6) भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन
- , (7) कांग्रेस सेवादल और (8) साहित्य, विज्ञान, कला, समाज—सेवा आदि में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों में से ज़िला कांग्रेस कमेटियों की कार्यकारिणी द्वारा अनुच्छेद—10 खंड (क) के अंतर्गत आने वाले ज़िला कांग्रेस समिति के सदस्यों के लिए 15 प्रतिशत भाग को सहवरित किया जाएगा बशर्ते कि युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहवरित किए जाने के मामले में 30 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को इस प्रकार सहवरित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-11

प्रदेश कांग्रेस समिति

(अ) प्रदेश कांग्रेस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः

- (क) ब्लॉक कांग्रेस समितियों द्वारा निर्वाचित सदस्य
- 1. प्रत्येक ब्लॉक कांग्रेस समिति, प्रदेश कांग्रेस समिति के लिए गुप्त मतदान द्वारा एक प्रतिनधि चुनेगी और ऐसा प्रतिनिधि प्रदेश कांग्रेस कमंटी का सदस्य होगा।
- 2. वहीं सदस्य प्रदेश कांग्रेस समिति के चुनाव में उम्मीदवारी के लिए स्वीकार्य होगा जो प्रदेश कांग्रेस समिति के क्षेत्र का निवासी हो और वहीं अपना व्यापार—व्यवसाय करता हो,

ऐसा सदस्य उक्त प्रदेश कांग्रेस समिति के क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी ब्लॉक कांग्रेस समिति से प्रदेश प्रतिनिधि का चुनाव लड़ने का पात्र होगा।

बशर्ते कि:

- (1) कार्य समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव की व्यवस्था और संचालन हो।
- (2) निम्नलिखित प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश / केंद्र शासित, प्रदेश क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटियों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्रादेशिक / राज्य क्षेत्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या के बराबर होगी:—
- 1. अरुणाचल, 2. गोवा, 3. मणिपुर, 4. मेघालय, 5. मिजोरम, 6. नागालैंड, 7. पुडुचेरी, 8. सिक्किम और 9. त्रिपुरा।
- (3) अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह, दादरा–नगर हवेली, दमन–दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख क्षेत्रों की क्षेत्रीय कांग्रेस समितियों में से प्रत्येक से पच्चीस सदस्य होंगे।
- (ख) प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने 365 दिनों का एक कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो और जो सदस्य बने रहे हैं।
- (ग) ज़िला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष, बशर्ते कि वे प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव बनने के अधिकारी नहीं होंगे।
- (घ) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य जो प्रदेश में रहते हैं।
- (ङ.) कांग्रेस विधायक दल द्वारा प्रदेश अथवा क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटियों के सदस्यों की कुल संख्या के 5 प्रतिशत के हिसाब से चुने गये सदस्य, बशर्ते कि उनकी संख्या 15 से अधिक न हो।
- (च) ऐसे विशेष वर्गों के व्यक्तियों में से जिन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ हो तथा अन्य वर्गों में से कार्य समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी द्वारा सहवरित सदस्य।
- (छ) खंड (क) से (च) के अलावा, निम्नलिखित प्रदेश कांग्रेस समिति के पदेन सदस्य होंगे-
 - कांग्रेस के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने रहे हैं,
- ज़िला पंचायत / ज़िला परिषद के अध्यक्ष, जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह् पर चुने गये हैं,
 - नगर निगमों के अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुने गये हैं,

- राज्य सहकारी बैंक और राज्य स्तरीय विपणन समितियों के अध्यक्ष, जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुने गये हैं।
- (ब) प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रत्येक सदस्य और पदाधिकारी को 1000 / रुपये का वार्षिक शुल्क (अनुच्छेद—5 (क)(ब)(2) के अंतर्गत निर्धारित), प्रदेश कांग्रेस समिति को देना होगा, जिसमें से 50 प्रतिशत प्रतिनिधि शुल्क के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को भेजा जाएगा।

उन्हें प्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा कि वह एक सदस्य हैं और उन्होंने पार्टी कोष के लिए चंदा एकत्र किया है।

जो भी सदस्य, निर्धारित समय के भीतर अपना चंदा देने या चंदा इकट्ठा करने में असफल होगा, वह सदस्यता के अधिकार से, जिसमें प्रदेश कांग्रेस समिति की किसी भी बैठक में भाग लेने का अधिकार भी शामिल है, उस समय तक वंचित रहेगा, जब तक बकाया राशि जमा नहीं कर दी जाती। प्रदेश कांग्रेस समिति कार्य समिति द्वारा निर्धारित, तिथि तक अपने सदस्यों की प्रमाणित सूची अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्यालय को भेजेगी।

नोटः प्रदेश कांग्रेस समिति यह तय करेगी कि अधीनस्थ कांग्रेस कमेटियों में कांग्रेस कोष को किस अनुपात में वितरित किया जाएगा।

- (स) प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस समिति अग्रिम संगठनों की गति विधियों का समन्वय करेगी औरः
 - (क) आमतौर पर ज़िला कांग्रेस समितियों के माध्यम से कार्य करेंगी।
- (ख) कार्य समिति को ऑडिटेड बैलेंस शीट सिहत प्रदेश में कांग्रेस संगठन द्वारा किए गये कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
- (ग) कार्य समिति द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख तक अनुच्छेद—5 (क), (स) और उपरोक्त खण्ड (ब) के अनुसार सदस्यों के शुल्क में से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को देय अंश भेजेगी।
- (घ) कार्य समिति द्वारा निर्धारित की गयी तारीख तक या उससे पहले यदि किसी प्रदेश ने कांग्रेस समिति के गठन का कार्य पूरा न किया हो तो उस प्रदेश को कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधित्व देने या न देने के निर्णय का अधिकार कार्यसमिति को होगा।
- (ड.) किसी भी प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा संविधान के अनुसार या कार्य समिति के निर्देशों के अनुसार कार्य करने में विफलता पर, कार्य समिति मौजूदा प्रदेश कांग्रेस समिति को निलंबित कर सकती है और प्रदेश में कांग्रेस के काम को आगे बढ़ाने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन कर सकती है।

- (च) प्रदेश कांग्रेस सिनित क्षेत्रीय कांग्रेस सिनित तथा ज़िला कांग्रेस सिनितयों, ब्लॉक कांग्रेस सिनितयों और प्रदेश कांग्रेस सिनितयों के अधीन अन्य सिनितयों की अचल संपत्तियों को धारण करने के लिए प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस सिनित के क्षेत्रीय कांग्रेस सिनित को एक न्यास स्थापित करना होगा। इस तरह के न्यास के न्यासी मंडल के सदस्यों की संख्या कम से कम तीन होगी और न्यासी मंडल के अध्यक्ष तथा अन्य प्रतिनिधियों सिहत इनकी संख्या नौ से अधिक नहीं होगी। न्यासी मंडल की नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस सिनित क्षेत्रीय कांग्रेस सिनित द्वारा की जाएगी तथा इनमें वही सदस्य हो सकेंगे जिनके नामों को अखिल भारतीय कांग्रेस सिनित की कार्य सिनित की स्वीकृति प्राप्त होगी। प्रदेश कांग्रेस सिनित के कांग्रेस सिनित के अध्यक्ष इस न्यास के पदेन सभापित होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस सिनित के कोषाध्यक्ष तथा संबंधित प्रदेश के प्रभारी महासचिव न्यासी मंडल के पदेन सदस्य होंगे। न्यासी मंडल के अध्यक्ष तथा दो प्रदेश न्यासियों के अतिरिक्त न्यासी मंडल का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा। यह न्यास संपत्तियों का धारक होगा, और यदि कुछ संपत्तियों के विषय में यह संभव न हो सके तो उस बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस सिनित की कार्य सिनित आवश्यक निर्देश देगी।
- (छ) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अध्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों के समन्वय के साथ—साथ महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार—विमर्श करने और उन पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रदेश कांग्रेस समिति की एक 'राजनीतिक मामलों की समिति' का गठन कर सकते हैं।

अनुच्छेद—11 (अ) के अंतर्गत नियमः प्रदेश कांग्रेस समितिः

- 1. अनुच्छेद 11(अ) के उप—खंड (क) के अंतर्गत प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्यों का चुनाव इस प्रकार होगाः
- (क) ब्लॉक कांग्रेस समिति के सभी सदस्य, जिनसे प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र गठित होता है, चुनाव के लिए एक निश्चित समय और स्थान पर बैठक करेंगे और प्रत्येक सदस्य को उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार को मत देने का अधिकार होगा। चुनाव परिणाम साधारण बहुमत के अनुसार घोषित किया जाएगा।
- (ख) यदि मतदान आवश्यक हो तो, मतदान गुप्त प्रणाली द्वारा होगा।
- (ग) प्रदेश कांग्रेस समिति के चुनाव के लिए उम्मीदवार को अधीनस्थ कांग्रेस समिति का सदस्य होना जरूरी नहीं है।

- (घ) प्रत्येक प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र को अपना प्रतिनिधि का चुनने का अधिकार होगा, बशर्ते कि उसकी कम से कम पचास प्रतिशत इकाइयों में ब्लॉक कांग्रेस समिति के सदस्य विधिवत चुने गये हों।
- 2. अनुच्छेद—11 के खंड (अ) के उप—खंड (च) में उल्लिखित विशेष वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ हो उन्हें प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी में सहवरित किया जाएगा जैसे:—
- (1) महिलाओं, (2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, (3) अल्पसंख्यकों, (4) मज़दूर संघों, (5) भारतीय युवक कांग्रेस, (6) भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, (7) कांग्रेस सेवादल और (8) साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवाओं आदि में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी द्वारा उप—खंड (क) के अंतर्गत आने वाले प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्यों के 15 प्रतिशत के अनुपात में सहवरित किए जाएंगे, बशर्ते कि सहवरित युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस तरह के सहवरित के लिए पात्र नहीं होगा।
- 3. अनुच्छेद—11 (अ) के उप—खंड (ड.) के अंतर्गत प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्यों का चुनाव निम्नानुसार होगाः

कांग्रेस विधान मंडल दल, प्रदेश कांग्रेस समिति / क्षेत्रीय कांग्रेस समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 5 प्रतिशत का एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनाव करेगा, बशर्ते कि इस तरह चुने हुए सदस्यों की अधिकतम संख्या 15 होगी।

अनुच्छेद 11(ब) के अंतर्गत नियम कांग्रेस कोष के लिए चंदा इकट्ठा करना :

"प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस समिति का सदस्य अथवा पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस समिति या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के निर्देश पर कांग्रेस के कोष के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए एक अभियान चलाएगा और यह चंदा प्रदेश कांग्रेस समिति या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा छपवाए गये और जारी किए मूल्यवर्ग के कूपन के ज़रिए एकत्र किया जा सकता है अथवा संबंधित प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा दी गयी रसीद बुकों के प्रति चंदा इकट्ठा किया जा सकता है और उसका पूरा लेखा—जोखा प्रदेश कांग्रेस समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।"

अनुच्छेद—11(च) के अंतर्गत नियम प्रदेशों में न्यासी बोर्डः

यदि अनुच्छेद—11 (च) के अंतर्गत नियुक्त कोई न्यासी पार्टी का सदस्य नहीं रहता है, तो न्यासी बोर्ड में उसका स्थान अपने आप रिक्त हो जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस समिति के स्तर पर इस प्रकार रिक्त स्थान को भरने हेतु न्यासी की नियुक्ति करेगा। निचले स्तर अर्थात ज़िला, ब्लॉक या गांव स्तर पर न्यासी बोर्डों में इस प्रकार हुए रिक्त स्थानों को भरने के लिए प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष नये न्यासियों की नियुक्ति करेगा तथा इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करेगा।

अनुच्छेद 12

प्रतिनिधि

प्रदेश कांग्रेस समिति के सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि होंगे। अनुच्छेद-13

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति

- (अ) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः
- (क) "इकहरी हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उनके द्वारा चुने गये प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्यों की संख्या का छठा हिस्सा बशर्ते कि संख्या पांच से कम नहीं होगी, लेकिन चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख क्षेत्रीय कांग्रेस समिति से चार—चार सदस्य चुने जाएंगे।"
- (ख) कांग्रेस प्रधान मंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रधान मंत्री,
- (ग) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जो कांग्रेस के सदस्य बने रहे हों,
- (घ) प्रदेश कांग्रेस समितियों के अध्यक्ष और उत्तर पूर्व समन्वय समिति के अध्यक्ष बशर्ते कि वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पदाधिकारी बनने के पात्र नहीं हों,
- (ड.) कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता,
- (च) विधान मंडलों में कांग्रेस पार्टी के नेता राज्य विधान सभाओं और विधान परिषदों दोनों में, केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं और महानगर परिषदों में कांग्रेस दल के नेता,
- (छ) संसदीय कांग्रेस दल द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत की प्रणाली से चुने गए 15 सदस्य,

- (ज) ऐसे विशेष वर्गों के व्यक्तियों में से, जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और अन्य वर्गों में से कार्यसमिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कांग्रेस कार्य समिति द्वारा सहवरित सदस्य,
- (ब) (क) कांग्रेस का अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष होगा।
- (ख) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति निश्चित किए गये कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की व्यवस्था करेगी और उसे अपने कार्यकाल में प्रस्तुत होने वाले मामलों और स्थितियों से निपटने की शक्तियाँ होंगी।
- (ग) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पास कांग्रेस से सम्बन्धित सभी मामलों के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति होगी। ये नियम इस संविधान से असंगत न होंगे, इसके साथ सभी अधीनस्थ कांग्रेस समितियाँ इन नियमों को मानने के लिए बाध्य होंगी।
- (घ) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक, जब भी कार्यसमिति आवश्यक समझेगी, बुलाएगी लेकिन एक वर्ष में कम से कम एक बार होगी, या जब पूर्ण मताधिकार प्राप्त अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत सदस्य कार्य समिति को सम्मिलित आवेदन—पत्र भेजेंगे। ऐसे आवेदन—पत्र में उस कारण को विशेष रूप से स्पष्ट किया जाएगा जिसके लिए सदस्यगण अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक बुलाना चाहते हैं। आवेदन—पत्र भेज कर बुलायी गयी बैठक आवेदन—पत्र की प्राप्ति के दो मास के अन्दर होगी, बशर्ते कि एक वर्ष में एक बार से अधिक आवेदन—पत्र भेजकर बैठक न बुलायी जा सकेगी। किसी पर आवेदित बैठक में कार्य समिति अतिरिक्त विषयों को भी विचारार्थ पेश कर सकेगी।
- (ड.) आवेदित बैठकों के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की अन्य सभी बैठकों में उन प्रस्तावों पर विचार के लिए कम से कम 2 घंटे आवंटित किए जाएंगे, जिनके बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गये नियमों के अनुसार विधिवत पूर्व सूचना दी गई होगी।
- (च) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक के लिए 100 या कुल सदस्यों का पांचवां हिस्सा, दोनों में से जो भी कम हो, वह बैठक के लिए कोरम माना जाएगा।
- (छ) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का प्रत्येक सदस्य 3000 / रुपये का वार्षिक शुल्क देगा (अनुच्छेद—5 (क) (ब) (2) के तहत निर्धारित) और उसकी रसीद प्राप्त करेगा। उसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किसी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित अपनी सदस्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। जो भी सदस्य अपना चंदा देने में असमर्थ रहता है वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, विषय समिति की बैठकों या कांग्रेस के किसी अधिवेशन में तब तक भाग लेने का अधिकारी नहीं होगा जब तक बकाया रकम अदा नहीं कर देता।

(ज) अनुच्छेदों तथा नियमों में निहित तथ्यों के बावजूद, प्रावधानों में ढील देने का अधिकार, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अध्यक्ष को होगा।

नोटः अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य को प्रदेश कांग्रेस समिति के लिए फंड इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है।

अनुच्छेद—13 (अ) के अंतर्गत नियमः अखिल भारतीय कांग्रेस समितिः

1. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों का चुनाव अनुच्छेद—13 (अ) के उप—खंड (छ) के तहत निम्नानुसार होगाः

संसदीय कांग्रेस दल अपने सांसदों में से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के लिए एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार 15 सदस्यों को चुनेगा। यदि इस प्रकार निर्वाचित किसी सदस्य की संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो अनुच्छेद—13 (अ) (छ) के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी।

2. अनुच्छेद—13 के खंड (अ) के उप—खंड (ज) में उल्लिखित विशेष वर्ग के व्यक्ति जिन्हें पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो जैसे कि— (1) महिलाओं (2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (3) अल्पसंख्यकों, (4) मज़दूर संघों, (5) भारतीय युवक कांग्रेस, (6) भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, (7) कांग्रेस सेवा दल और (8) साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों में से उप—खंड (क) के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस सिमिति के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत के अनुपात में सहवरित किए जाएंगे, बशर्त कि युवा कांग्रेस के मामले में 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सहवरित नहीं होगा।

3.

अनुच्छेद—13 (ब) उप—खंड (घ) के अंतर्गत नियमः अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठकों के लिए स्वागत समितिः

1. जिस प्रदेश कांग्रेस समिति के अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होगी, वह बैठक कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी और इस कार्य के लिए एक स्वागत समिति का गठन करेगी, जो उसी के सामान्य मार्गदर्शन के तहत काम करेगी और इसमें ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल करने का अधिकार होगा, जो प्रदेश कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं।

- 2. स्वागत समिति अपने सदस्यों में से अपना अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी चुनेगी।
- 3. स्वागत समिति अधिवेशन के खर्च के लिए धन एकत्र करेगी और सदस्यों के स्वागत एवं उनके आवास की आवश्यक व्यवस्था करेगी और इसके साथ ही वह दर्शकों के लिए भी व्यवस्था कर सकती है।
- 4. स्वागत समिति के आय—व्यय का लेखा संबंधित प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों द्वारा जांचा जाएगा और बैठक की समाप्ति के बाद चार महीने के भीतर प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा इसे ऑडिट रिपोर्ट के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। स्वागत समिति के पास यदि कुछ धनराशि शेष है तो वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और प्रदेश कांग्रेस समिति के बीच समान रूप से विभाजित कर दी जाएगी।

अनुच्छेद—13 (ब), उप—खंड(ड.) के अंतर्गत नियमः अ0भा0कां0 समिति के लिए निजी प्रस्ताव (गैर आधिकारिक संकल्प)

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा किन्हीं सुझावों पर विचार किए जाने की इच्छा रखने वाले सदस्यों को चाहिए कि वे अपने इन सुझावों को लिखित रूप में बैठक के कम से कम 15 दिन पहले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति कार्यालय में भेजें।

अनुच्छेद-13 (ब), उप-खंड (छ) के अंतर्गत नियमः अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों द्वारा चंदा इकट्ठा करना :

"अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का प्रत्येक सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के लिए अपेक्षित कांग्रेस का चंदा इकट्ठा करेगा और यह ऐसे मूल्यवर्ग के कूपन के ज़रिए एकत्र किया जा सकता है जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा छापे और आपूर्ति किए गये हों या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा जारी रसीद पुस्तकों के ज़रिए चंदा एकत्र किया गया हो औार उसका पूरा लेखा—जोखा सदस्य द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति / प्रदेश कांग्रेस समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।"

अनुच्छेद-14

सहवरित सदस्य

"अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के निर्वाचित सदस्यों में उन वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, जिनका पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, कार्य समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, प्रदेश कांग्रेस समिति और संबंधित अन्य निचली समितियों की कुल सदस्यता के 25 प्रतिशत तक प्रदेश और निचले स्तरों पर कार्य समिति और कार्यकारिणी समिति सहवरित कर सकती है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, प्रदेश कांग्रेस समिति और निचले स्तरों पर सहवरित सदस्य किसी भी संगठनात्मक चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे और न ही वह संगठन में कोई चुनाव लड़ सकेंगे। फिर भी, ऐसे किसी सदस्य को सहवरित होने के कारण सामान्यतः किसी समिति की पूर्ण सदस्यता पाने के लिए चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा।"

अनुच्छेद—14—क

पदेन सदस्य

स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं शहरी) सहकारी निकायों, कृषि विपणन निकायों, विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस समिति के नियमों में जैसा कि निर्दिष्ट है के अनुरूप कांग्रेस पार्टी के पदेन सदस्य होंगे।

अनुच्छेद-14-(क) के अंतर्गत नियम

पदेन सदस्यः

- (क) (1) ग्राम पंचायतों, नगरपालिका समितियाँ और ब्लॉक पंचायतों के सदस्य कांग्रेस समिति के पदेन प्राथमिक सदस्य होंगे।
- (2) ज़िला परिषदों के सदस्य, ब्लॉक पंचायत, नगर पालिका, ब्लॉक स्तरीय सहकारी सिनितयों और कृषि विपणन निकायों के अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस सिनित के पदेन सदस्य होंगे।
- (3) ज़िला परिषदों के अध्यक्ष, जिला स्तरीय सहकारी निकायों के अध्यक्ष, जिला स्तरीय कृषि विपणन निकायों के अध्यक्ष और नगर निगमों के महापौर ज़िला कांग्रेस समितियों के पदेन सदस्य होंगे।

- (4) विधान सभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, अपने विधान सभा क्षेत्र की ब्लॉक कांग्रेस समिति, ज़िला कांग्रेस समिति एवं संबंधित प्रदेश कांग्रेस समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पदेन सदस्य होंगे।
- (5) संसद के सभी सदस्य उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ब्लॉक कांग्रेस समितियों और ज़िला कांग्रेस समितियाँ तथा सम्बद्ध प्रदेश कांग्रेस समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पदेन सदस्य होंगे।
- (ख) पदेन सदस्य सम्बन्धित समितियों में होने वाले किसी भी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें निर्णय लेने सम्बन्धी चर्चाओं में भाग लेने की और प्रस्तावों पर मतदान की अनुमति होगी।

अनुच्छेद- 15

विषय समिति

- (क) विषय समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः
 - (1) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष।
 - (2) कार्य समिति के सदस्य।
 - (3) कार्य समिति के स्थायी, आमंत्रित और विशेष आमंत्रित सदस्य।
 - (4) सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों के अध्यक्ष।
 - (5) विधान सभा और विधान परिषद में कांग्रेस विधान मंडल के सभी नेता, यदि कोई हो।
- (6) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सभी अग्रिम संगठनों के प्रमुख और और भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस (इण्टक) के अध्यक्ष;
 - (7) कांग्रेस संसदीय दल के पदाधिकारीगण;
 - (8) उत्तर-पूर्व समन्वय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष.
- (ख) कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व विषय समिति की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी। कार्य समिति या, यदि कांग्रेस अधिवेशन से पहले कोई नया अध्यक्ष चुन लिया गया हो, किंतु उसके द्वारा किसी कार्यसमिति की नियुक्ति न की गयी हो, तो नव—निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा नामजद की गयी संचालन समिति विषय समिति के सम्मुख कांग्रेस

अधिवेशन के लिए कार्यक्रम पेश करेगी, जिसमें प्रस्तावों के मसौदे भी शामिल होंगे। प्रस्तावों के मसौदे विषय समिति के सदस्यों को बैठक से कम से कम दो सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रस्तावों के मसौदे तैयार करते समय कार्यसमिति अथवा संचालन समिति उन प्रस्तावों पर भी विचार करेगी, जिनकी प्रदेश कांग्रेस समितियों ने सिफ़ारिश की है या जिनके बारे में विषय समिति के सदस्यों द्वारा पूर्व सूचना दी गयी हो।

(ग) विषय समिति कार्यक्रम पर विचार करेगी और खुले अधिवेशन में पेश करने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के सदस्यों द्वारा जिन प्रस्तावों के बारे में यथाविधि सूचना दी जा चुकी है, उन पर विचार—विमर्श करने के लिए यथासंभव चार घंटे का समय दिया जाएगा।

अनुच्छेद - 16

कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन

- (क) आमतौर पर कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन पांच वर्ष में एक बार कार्यसमिति अथवा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, जैसा भी हो, द्वारा निर्णित समय एवं स्थान पर किया जाएगा।
- (ख) कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य सभी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- (ग) (1) कांग्रेस अधिवेशन पहले उन प्रस्तावों पर विचार करेगा जिनकी स्वीकृति हेतु विषय—समिति ने सिफारिश की है।
- (2) इसके बाद अधिवेशन किसी ऐसे ठोस प्रस्ताव पर विचार करेगा, जो ऊपर लिखित खण्ड (1) में न आता हो, लेकिन जिसके लिए उस दिन की बैठक आरंभ होने से पूर्व 40 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत करने की लिखित अनुमित अध्यक्ष से मांगी हो, बशर्ते कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी, जिस पर विषय—समिति की बैठक में पहले बहस न हो चुकी हो और जिसे विषय—समिति में उस समय उपस्थित सदस्यों में से कम से एक तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त न हुआ हो।
- (घ) जिस प्रदेश कांग्रेस समिति के अधिकार क्षेत्र में है कांग्रेस का अधिवेशन होगा, वह कांग्रेस अधिवेशन कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी और इस कार्य के लिए एक स्वागत समिति बनाएगी, जो उसके सामान्य मार्गदर्शन में कार्य करेगी और उसमें ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल करने का अधिकार होगा जो उसके सदस्य न हों।
- (ड.) स्वागत समिति अपने सदस्यों में से अपना अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी चुनेगी।

- (च) स्वागत समिति अधिवेशन के खर्च के लिए धन एकत्र करेगी और प्रतिनिधियों के स्वागत एवं आवास की सभी आवश्यक व्यवस्था करेगी। साथ ही वह आगंतुकों के लिए आवश्यक व्यवस्था भी कर सकती है।
- (छ) स्वागत—समिति के आय—व्यय का लेखा संबंधित प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा नियुक्त एक लेखा—परीक्षक या परीक्षकों द्वारा जांचा जाएगा और कांग्रेस अधिवेशन की समाप्ति के छः महीनों के भीतर प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा उसे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ कार्यसमिति को भेज देना आवश्यक होगा। स्वागत समिति के पास यदि कुछ धनराशि बची रहेगी तो वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और उस प्रदेश कांग्रेस समिति के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी।

अनुच्छेद-17

विशेष अधिवेशन

- (क) कांग्रेस का विशेष अधिवेशन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के निर्णय लेने या अधिकांश प्रदेश कांग्रेस कमेटियों द्वारा अपने प्रस्तावों के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किए जाने पर बुलाया जाएगा।
- (ख) इस प्रकार के विशेष अधिवेशन का आयोजन उस प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा किया जाएगा जिसके प्रदेश को अधिवेशन के लिए चुना जाएगा।

अनुच्छेद-18

अध्यक्ष का चुनाव

- (क) केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का अध्यक्ष, अध्यक्ष के चुनाव के लिए पदेन निर्वाचन अधिकारी होगा।
- (ख) कोई भी सौ प्रतिनिधि संयुक्त रूप से किसी भी प्रतिनिधि का नाम कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने हेतु प्रस्तावित कर सकेंगे। ऐसे प्रस्तावों को कार्य समिति द्वारा निश्चित की गयी तारीख पर या उससे पहले ही निर्वाचन अधिकारी के पास भेजा जाना ज़रूरी होगा।
- (ग) निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार प्रस्तावित सभी व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करेगा और जिन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार प्रस्तावित किए जा चुकेंगे उनमें से किसी भी व्यक्ति को छूट रहेगी कि वह प्रस्तावित नामों के प्रकाशन के सात दिन के अंदर निर्वाचन अधिकारी को लिख कर देने पर अपना नाम उम्मीदवारी से वापस ले सकता है।

- (घ) निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने वाले व्यक्तियों के नाम निकालकर बाक़ी उम्मीदवारों के नाम तुरंत प्रकाशित करेगा और उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के पास भेज देगा। नाम निकाले जाने के बाद यदि केवल एक ही उम्मीदवार शेष रह जाए, तो उसे आगामी कांग्रेस अधिवेशन का विधिवत् निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया जाएगा।
- (ड.) अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्य समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर, जो सामान्यतः प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों के नामों के अंतिम प्रकाशन की तिथि से कम से कम सात दिन बाद ही होगी, प्रत्येक प्रतिनिधि को अध्यक्ष के चुनाव के लिए नीचे लिखे तरीक़े के अनुसार मत देने का अधिकार होगाः

यदि सिर्फ़ दो ही उम्मीदवार हों तो प्रत्येक प्रतिनिधि मतदान के पर्चे पर, जिस पर उम्मीदवारों के नाम होंगे, किसी एक के ही पक्ष में मत देगा और यदि दो से अधिक उम्मीदवार हों तो जिन उम्मीदवारों के पक्ष में मत दे रहा हो, उनके नाम के आगे 1, 2 आदि अंक लिखकर कम से कम दो प्राथमिकताएं दर्ज करेगा। दो से अधिक उम्मीदवारों के होने की स्थिति में प्रतिनिधि चाहे तो दो से अधिक प्राथमिकताएँ दे सकता है। लेकिन मतदान पत्र के जिन पर्चों पर दो से कम प्राथमिकताएं होंगी, उन्हें अवैध समझा जाएगा। मतदान पत्र इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मतपेटी में रखे जाएंगे।

- (च) प्रदेश कांग्रेस कमेटियां मतपेटियों को तुरंत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को भेजेंगी।
- (छ) मतपेटियां प्राप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में दिए गये मतों की अथवा पहली प्राथमिकताओं की यथाशीघ्र गणना करेगा। यदि कोई उम्मीदवार पहली प्राथमिकता के पचास प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त कर लेगा तो उसे अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि किसी भी उम्मीदवार को पहली ही प्राथमिकता में पचास प्रतिशत से अधिक मत न मिलें तो जिस उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता सबसे कम मिलेगी, उसका नाम निकाल दिया जाएगा और जिन मतदाताओं ने उसे पहली प्राथमिकताएं दी हैं, उनकी दूसरी प्राथमिकताओं को बाक़ी उम्मीदवारों की मतगणना करते समय गिना जाएगा। इस गणना में जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिलेंगे, उसका नाम काट दिया जाएगा। उम्मीदवारों को कम करने की इस प्रक्रिया में लगातार गणना क्रम में सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवारों के मतों को उन पर दो प्राथमिकताओं के अनुसार स्थानांतरित किए जाने के बाद जिस उम्मीदवार को पचास प्रतिशत से अधिक मत मिलेंगे उसे अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
- (ज) किसी कारणवश आपातिस्थिति पैदा हो जाने की दशा में जैसे की उपर्युक्त ढंग से निर्वाचित अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने से या पद त्याग देने के कारण, वरिष्ठतम महासचिव, अध्यक्ष के दिन प्रति दिन के कार्यों का निर्वहन करेंगे, जब तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस

समिति द्वारा, नियमित रूप से अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता और उस बीच कार्य समिति एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर देती।

(झ) अध्यक्ष अपने चुनाव के पश्चात एवं अपने कार्यकाल में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में सभापति का कार्य करेगा और जब कार्य समिति की बैठक न हो रही हो तो वह कार्य समिति के अधिकारों का प्रयोग करेगा।

अनुच्छेद-19

कार्य समिति

- (क) कार्य समिति में कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, संसद में कांग्रेस संसदीय दल के नेता, कांग्रेस के प्रधान मंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रधान मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता और 35 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से 18 सदस्य कार्यसमिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा चुने जाएंगे शेष सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अध्यक्ष द्वारा कार्य समिति के सदस्यों में से एक कोषाध्यक्ष और एक या अधिक महासचिवों की नियुक्त की जाएगी। अध्यक्ष को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के निर्वाचित सदस्यों में से एक या अधिक सचिवों / संयुक्त सचिवों को नियुक्त करने का भी अधिकार प्राप्त होगा। सचिव / संयुक्त सचिव अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साधारणतः कार्य समिति के सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों में से नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन विशेष मामलों में उन प्रतिनिधियों को भी जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य नहीं हैं, नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त प्रतिनिधि यदि वह अपनी नियुक्ति के बाद छः महीने के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सदस्य नहीं चुना जाता, तो वह कार्य समिति का सदस्य नहीं रह पाएगा।
 - (ख) कार्य समिति की किसी बैठक के लिए कोरम 12 होगा।
- (ग) कार्य समिति कांग्रेस की सर्वोच्च अधिकार संपन्न कार्यकारिणी होगी और उसे कांग्रेस तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा निर्धारित नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का अधिकार होगा और वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रति उत्तरदायी होगी। उसे सभी मामलों में इस संविधान के प्रावधानों की व्याख्या और प्रयोग के बारे में अंतिम अधिकार होगा।
- (घ) कार्य समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की प्रत्येक बैठक में उसकी पिछली बैठक की कार्यवाहियों का विवरण और उस बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करेगी और ऐसे निजी प्रस्तावों के लिए समय भी निर्धारित करेगी, जिनकी यथाविधि सूचना अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों द्वारा इस संबंध में बनाए गये नियमों के अनुसार दी जा चुकी हो।

(ड.) कार्य समिति, सभी कांग्रेस कमेटियों और संगठनों के लिए रिकार्ड, कागजात और बही—खातों की जांच करने के लिए एक या एक से अधिक लेखा—परीक्षकों, निरीक्षकों अथवा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी। इन सभी कमेटियों और संगठनों के लिए इन लेखा—परीक्षकों, निरीक्षकों अथवा अन्य अधिकारियों को सब तरह की जानकारी देने और अपने सभी कार्यालयों, हिसाब—िकृताब और रिकार्ड को दिखाना आवश्यक होगा।

(च) कार्य समिति के अधिकारः

- (1) संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाना। ये नियम यथाशीघ्र अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।
- (2) सभी मामलों में ऐसे निर्देश जारी करना जो संविधान के प्रति असंगत न हों और ऐसे नियम बनाना जिनके लिए कोई प्रावधान न किया गया हो।
- (3) सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों और मातहत कमेटियों के साथ—साथ अन्य समितियों पर निगरानी रखना तथा उन्हें हिदायतें देना और उन पर नियंत्रण रखना।
- (4) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अलावा किसी समिति अथवा व्यक्ति के ख़िलाफ़ यथोचित अनुशासन संबंधी कार्रवाई करना।
- (5) विशेष मामलों में संविधान की धारा 5क अ(1), 5(ख) और 8(ख) और (ग) के अंतर्गत प्रावधानों में छूट देना।
- (छ) कार्य समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा प्रतिवर्ष नियुक्त किए गये लेखा—परीक्षक या लेखा—परीक्षकों से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के हिसाब की जांच कराएगी।
- (ज) कार्य समिति, वह तारीख तय करेगी, जिस पर अधीनस्थ, ज़िला, प्रदेश और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन पूरा करना होगा।
- (झ) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की अचल संपत्तियों को धारण करने के लिए कार्य समिति एक न्यास स्थापित करेगी। उक्त न्यास की नियुक्ति कार्य समिति द्वारा की जाएगी, जिसके सदस्यों की संख्या न्यास के चेयरमैन और पदेन सदस्यों को मिलाकर पाँच से कम और नौ से अधिक नहीं होगी। कांग्रेस अध्यक्ष उक्त न्यास के पदेन चेयरमैन होंगे और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष एवं महासचिव (प्रशासन) न्यासी मंडल के पदेन सदस्यों को छोड़कर न्यासी मंडल के चेयरमैन और दो पदेन सदस्यों को छोड़कर न्यासी मंडल के अन्य सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। समस्त संपत्तियां उक्त न्यास के नाम रहेंगी, और यदि परिस्थितिवश ऐसा संभव न हो तो संपत्तियों का धारण कार्यसमिति के निर्देशानुसार होगा।

(त्र) किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए कार्य समिति को कांग्रेस के हित में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई की जाए जो संविधान में उल्लिखित कार्य समिति के अधिकारों से बाहर है, तो उसकी संपुष्टि यथासंभव शीघ्र किन्तु छः माह से पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से करानी होगी।

अनुच्छेद—19 (क) के अंतर्गत नियमः कार्य समितिः

कार्यसमिति के 18 सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रियाः

अ. नामांकनः

- 1. कार्य समिति के सदस्यों के चुनाव में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का कोई भी सदस्य, जिसे मतदान का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, कार्य समिति के चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है।
- 2. नामांकन का प्रस्ताव और उसका समर्थन, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कम से कम 12 सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें मतदान का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो।
- 3. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का एक सदस्य कार्य समिति की सदस्यता के लिए 18 नाम तक प्रस्तावित कर सकता है।
- 4. नामांकन पत्र पर प्रस्तावित उम्मीदवार की सहमति अंकित होनी चाहिए।

ब. मतदान प्रणालीः

- 1. मतदान मतपत्र प्रणाली द्वारा होगा।
- 2. प्रत्येक मतपत्र पर प्रत्येक मतदाता 18 उम्मीदवारों के लिए मत दे सकेगा, बशर्ते कि एक उम्मीदवार के लिए एक से अधिक मत न दिए जाएं।
- 3. मतपत्र पर किसी मतदाता द्वारा 18 से अधिक मत दिए जाने पर वह मतपत्र अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
- 4. सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 18 उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
- 5. उप-चुनाव होने की स्थिति में यही चुनाव नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

- 6. इस चुनाव के लिए मतपत्रों में यह बताया जाना चाहिए कि क्या सदस्य आरक्षित वर्ग अर्थात् महिला, अनुसूचित जातियों / अनु0 जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों / अल्पसंख्यकों से संबंधित है।
- 7. अनुच्छेद 19 (क) के अंतर्गत बनाए गए उपरोक्त नियम, महिलाओं / अनुसूचित जातियों / अनु0 जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों / अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 6(क) (अ) और (ब) के अंतर्गत बनाए गये नियमों के साथ पढ़े जाएंगे तथा उपर्युक्त वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की प्रयोजनार्थ लागू किए जाएंगे।

अनुच्छेद-19 (झ) के अंतर्गत नियमः

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के स्तर पर न्यासी मंडलः

यदि न्यासी मंडल का कोई न्यासी, पार्टी छोड़ देता है या त्याग—पत्र दे देता है, तो न्यासी मंडल में उसका स्थान अपने आप रिक्त हो जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इस प्रकार रिक्त स्थान को भरने के लिए नये न्यासी की नियुक्ति करेगा।

अनुशासनात्मक नियम

1. अधिकारी जो अनुच्छेद 19 (च) (४) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं:

निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ, कार्य समिति, प्रदेश, क्षेत्रीय तथा ज़िला कांग्रेस समिति की कार्यकारिणियां, उस कांग्रेस समिति के विरूद्ध, जिसने अनुशासन की अवज्ञा की हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।

- (क) कार्य समिति किसी भी कांग्रेस समिति या कांग्रेस सदस्य के विरूद्ध कार्रवाई कर सकती है, किन्तु अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के विरूद्ध नहीं कर सकती।
- (ख) प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी केवल अधीनस्थ कांग्रेस कमेटियों तथा उन व्यक्तियों के विरूद्ध ही कार्रवाई कर सकती है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और संसद के सदस्य न हों। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति तथा संसद के सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रदेश कांग्रेस समिति कार्य समिति से केवल सिफारिश कर सकती है।
- (ग) ज़िला कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी केवल अपनी अधीनस्थ कांग्रेस कमेटियों तथा ज़िला कांग्रेस समिति के सदस्यों के विरूद्ध कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ज़िला कांग्रेस समिति को किसी प्रतिनिधि या विधायक के विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे मामलों में वह केवल सक्षम अधिकारी से अनुशासनात्क कार्रवाई के लिए सिफ़ारिश कर सकती है।

2. अनुच्छेद-27 (ख) के अंतर्गत अधिकारों का प्रत्यायोजनः

कार्य समिति अनुच्छेद 27 (ख) के अंतर्गत किसी उप—समिति को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रत्यायोजित करने में समर्थ मानी जाएगी, लेकिन न तो प्रदेश कांग्रेस समिति, न क्षेत्रीय कांग्रेस समिति और न ज़िला कांग्रेस समिति की कार्यकारिणियां अपने अनुशासनात्मक संबंधी अधिकार किसी दूसरे को प्रदान कर सकेंगी किंतु, प्रदेश कांग्रेस समिति, क्षेत्रीय कांग्रेस समिति और ज़िला कांग्रेस समिति की कार्यकारिणियां अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए उप—समितियां बना सकती है जो संबंधित कार्यकारिणी को सिफारिशें कर सकती है।

3. निलंबन का अधिकारः:

- (क) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की किसी भी अधीनस्थ समिति तथा कांग्रेस समिति के किसी भी सदस्य को अगर, उसने प्रत्यक्ष रूप से अनुशासन भंग किया हो, निलंबित किया जा सकता है। अध्यक्ष द्वारा इस मामले को कार्य समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (ख) प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस समिति की किसी अधीनस्थ समिति और प्रदेश कांग्रेस समिति के किसी भी सदस्य को, अगर उसने प्रत्यक्ष रूप से अनुशासन भंग किया हो, निलंबित कर सकता है, बशर्ते कि वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति या संसद का सदस्य न हो। ऐसे सभी निलंबन के मामलों तथा उसके बाद उन पर लिए जाने वाले निर्णयों की सूचना, निलंबन अथवा निर्णय लिए जाने की तारीख़ के बाद सात दिन के अंदर ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को दे देनी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष द्वारा इस मामले को प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी की अगली बैठक में रखा जाना चाहिए और कार्यवाही को इस तरह चलाना चाहिए कि निलंबन संबंधी आदेश के एक माह के भीतर ही अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी मामलों का निर्णय किया जा सके।

4. अनुशासन का उल्लंघनः

अनुशासन के उल्लंघन में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) जान-बूझकर कांग्रेस के कार्यक्रम तथा निर्णयों के विरूद्ध कार्य अथवा प्रचार करना।
- (ख) जान–बूझकर कांग्रेस के नियमों अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दए गये आदेशों की अवहेलना करना।
- (ग) कांग्रेस कोष, सदस्यों की भर्ती अथवा कमेटियों के चुनाव / नामांकन से संबंधित मामलों में कपटपूर्ण व्यवहार में शामिल होना।
- (घ) नैतिक पतन, काला बाज़ारी, चीज़ों में मिलावट, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जालसाजी, कांग्रेस कोष के गबन अथवा शराब बेचने जैसे जुर्मों का अपराधी होना।

(ड.) जान–बूझकर ऐसे काम करना, जिनसे कांग्रेस की प्रतिष्ठा घटती हो या कांग्रेस कमेटियों या पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रचार करना।

5. नोटिसः

- (क) किसी भी व्यक्ति अथवा समिति पर लगाए गये आरोपों के स्पष्टीकरण के लिए कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिए बिना उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाहीं नहीं की जाएगी। फिर भी कार्य समिति जब उचित समझे, नोटिस की इस अवधि में कमी कर सकती है।
- (ख) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में समर्थ समिति के अध्यक्ष की आज्ञा से नोटिस जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि वह संबंधित समिति या व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुशासन की अवहेलना किया जाना महसूस करता हो।

6. दंड

दंड की व्यवस्था निम्न प्रकार है:

- (क) किसी कांग्रेस समिति के मामले में उसको भंग कर नयी समिति का गठन और अनुशासन भंग करने वाले सदस्य विशेष के विरूद्ध इसी प्रकार की दूसरी कार्यवाही जो भी आवश्यक हो।
- (ख) किसी कांग्रेस समिति के पदाधिकारी या सदस्य के मामले में, उसके पद अथवा उसकी सदस्यता से निलंबित करना या हटाया जाना और ऐसी अवधि का निर्णय किया जाना, जिसके दौरान वह किसी भी पद पर चुना न जा सके, नामजद न किया जा सके अथवा किसी समिति का सदस्य नामांकित न हो सके।
- (ग) सदस्यों के मामले में, सदस्यता से हटाया जाना तथा निश्चित समय के लिए सदस्यता के निमित्त अयोग्य करार दिया जाना। बशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है और दंड भी घोषित कर दिया गया है, किसी भी स्थानीय निकाय, विधानमंडल, संसद सदस्य या कांग्रेस सदस्य होने के नाते किसी अन्य पद पर है, तो उसे इन संस्थाओं से भी त्यागपत्र देने के लिए कहा जा सकता है।

7. अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्टः

ज़िला कांग्रेस समिति अथवा प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी द्वारा काई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने पर, इस कार्रवाई की सूचना एक सप्ताह के अंदर क्रमशः प्रदेश कांग्रेस समिति तथा कार्य समिति को दी जानी चाहिए।

८. अपील

- (क) किसी भी कांग्रेस समिति या सदस्य को, जिसके विरुद्ध प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी हो, आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंदर कांग्रेस कार्य समिति से अपील करने का अधिकार होगा और ज़िला कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी द्वारा अनुशासनात्म्क कार्रवाई किए जाने पर आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंदर प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी से अपील करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि आदेश के विरुद्ध अपील की अवधि के दौरान, आदेश का पालन किया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति तथा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, जैसा भी प्रकरण हो, जब इस आदेश की कार्य रूप में परिणित होने से रोक देना उचित समझें, रोक सकते हैं।
- (ख) संबंधित समिति से आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंदर ही अपील की दो प्रतियां दाखिल की जानी चाहिए।
- (ग) इस प्रकार अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरूद्ध, जिसमें किसी को निर्वाचित समिति से हटाया जाना हो, अपील के निर्णय तक रिक्त हुए स्थान को भरा नहीं जाएगा।

अनुच्छेद-20

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष कांग्रेस के कोष का व्यवस्थापक होगा और वह पूंजी–विनियोग, आय तथा व्यय का ठीक–ठीक हिसाब रखेगा।

अनुच्छेद-21

महासचिवगण

- (क) अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण के अधीन महासचिवगण अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्यालय का कार्य-संचालन करेंगे।
- (ख) महासचिवगण अधिवेशन के बाद यथासंभव शीघ्र कांग्रेस अधिवेशन के जांच किए हुए हिसाब और अधिवेशन की कार्यवाही का विवरण तैयार कराने और उसे प्रकाशित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(ग) महासचिवगण अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और कार्य समिति के कार्य एवं जांच किए हुए हिसाब का विवरण तैयार करेंगे जो कि इसी प्रकार पेश किए गये पिछले विवरण के बाद के कार्यकाल से संबद्ध हो और कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन से पूर्व होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की पहली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुच्छेद-22

सदस्यता की जांच

केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण सदस्यता की जांच का प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के द्वारा प्रबंध करेगा। सदस्यता की जांच संबंधी अपीलों का निपटारा करेगा। प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण जांच समिति की नियुक्ति उपयुक्त स्तर पर करेगा।

अनुच्छेद-22 के अंतर्गत नियमः

सदस्यता की जांच

- 1. कोई भी व्यक्ति जिसे अनुच्छेद 5 (क) (अ), (ब) और 5 (ख) के अंतर्गत सदस्य के रूप में भर्ती नहीं किया गया अथवा जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर से निकाल दिया गया है, या उसमें ग़लती से लिखा गया हो, या कोई भी सदस्य जो उस रजिस्टर में किसी नाम की प्रविष्टि के विरूद्ध आपित्त करता है, संबद्ध प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त ज़िला जांच समिति के अध्यक्ष को प्रारंभिक मतदाता सूचियों के प्रकाशन के सात दिन के अंदर ऐसे इंकार, भूल, अनियमित या ग़लत प्रविष्टि के कारण बताते हुए लिखित में आपित भेज सकता है।
- 2. ज़िला जांच समिति विरोध दर्ज़ करने वाले या किसी अन्य पार्टी को सुनने के पश्चात् सदस्यों के रजिस्टर में किसी नाम के लिखे जाने, उसमें शुद्धि किए जाने या उसे निकाल दिए जाने का निर्देश दे सकती है। जांच समिति सामान्यतः ऐसी शिकायतों का निपटारा उनके दर्ज़ किए जाने के सात दिन के अंदर करेगी।
- 3. ज़िला जांच समिति को किसी सदस्य के सदस्यता फार्म की जांच करने का भी अधिकार होगा। इसके साथ ही उसे यह जांच करने का अधिकार होगा कि क्या ऐसी सदस्यता के संबंध में कांग्रेस संविधान के नियम और उपबंधों का पालन किया गया है। वह सदस्य द्वारा प्रस्तुत सामयिक रिपोर्टों की भी जांच कर सकती है। संबद्ध व्यक्तियों को स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् वे अपना निर्णय लेंगी।
- 4. ज़िला जांच समिति इन कार्यवाहियों का संक्षिप्त रिकॉर्ड रखेगी और संबद्ध व्यक्ति को निर्णय की एक प्रति निर्णय लिए जाने के तीन दिन के अंदर भेज दी जाएगी।
- 5. यदि उस समय ज़िले में कोई ज़िला कांग्रेस समिति कार्य न कर रही हो, और वहां एक तदर्थ समिति हो, तो सभी आपत्तियों को प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त ज़िला जांच समिति को भेजा जाएगा।

- 6. ज़िला जांच समिति के निर्णय लिए जाने के दस दिन के अंदर प्रभावित पक्ष द्वारा ज़िला जांच समिति के निर्णय के विरूद्ध प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के समक्ष अपील दाखिल की जाएगी। प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण ऐसी अपीलों को सामान्यतया उनके दाखिल किए जाने के सात दिन के अंदर निपटाएगा। ज़िला जांच समिति का निर्णय केवल अपीलों की अविध के ख़त्म हो जाने या किसी दाखिल की गयी अपील के निपटारे के पश्चात् ही लागू होगा।
- 7. प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण और ज़िला जांच समिति को इन नियमों के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त अधिकार को एक या अधिक उप-समितियों या व्यक्तियों को सौंपने का अधिकार होगा।
- 8. प्रभावित पक्ष प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिए जाने के दस दिन के अंदर केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

अनुच्छेद-23

चुनाव संबंधी विवाद

प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण ऐसे सभी कृदम उठाएगा जिससे संगठनात्मक चुनावों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराया जा सके। किसी भी चुनाव विवाद का निपटारा प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा।

प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्णयों के विरूद्ध सभी अपीलों का निपटारा केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद-23 के अंतर्गत नियमः

चुनाव संबंधी विवाद

- 1. किसी प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों के चुनाव के विरूद्ध शिकायत ऐसे चुनाव परिणाम की घोषणा के पंद्रह दिन के अंदर केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण के समक्ष दर्ज़ की जाएगी। केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण ऐसी शिकायतों के संबंध में निर्णय के लिए अपने सदस्यों में से एक विशेष फोरम बना सकता है।
- 2. उपर्युक्त खण्ड (1) में उल्लिखित याचिका केवल प्रदेश कांग्रेस समिति का सदस्य ही दायर कर सकता है।
- 3. उपर्युक्त खण्ड (1) में उल्लिखित से भिन्न प्रत्येक चुनाव संबंधी याचिका ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा के सात दिन के अंदर प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

- 4. चुनाव संबंधी याचिकाओं को प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है।
- 5. याचिका या अपील का निपटारा होने तक प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण को स्थगन या प्रतिबंधक का आदेश देने का अधिकार होगा।
- 6. प्रत्येक चुनाव याचिका को प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा सामान्यतया उसके प्रस्तुत किए जाने के तीस दिन के अंदर निपटा दिया जाएगा। यदि प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण ऐसा करने में असफल रहता हो, तो केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण उनके निपटारे हेतु उचित व्यवस्था कर सकता है।
- 7. केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण, प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा चुनाव—याचिकाओं और अपीलों के निपटारे के संबंध में नियम बनाएगा।
- 8. प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के समक्ष, सिवाय इसके द्वारा स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों तथा चुनाव—याचिका या अपील दाखिल करने वाले व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकेगा। किसी भी स्थिति में वकील की सेवाएं नहीं ली जाएंगी।
- 9. प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण को इन नियमों के अंतर्गत उन्हें प्राप्त प्राधिकार को अपने एक या अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करने का अधिकार होगा।
- 10. प्राथमिक इकाई स्तर और ब्लॉक स्तर पर चुनाव संबंधी किसी विवाद को परिणामों के घोषित किए जाने के दस दिन के अंदर ज़िला कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। ज़िला कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी ऐसे मामलों का निपटारा उनके प्रस्तुतिकरण के दस दिन के भीतर कर देगी।

ज़िला कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील ज़िला कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिए जाने के दस दिन के अंदर प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के समक्ष दाखिल की जा सकती है। ज़िला कांग्रेस समिति के स्तर पर चुनाव संबंधी कोई विवाद, परिणामों की घोषणा के दस दिन के भीतर प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण को भेजा जा सकता है। प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण सभी अपीलों का निपटारा उनके प्रस्तुत किए जाने के दस दिन के भीतर कर देगा।

प्रदेश स्तर पर चुनाव संबंधी किसी अपील को परिणामों की घोषणा के दस दिन के अंदर केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण के समक्ष दाखिल किया जा सकता है। केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण ऐसे सभी विवादों का निपटारा उनके प्रस्तुत किए जाने के दस दिन के भीतर कर देगा। प्राथमिक इकाई, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर चुनाव विवादों के बारे में प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण का निर्णय अंतिम माना जाएगा। यदि प्रदेश कांग्रेस समिति के स्तर से भिन्न किसी अन्य स्तर पर चुनाव संबंधी कोई विवाद हो, जिसके संबंध में संविधान की दृष्टि से जांच की आवश्यकता है और नियमों को न्याय निर्णयन हेतु केंद्रीय निर्वाचन

प्राधिकरण के ध्यान में लाया जा सकता है, तो ऐसे मामलों को संबंधित चुनाव परिणामों की घोषणा के दस दिन के भीतर केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के समक्ष लाया जाना होगा।

अनुच्छेद-24

चुनाव-तंत्र

- (क) निर्वाचन प्राधिकरणः कार्य समिति अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का एक केंद्रीय संगठनात्मक निर्वाचन प्राधिकरण स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्य होंगे, जिनमें से एक इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। इसके अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल में संगठन के किसी पद पर नहीं रहेंगे। संगठन के चुनाव का संचालन करने के अतिरिक्त यह प्राधिकरण सदस्यों के नाम दर्ज़ होने का पर्यवेक्षण और निगरानी करेगा। यह प्राधिकरण सदस्यों के नाम दर्ज़ होने से लेकर चुनाव की समाप्ति तक चुनाव का कार्यक्रम तैयार करेगा।
- (ख) केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण का अध्यक्ष पदेन चुनाव अधिकारी होगा जो कांग्रेस अध्यक्ष के पद और कार्य समिति के सदस्यों के चुनाव का संचालन करेगा।
- (ग) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण प्रदेश स्तर पर एक प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण नियुक्त करेगा जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्य होंगे, जिनमें से एक उसका अध्यक्ष होगा। इस निर्वाचन प्राधिकरण का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान संगठन में किसी पद पर नहीं रहेंगे। केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण प्रदेश एवं क्षेत्रीय स्तर पर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा।
- (घ) संगठनात्मक चुनावों के सुचारू संचालन के लिए केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण आवश्यक नियम और विनियम बनाएगा।
- (ड.) प्रदेश निर्वाचन अधिकारी प्रदेश में कांग्रेस के सभी चुनावों का संचालन करेगा। वह प्रदेश कांग्रेस समिति या क्षेत्रीय कांग्रेस समिति और ज़िला कांग्रेस कमेटियों की कार्यकारिणियों की सलाह से, प्रदेश या क्षेत्र में चुनावों की समुचित व्यवस्था हेतु ज़िला निर्वाचन अधिकारी तथा आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। वह केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा उसको समय—समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी करेगा।
- (च) प्रदेश निर्वाचन अधिकारी साधारणतः एक कार्यकाल तक अपने पद पर रहेगा लेकिन वह तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि नये प्रदेश निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती या उसे केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में बनाए गये नियमों के अनुसार अपने पद से हटा नहीं दिया जाता।

अनुच्छेद-24 के अंतर्गत नियमः

चुनाव-तंत्र

- 1. प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन अधिकारी और उसके अधीन सभी अन्य निर्वाचन अधिकारी कांग्रेस के सदस्य होंगे और वे किसी भी समिति में कोई पद नहीं संभालेंगे तथा किसी भी समिति के सदस्य नहीं होंगे। वे जिस क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, उस अविध के दौरान, जिसमें वे ऐसे पद पर हैं और उसके पश्चात् छः महीनों तक किसी कांग्रेस चुनाव में सदस्य के रूप में खड़े नहीं हो सकेंगे।
- 2. प्रदेश और ज़िला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय प्रदेश और ज़िला कांग्रेस कमेटियों से संबंधित मुख्यालयों में होंगे, बशर्ते कि संबंधित उच्च प्राधिकारी की विशेष अनुमित से उनके कार्यालय कहीं और भी हो सकते हैं।
- 3. प्रदेश निर्वाचन अधिकारी, प्रदेश के सभी कांग्रेस चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी होगा। प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण, संविधान और उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार चुनावों के उचित ढंग से संपन्न किए जाने हेतु आवश्यक निर्णय लेगा।
- 4. केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण किसी प्रदेश निर्वाचन अधिकारी को भी पद से हटा सकता है और प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण किसी ज़िला निर्वाचन अधिकारी या किसी अन्य निर्वाचन अधिकारी को हटा सकता है, यदि उसे यह विश्वास हो जाए कि उसने समुचित ढंग से अपने उत्तरदायित्वों को नहीं निभाया है या नहीं निभाएगा, बशर्ते कि ऐसा किए जाने से पहले उसे अपने ऊपर लगाए गये आरोपों की सफाई देने का उचित अवसर दिया गया हो।
- 5. कोई भी निर्वाचन अधिकारी या अन्य अधिकारी अपने कार्यों को प्रदेश निर्वाचन अधिकारी अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी दूसरे को सौंपने का अधिकार नहीं रखेगा।
- 6. चुनाव के उम्मीदवारों को उनके क्षेत्रों में निर्वाचन अधिकारी के रूप में या किसी अन्य निर्वाचन कार्यालय में नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार ब्लॉक कांग्रेस समिति के चुनाव के किसी उम्मीदवार को, उस ब्लॉक में निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा और ज़िला कांग्रेस समिति के चुनाव के किसी उम्मीदवार को उस ज़िले में निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ब्लॉक का निर्वाचन अधिकारी उसी ब्लॉक से प्रदेश कांग्रेस समिति का चुनाव नहीं लड़ेगा। तथापि, वह किसी अन्य ब्लॉक / निर्वाचन क्षेत्र से प्रदेश कांग्रेस समिति का चुनाव लड़ सकता है।
- 7. प्रदेश निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, ज़िला निर्वाचन अधिकारी ज़िले में सभी कांग्रेस चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी होगा। वह, प्रदेश निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति से ज़िले में मतदान अधिकारी और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी करेगा।

- 8. ज़िला निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्र के स्थान का निर्धारण करेगा और प्रत्येक मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विशेष विवरण देगा तथा उनको मतदान की तिथि से कम से कम दस दिन पहले प्रकाशित करेगा। वह मतदान की तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व मतदान की तिथि तथा समय के बारे में भी सूचना देगा।
- 9. मतदान अधिकारी, मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखने और इस बात का ध्यान रखने के लिए उत्तरदायी होंगे कि चुनाव उचित ढंग से हों।
- 10. नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से संबद्ध निर्वाचन अधिकारी के समक्ष, प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित फार्म पर, दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र मुद्रित, टाइप किए हुए या हाथ से लिखे हुए हो सकते हैं।
- 11. विधितः नाम निर्देशित उम्मीदवारों से नाम वापस लिए जाने संबंधी पत्र संबंधित निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किए जाएंगे, तािक वे मतदान के दिन से कम से कम 48 घंटे पहले उनके पास पहुंच जाएं। नाम वािपस लिए जाने संबंधी पत्र लिखित में होने चािहए और उस पर अपना नाम वापस लेने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर होने चािहए।
- 12. मतदान द्वारा चुनाव के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगीः
- (1) मतदान अधिकारी मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने और एक बार में मतदान केंद्र में प्रवेश करने देने वाले मतदाताओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) ज़िला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित मतदान अधिकारी को उम्मीदवारों के एजेंटों को संबंधित उम्मीदवारों की ओर से मतदान केंद्र में प्रवेश करने तथा मतदान निरीक्षण के लिए उन्हें स्वीकृति देने का अधिकार होगा। मतदान अधिकारी प्रत्येक मतदान पत्र को मतदाता को देने से पूर्व यथा स्थान पर अपना संक्षिप्त हस्ताक्षर करेगा।
- (3) मतदान के अंत में, मतदान अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की गिनती करेगा और आंकड़ों को निर्वाचन अधिकारी के पास भेजेगा। यदि उम्मीदवार चाहे तो वह अथवा उसका प्रतिनिधि मतों की गिनती के समय उपस्थित रह सकता है।
- (4) प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों के आंकड़ों की प्राप्ति पर निर्वाचन अधिकारी परिणामों की घोषणा करेगा।
- 13. प्राथमिक इकाई स्तर के चुनाव में जब मतदान हाथ खड़े करके किया जाना हो, तो उसमें निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:—
- (1) मतदान अधिकारी प्रत्येक मतदाता की बैठक स्थल में प्रवेश से पूर्व जांच करेगा।

- (2) मतदान अधिकारी मतगणना में प्रत्येक उम्मीदवार के एक—एक एजेंट को शामिल करेगा। मतगणना के पश्चात् मतदान अधिकारी मतगणना पत्र पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर करवा सकता है।
- (3) मतदान अधिकारी, जहां कहीं भी संभव हो, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग—अलग घेरे चिन्हित कर सकता है और मतगणना में सुविधा हेतु मतदाताओं को अपनी पसंद के घेरे में जाने को कह सकता है।
- (4) मतदान अधिकारी सदस्यों की सभा में चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का प्रस्ताव किए जाने और ऐसे चुनावों से नाम वापस लिए जाने के समय की घोषणा करेगा। मतदान अधिकारी मतदान के आरम्भ और समाप्त होने के समय की भी जानकारी देगा। यदि वह आवश्यक समझे तो इस समय को आधे घंटे तक बढ़ा सकता है।
- 14. चुनावों के दौरान कोई उम्मीदवार मतदाताओं को लाने के लिए न तो वाहनों का प्रयोग करेगा और न अवांछनीय इश्तहारबाजी या अन्य किस्म के सार्वजनिक प्रचार का सहारा लेगा। इन उपबंधों का उल्लंघन उम्मीदवार के चुनाव को अवैध कर देगा और उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
- 15. प्रदेश निर्वाचन अधिकारी प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्यों की पहली बैठक बुलाएगा तथा उसकी अध्यक्षता करेगा या उसकी अनुपस्थिति में केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण के एक नामजद व्यक्ति द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। ऐसी बैठक में प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि जैसे पदाधिकारियों सिहत सभी कार्यकारी सदस्यों, जो कि निर्वाचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तथा उन सभी अन्य समितियों का, जिनको प्रदेश कांग्रेस समिति चुनती है, चुनाव किया जाएगा।

सम्बद्ध ज़िला निर्वाचन अधिकारी ज़िला कांग्रेस समिति के सदस्यों की पहली बैठक बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा या उसकी अनुपस्थिति में प्रदेश निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामजद व्यक्ति द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। ऐसी बैठक में ज़िला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि, जो कि निर्वाचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, सिहत सभी कार्यकारी सदस्यों का चुनाव किया जाएगा।

अनुच्छेद-25

पार्लियामेंट्री बोर्ड

कार्य समिति एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन करेगी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, संसद में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष और 5 अन्य पांच सदस्य सिमलित होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

अनुच्छेद-25 (अ)

चुनाव समितियाँ

- (क) कांग्रेस कार्य समिति एक केंद्रीय चुनाव समिति का गठन करेगी, जिसमें 12 सदस्य सिम्मिलित होंगे जिनकी नियुक्ति कांग्रेस कार्य समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें संसद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता भी सिम्मिलित होंगे। यह सिमिति निम्निलिखित प्रयोजन के लिए गठित की जाएगी:
- (1) राज्य और केंद्रीय विधान मंडलों के लिए उम्मीदवारों का अंतिम चयन या इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष को अधिकृत करना और
- (2) चुनाव अभियान का संचालन।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय चुनाव समिति की अध्यक्षता करेंगे।

- (ख) प्रदेश चुनाव समिति में प्रदेश कांग्रेस समिति / क्षेत्रीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता और / अथवा केंद्र शासित प्रदेश के मामले में विधानसभा / महानगर परिषद में कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल होंगे, और अधिक से अधिक 15 तथा कम से कम पांच अन्य ऐसे सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस समिति अथवा क्षेत्रीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष प्रदेश अथवा क्षेत्रीय चुनाव समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।
- (ग) उपरोक्त तरीके से गठित प्रदेश या क्षेत्रीय चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति को केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करेगी।
- (घ) केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों के चयन और चुनाव संचालन से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में प्रदेश चुनाव समिति को मार्गदर्शन देने के लिए आवश्यक नियम बनाएगी।

अनुच्छेद-25 के अंतर्गत नियम- संसदीय बोर्ड का गठनः

अनुच्छेद—25 में विनिर्दिष्ट तरीक़े से कार्य समिति द्वारा पार्लियामेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसके गठन के बाद की पहली बैठक में कार्य समिति के सदस्यों में से ही इसके पांच सदस्यों को चुना जाएगा और जो नए बोर्ड के गठन तक पद पर बने रहेंगे।

अनुच्छेद-25 (अ) के अंतर्गत नियम - चुनाव समितियों का गठनः

- (1) केंद्रीय चुनाव समिति का गठन कांग्रेस कार्य समिति द्वारा सामान्य रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों में से किया जाएगा और जो एक नये सीईसी की स्थापना तक पद पर बने रहेंगे। यह होने वाले आम चुनाव या किसी भी मध्याविध चुनाव के लिए काम करेगा।
- 2. प्रदेश चुनाव समिति का गठन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष द्वारा साधारणतया प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्यों में से किया जाएगा और वे नयी समिति के नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे।

अनुच्छेद-26

रिक्त-स्थान

- (क) इस संविधान के अंतर्गत गठित किसी भी प्रतिनिधि का पद अथवा किसी सिमिति या बोर्ड के किसी सदस्य का पद त्याग—पत्र देने, निष्कासन करने या मृत्यु हो जाने से खाली समझा जाएगा।
- (ख) सभी रिक्त स्थानों को इस संबंध में किसी प्रकार का विशेष प्रावधान न होने पर उसी ढंग से भरा जाएगा, जिस प्रकार से रिक्त करने वाले सदस्य चुने गये थे और इस ढंग से चुने गये सदस्य रिक्त स्थान पर शेष अविध तक बने रहेंगे।
- (ग) ऐसे प्रकोष्ठों / विभागों के अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस समितियों के परामर्श से प्रदेश स्तर पर प्रकोष्ठों / विभागों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं।

अनुच्छेद-26 (अ)

प्रकोष्ठों और विभागों

- (क) कांग्रेस अध्यक्ष कार्य विशेष के निष्पादन के लिए प्रकोष्टों / विभागों का गठन कर सकते हैं।
- (ख) ऐसे प्रकोष्टों / विभागों के अध्यक्ष / सदस्यों की नियुक्ति कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
- (ग) ऐसे प्रकोष्ठों / विभागों के अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से परामर्श करके प्रदेश स्तर पर प्रकोष्ठों / विभागों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं।

अनुच्छेद-27

विविध

- (क) कोई भी समिति अपनी किसी भी शक्ति को किसी छोटी समिति या किसी व्यक्ति को सौंप सकती है।
- (ख) जहां भी प्रासंगिक हो, पिछली उपलब्ध जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।
- (ग) जहां पर किसी अपूर्णांक के मूल्य का प्रश्न उठे, वहां आधे या उससे अधिक को एक और आधे से कम को शून्य माना जाएगा।
- (घ) इस संविधान में जहां कहीं भी मत या इसका भावबोधक कोई शब्द आया है वहां उसका तात्पर्य वैध मत से ही है।
- (ड.) ब्लॉक, ज़िला और प्रदेश कांग्रेस कमेटियां अपने सदस्यों में से अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और कोषाध्यक्षों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों को चुनेंगी तथा संबंधित कमेटियों के अध्यक्ष कार्यकारिणियों के सदस्यों में से अपने सचिवों की नियुक्ति करेंगे।
- (च) इस संविधान के अंतर्गत प्रावधानों, विषयवस्तु, व्याख्याओं अथवा कार्यविधियों से संबंधित किन्हीं सदस्यों के बीच और सदस्यों तथा कमेटियों के बीच अथवा आपस में किन्हीं कमेटियों के बीच उठने वाले प्रश्नों या विवादों का इस संविधान द्वारा इंगित उपयुक्त अधिकारी फ़ैसला करेंगे और ऐसे अधिकारी का फ़ैसला अंतिम होगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्य और कमेटियां इस फ़ैसले को मानने के लिए बाध्य होंगी और इनमें से कोई भी उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही न करेंगी।
- (छ) यदि कोई सदस्य किसी कांग्रेस समिति की लगातार तीन बैठकों में पूर्व सूचना दिए बगैर गैरहाजिर रहेगा तो संबंधित समिति से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद-28

संविधान में परिवर्तन

इस संविधान में कोई संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन केवल कांग्रेस अधिवेशन द्वारा ही किया जा सकता है। किन्तु जब कांग्रेस अधिवेशन न हो रहा हो, तब यदि कांग्रेस कार्य समिति चाहे तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को अनुच्छेद—1 को छोड़कर संविधान में संशोधन, परिवर्तन व परिवर्द्धन करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि इस प्रकार का कोई भी संशोधन, परिवर्तन व परिवर्द्धन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा तभी किया जा सकेगा, जब प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम एक महीना पूर्व यथाविधि नोटिस दिया जा चुका हो और इसी काम के लिए ख़ासतौर पर बुलाई गयी बैठक में उपस्थित होकर मत देने वाले सदस्यों का उन परिवर्तनों के पक्ष में दो—तिहाई बहुमत प्राप्त हो। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा किए गये परिवर्तन सम्पुष्टि हेतु आगामी कांग्रेस अधिवेशन के समक्ष रखे जाएंगे, किन्तु सम्पुष्टि होने से पहले भी उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा निश्चित की गयी किसी भी तारीख़ से लागू किया जा सकता है।

विविध (नियम)

1. चुनाव के लिए उम्मीदवारों से संबंधित अयोग्यताएं

(क) चुनाव अधिकारी:-

प्रदेश निर्वाचन अधिकारियों एवं अन्य निर्वाचन अधिकारियों को उस क्षेत्र में किसी भी कांग्रेस चुनाव में उम्मीदवार के रूप खड़े होने का अधिकार नहीं होगा, जहां वे पद पर रहने के दौरान और उसके बाद छः माह की अवधि के लिए कार्य करते रहे हों।

- (ख) सदस्यता या अन्य बकाया राशि न अदा करने वालेः
- 1— कांग्रेस विधान मंडल दल के (राज्य और केंद्र में) नेताओं को एक अविध निर्धारित करनी चाहिए जिसके भीतर सदस्यों को हर महीने अपना चंदा अदा करना चाहिए।
- 2— विधायक दल की कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित अविध में जो सदस्य अपना चंदा अदा नहीं करेगा उसे पार्टी अथवा संगठन संबंधी चुनावों में खड़ा होने का अधिकार नहीं होगा।
- 3— विधायक दल के सचिव द्वारा निर्धारित अविध में चंदा न देने वाले सदस्यों की सूचना समय—समय पर प्रदेश कांग्रेस समिति और ज़िला कांग्रेस समिति के सचिवों को भेजते रहना चाहिए।
- 4— प्रदेश कांग्रेस समिति और ज़िला कांग्रेस कमेटियों के सचिवों को ऐसी सूचनाएं प्राप्त होने पर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी और ज़िला निर्वाचन अधिकारियां को सूचना देनी चाहिए कि विधान सभा के अमुक सदस्य संगठन संबंधी चुनावों में भाग लेने के अयोग्य हैं।
- 5— ये सदस्य किसी समिति या उप—समिति में प्रदेश कांग्रेस समिति या ज़िला कांग्रेस कमेटियों एवं मातहत कांग्रेस समिति द्वारा नामजद नहीं किए जाएंगे।
- 6— विधायक द्वारा चंदे की अदायगी कर देने पर पार्टी का सचिव प्रदेश कांग्रेस समिति या ज़िला कांग्रेस समिति के सचिवों को सूचित करेगा कि बकाया चंदे की रकम अदा कर दी गयी है और इसी प्रकार प्रदेश कांग्रेस समिति और ज़िला कांग्रेस समिति के सचिव प्रदेश निर्वाचन अधिकारी और ज़िला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेंगे। प्रदेश निर्वाचन

अधिकारी और ज़िला निर्वाचन अधिकारी इस सूचना के प्राप्त होने पर उन सदस्यों को चुनाव में खड़े होने के लिए योग्य घोषित कर देंगे, बशर्ते कि यह सूचना संबंधित प्रदेश निर्वाचन अधिकारी एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी को नामजदगी से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व प्राप्त हो जाए।

7— जो कांग्रेसजन विधान सभा के सदस्य न हों और जिन्होंने चंदे की राशि अदा न की हो वे भी संगठन के चुनावों में खड़े नहीं हो सकते एवं किसी समिति अथवा उप—समिति में भी नामजद नहीं किए जा सकते।

2. मतदान का तरीकाः

जहां किसी पद या समिति के चुनाव के तरीक़ों को संविधान या नियमों में स्पष्ट न किया गया हो, वहां मतदान मतपत्र प्रणाली द्वारा होगा और जहां एक से अधिक सदस्य चुने जाने हों, वहां मतदान का निर्णय साधारण बहुमत के द्वारा होगा।

3. कांग्रेस समिति का गठनः

कोई भी कांग्रेस समिति वैध रूप से गठित मान ली जाएगी, यदि चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या (आरक्षित कोटा सिहत) के तीन—चौथाई सदस्य विधि पूर्वक चुन लिए गये हैं। तथापि, ब्लॉक कांग्रेस समिति के उचित ढंग से गठन हेतु, इसके पचास प्रतिशत सदस्यों को प्रारंभिक इकाईयों से चुना जाना होगा।

4— सहवरित सदस्यों का कार्यकालः

सहवरित सदस्यों का कार्यकाल भी संबंधित समिति के चुने हुए सदस्यों की सदस्यता के साथ समाप्त होगा।

5. समिति की सदस्यता चुनने का विकल्पः

- (क) यदि प्रदेश कांग्रेस समिति या ज़िला कांग्रेस समिति का कोई सदस्य ऐसे क्षेत्र से चुना गया हो जहां वह नहीं रहता हो, तो उसे उपरोक्त कमेटियों की पहली बैठक से पूर्व उस ज़िला कांग्रेस समिति या ब्लॉक कांग्रेस समिति का नाम लिखकर ज़िला कांग्रेस समिति या प्रदेश कांग्रेस समिति के पास भेज देना चाहिए, जहां से वह सदस्य होना चाहता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वह जिस क्षेत्र से चुना गया है उस क्षेत्र की ज़िला कांग्रेस समिति या ब्लॉक कांग्रेस समिति में लिया जाना उसने स्वीकार किया है।
- (ख) यदि संसद या विधान मंडल का कोई सदस्य ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाए जो कि एक से अधिक अधीनस्थ कांग्रेस समिति या ज़िला कांग्रेस कमेटियों के अधिकार क्षेत्र में

आता हो, तो उसे उस अधीनस्थ कांग्रेस समिति या ज़िला कांग्रेस समिति का पदेन सदस्य होने का अधिकार होगा, जिसमें वह साधारणतः रहता हो।

6. सामान्य :

1— किसी भी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा नियुक्त या नामजद किसी पदाधिकारी को हटा दे, यदि उसे यह विश्वास हो कि वह संतोषजनक ढंग से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, किंतु उस स्थिति में भी संबंधित पदाधिकारियों को उनके विरूद्ध कार्रवाई किए जाने के पहले अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर देना होगा।

2— किसी भी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष को अधिकार होगा कि एक सीमित काल के लिए जब तक कि वह अपना कार्य करने में असमर्थ है, अपनी कांग्रेस समिति के ऊपर वाली कांग्रेस समिति की पूर्व स्वीकृति से उपाध्यक्षों में से किसी एक को सीमित कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दे।

3— संविधान में जहां कहीं 'प्रमाणित खादी' शब्द आया है उसका तात्पर्य खादी आयोग या खादी बोर्ड द्वारा प्रमाणित खादी से है।

7. ज़िला एवं ब्लॉक स्तर पर तदर्थ समिति का गठन

संविधान या उच्च समिति के निर्देशानुसार कार्य करने में किसी भी ज़िला या ब्लॉक कांग्रेस समिति अथवा किसी भी अन्य अधीनस्थ कांग्रेस समिति के गठित न होने की स्थिति में या असफ़ल हो जाने पर उच्च समिति वर्तमान समिति को निलंबित कर सकती है और उस क्षेत्र में काम करने के लिए एक तदर्थ कांग्रेस समिति बना सकती है, लेकिन कार्य समिति की पूर्वानुमित के बिना प्रदेश कांग्रेस समिति किसी भी ज़िला कांग्रेस समिति को नहीं हटाएगी और न निलंबित करेगी और न ही किसी तदर्थ समिति का गठन करेगी। इसी प्रकार संबंधित प्रदेश कांग्रेस समिति की पूर्वानुमित के बिना ज़िला कांग्रेस समिति न तो किसी ब्लॉक समिति को हटाएगी और न वहां तदर्थ ब्लॉक समिति बना सकेगी। वैधानिक ढंग से इस तरह बनायी गयी तदर्थ समिति सामान्यतः तीन माह तक कार्य करेगी किंतु उच्चतर समिति की अनुमित से यह समय तीन—तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न होगा। जब तक कि स्पष्ट रूप से विशेष हिदायत न हो, तदर्थ समिति को आम समिति की शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे।

फिर भी, कार्य समिति को यह अधिकार होगा कि विशेष परिस्थितियों में किसी तदर्थ समिति का कार्यकाल एक वर्ष से भी अधिक बढ़ा दिया जाए।

8. अग्रिम संगठनों की कार्यप्रणालीः

- (क) प्रत्येक अग्रिम संगठन का अपना संविधान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता के अलावा इसकी अपनी सदस्यता भी होनी चाहिए। प्रत्येक स्तर पर नियमित चुनाव होने चाहिए। प्रत्येक स्तर पर अग्रिम संगठनों और मूल निकाय के बीच घनिष्ट समन्वय हेतु एक व्यवस्था विकसित किए जाने की आवश्यकता है। मूल संगठन और अग्रिम संगठनों के बीच विशेष रूप से नीतिगत संबंधी मामलों में और अधिक गहन और विस्तृत परामर्श होना चाहिए।
- (ख) कार्यकर्ताओं के चुनाव / चयन के बारे में अग्रिम संगठनों की स्वायत्तता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अपने कार्यक्रमों को तैयार करने में उन्हें स्वायत्तता होनी चाहिए।
- (ग) प्रत्येक अग्रिम संगठन की एक सलाहकार समिति होगी, जिसका अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष होगा। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा संबंधित अग्रिम संगठन के परामर्श से सलाहकार समिति की नियुक्ति की जाएगी।

9. अतिरिक्त नियम बनाने का प्राधिकारः

संविधान में किए गये किसी प्रावधान के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई के मामले में, कांग्रेस अध्यक्ष को कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने तथा आवश्यक नियम बनाने का प्राधिकार होगा।

सदस्यता फार्म

कांग्रेस संविधान के अनुच्छेद 5 (क) (अ) (1) के अनुसार

फॉर्म सं.....

Photo

में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में भर्ती होना / भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस संविधान के अनुच्छेद 1 को स्वीकार करता हूँ जो इस प्रकार है:

"भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारत के लोगों की भलाई और उन्नित है तथा शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी राज्य कायम करना है जो कि संसदीय लोकतंत्र पर आधारित हो, जिसमें अवसर और राजनीतिक, आर्थिक तथा

सामाजिव	७ अधि	कारों	की	समानता	हो	तथा	जिसक	ग ल	क्ष्य	विश्व-	-शांति	और	विश	ख–बन	धुत्व
हो।"															
में	किसी	अन्य	राज	जनीतिक,	सांप्र	ादायिव	न्या ३	गन्य	दल	का र	ादस्य	नहीं हे	ಕ್ <u>ಕ</u> , ਿ	जेसर्क	Ì

पृथक सदस्यता, विधान और कार्यक्रम हो। मैं इसके साथ वर्षसेसे
तक के लिए ₹2/- (मात्र दो रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कर रहा हूँ।
नामः
(*) लिंगः पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर (*) जो भी लागू हो उस पर टिक का निशान लगाए
(*) किससे संबद्ध हैं: अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक (*) जो भी लागू हो उस पर टिक का निशान लगाएं
माता / पिता / पति / पत्नी का नाम'
स्थायी पताः
स्थायी निवास स्थान या कार्य स्थलः
आयुःव्यवसायः
मोबाइल नं दूरभाष नं0
और ई-मेल यदि कोई हो तो :
बूथ समिति / इकाई: क्रमांक: नाम:
ब्लॉक का नामः वोटर आईडी सं0
आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
सदस्य बनाने वाले के हस्ताक्षर
तारीख
नोट: पता परा दिया जाना चाहिए जहां कि पहंचा जा सके।

ज़िला कांग्रेस समिति के सचिव द्वारा टिप्पणी
श्री / श्रीमती / सुश्रीसे का उपर्युक्त आवेदन—पत्र, वर्षसेसे तक के लिए सदस्यता शुल्क ₹10 / — (रुपये दस मात्र) सिहत, इस कार्यालय में प्राप्त हो गया है, जिसे सदस्य बनाने वाले श्री / श्रीमती / सुश्री द्वारा ज़मा करवा दिया गया है। ज़िला कांग्रेस सिमित के रजिस्टर में क्र0सं0 है।
तारीखः
सचिव जिला कांग्रेस समिति के हस्ताक्षरः
फॉर्म स0:
(III) (III) (III) (III) (III) (III) (III) (III)
सचिव, ज़िला कांग्रेस समिति के हस्ताक्षर
भर्ती करने वाले के हस्ताक्षर
दिनाँकः
======================================

मैं घोषणा करता हूँ कि –

- (1) मेरी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है,
- (2) मैं प्रमाणित खादी पहनने का आदी हूँ,
- (3) मैं अपने को मादक पेयों और नशीले पदार्थीं से दूर रखता हूँ,

- (4) मैं न तो सामाजिक भेद—भाव करता हूं, और न किसी भी रूप में इसे अमल में लाता हूँ और इसे मिटाने के लिए काम करने का वचन देता हूँ।
- (5) मैं धर्म और जाति के भेद-भाव रहित एक सूत्र में बंधे समाज में विश्वास रखता हूँ,
- (6) मैं कार्यसमिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम कार्यों को करने के लिए तैयार हूँ जिनमें शारीरिक श्रम भी शामिल है।
- (7) मेरे पास कानूनी तौर पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक कोई जायदाद नहीं है।
- (8) मैं धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों में विश्वास रखता हूँ और उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता / करती हूँ। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, खुले तौर पर या किसी प्रकार से केवल पार्टी मंचों को छोड़कर, कहीं भी पार्टी की स्वीकृत नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध या आलोचना नहीं करूंगा / करूंगी।
- (9) मैं अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा स्वीकृत पत्रिका का नियमित ग्राहक बनूंगा / बनूंगी।
- (10) मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान के अंतर्गत निर्धारित शर्तों और बनाये गये नियमों का पालन करूंगा / करूंगी।

	आवेदक	के	हस्ताक्षर	या	अंगूठे	का	निशान
तारीख							

उद्देश्य

"भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारत के लोगों की भलाई और उन्नित है तथा शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से भारत में समाजवादी राज्य कायम करना है जो कि संसदीय लोकतंत्र पर आधारित हो, जिसमें अवसर और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की समानता हो तथा जिसका लक्ष्य विश्व—शांति और विश्व—बंधुत्व हो।"